खण्ड–501, अंक–05
बुधवार, 04 श्रावण, शक संवत् 1939
(26 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 501 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-97
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुखलाल के निधन पर शोकोद्गार ...	97-98
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	98-99
जनपद उन्नाव में कोतवाली, थाना व चौकियों के कार्यालय व आवास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत सदर ब्लाक के चन्दौली छितें हिनौती, बिसौरी, जमुलीपुर ड्रेन की सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मुख्य-चौराहा कोड़ीराम पर सुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद सोनभद्र में कोन एवं करमा ब्लाक घोषित किये जाने के बाद भी कोई व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	101
जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी पर चुनार घाट पर वर्षा ऋतु में लोक निर्माण द्वारा नौका संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101-102
जनपद मिर्जापुर के मझवां एवं सिटी ब्लाक में महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद लखनऊ में स्थित टिकैतराय तालाब में फौव्वारे एवं प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	102
जनपद मिर्जापुर में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण योजना लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	103-104
जनपद शाहजहांपुर में बायो गैस संयंत्रों एवं टर्नकी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में महिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को हैण्ड ओवर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104-105
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	107
स्व0 मथुरा प्रसाद पाल के निधन में विपक्ष की अनुपस्थिति पर उनके सेण्ट्रल हॉल में सदन के समानान्तर सदन चलाकर शोक प्रस्ताव पारित किये जाने पर विपक्ष के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव एवं आवश्यक कार्रवाई किये जाने की मांग...	107-113
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	113
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 (सदन के पटल पर रखा गयी।	113
उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2013-2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	113
जनपद उन्नाव एवं रायबरेली में शारदा नदी से उद्भूत शारदा मुख्य नहर, हरदोई शाखा को चौड़ा करके इससे जुड़ने वाली नहरों में टेल तक पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री विनोद लोधी आदि निवासीगण जनपद-उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	113-114
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर एवं बांगरमऊ जनपद उन्नाव की जर्जर विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता आदि निवासीगण जनपद-उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	114
जनपद हरदोई के विकास खण्ड साण्डी की ग्राम सभा-छितरामऊ में गर्रा नदी पर निर्मित पुल की जनहित में एप्रोच बनवाने विषयक श्री देवेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	114
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड मुख्यालय भरखनी की ग्राम भरखनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कराये जाने विषयक श्री वेदपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	114

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर की तहसील मुख्यालय के ग्राम सवायजपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू कराने के सम्बन्ध में श्री मदन पाल सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	114-115
जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम नरभा में नाले पर सेतु पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	115
जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत ग्राम बाबरपुर, रन्धीपुर मार्ग में बरई नदी पर सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश त्रिवेदी आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	115
जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरपालपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम श्यामपुर, सूरजपुर दुर्जना के मध्य लघु सेतु का निर्माण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	115
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा गाजीपुर में दलित बस्ती के पास नेवाड़ी ताल पर ड्रेन पर पुल के निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश सिंह प्रधान आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	115-116
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा नूरपुर कांसा में बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने विषयक डा0 पवन चौहान आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	116
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा बहरामपुर और लिलौली के मध्य बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुनेश्वर वर्मा, समाजसेवी आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	116
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत सई नदी पर ग्राम सभा बहुचरा और ग्राम सभा राजापुर (रामपुरप्रान) के बीच पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशीलाल प्रजापति आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड संडवा चन्द्रिका के ग्राम दांदपुर रनसिंह में सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के विषयक श्री हरीराम पाल समाजसेवी आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	116-117
जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के अन्तर्गत मखदूम में स्टेडियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहताश सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	117
जनपद मथुरा में बलदेव क्षेत्र में महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों की नई सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मल्ल सिंह छौंकर पुत्र श्री राम खिलाड़ी आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	117
जनपद मथुरा में कस्बा राया में से निकल रहे प्रदेश के मार्ग संख्या-33, जनपद-बरेली वाया मथुरा-हाथरस-अलीगढ़-कासगंज-बरेली आदि जनपदों को जोड़ने वाले मार्गों में राया कस्बे में बाईपास निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल रावत पुत्र श्री हिम्मत सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	117
जनपद मथुरा के बलदेव ब्लाक के अन्तर्गत नोएडा आगरा एक्सप्रेस-वे में से आवागमन हेतु कट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह छौंकर पुत्र श्री ओमवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	117-118
जनपद मथुरा में बलदेव ब्लाक में सरकारी कन्या डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में श्री सुरेश भारद्वाज आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	118
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) ...	118
अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनिमयन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	119
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2017) (पुरःस्थापित)	119
मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2017) (पुरःस्थापित) ...	119-120
कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2017) (पुरःस्थापित)	120
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	120
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	120-121

विषय	पृष्ठ-संख्या
विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	121
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) ...	121
समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) ...	121-122
मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) ...	122
न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) ...	122
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	122-123
उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित)	123-125
वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (चर्चा जारी)	125
वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (चर्चा जारी)	125-144
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	144-146
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत सुजानपुर रजबहे में मदद अलीपुर स्थित जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	146-147
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में 25 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	147-148
जनपद आजमगढ़ के ग्राम जोगापट्टी, तहसील-लालगंज में अल्गू पुत्र शिवनाथ द्वारा भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	148-149
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	149-150
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ई0 हर्षवर्धन बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	150-151

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में श्रीनगर ताल पर टूटे हुये रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिचाई मंत्री का वक्तव्य	151-152
जनपद गाजीपुर में नन्दगंज शराब फैक्ट्री द्वारा दूषित पानी सीधे गंगा नदी में बहाये जाने के सम्बन्ध में डा0 संगीता बलवन्त द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य...	152-153
अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, बांदा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री शरद कुमार अवस्थी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	154
जनपद उन्नाव में जर्जर विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	154-155
जनपद बदायूं में ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	155-156
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत अमराई ग्राम पंचायत में आई0टी0आई0 के अधूरे निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य...	156-157
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगपुर में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	157-158
कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के सम्बन्ध में सूचना	158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-282

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'', कुंवर — गोण्डा
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
9. अनिल कुमार मौर्य, श्री — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
13. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
17. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
18. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
19. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
20. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
21. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
22. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
23. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
24. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
25. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
26. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
27. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
28. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
29. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
30. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
31. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
32. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
33. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
34. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
35. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
36. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
37. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
38. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
39. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
40. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा
41. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
42. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
43. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव

44. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
45. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
46. केसर सिंह, श्री बरेली
47. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
48. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
49. गंगा, श्री कुशीनगर
50. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
51. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
52. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
53. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
54. गौरी शंकर, श्री जालौन
55. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
56. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
57. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
58. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
59. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
60. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
61. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
62. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
63. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
64. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
65. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
66. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
67. जयमंगल, श्री महाराजगंज
68. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
69. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
70. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
71. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
72. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
73. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
74. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
75. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
76. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
77. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
78. दल बहादुर, श्री रायबरेली
79. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
80. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
81. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
82. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
83. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
84. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
85. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
86. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
87. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
88. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
89. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
90. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
91. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
92. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
93. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
94. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
95. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
96. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
97. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
98. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
99. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
100. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
101. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
102. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
103. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
104. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव

105. पंकज सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर
106. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
107. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
108. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — बांदा
109. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
110. प्रतीक भूषण सिंह, श्री — गोण्डा
111. प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
112. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
113. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
114. प्रमोद उटवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
115. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
116. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री — गोण्डा
117. प्रेमसागर पटेल, श्री — महाराजगंज
118. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
119. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव
120. बल्देव सिंह औलख, श्री — रामपुर
121. बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
122. बाबू राम पासवान, श्री — पीलीभीत
123. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
124. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
125. बिहारीलाल आर्य, श्री — झांसी
126. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री — हाथरस
127. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री — महोबा
128. बृजेश कुमार, श्री — उन्नाव
129. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री — बांदा
130. बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
131. ब्रजेश पाठक, श्री — लखनऊ
132. ब्रिजेश, श्री — सहारनपुर
133. भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर नगर
134. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
135. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
136. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
137. मनीषा अनुरागी, श्रीमती — हमीरपुर
138. मनोहर लाल, श्री — ललितपुर
139. मन्जू शिवाज, डॉ0 — गाजियाबाद
140. ममतेश शाक्य, श्री — कासगंज
141. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
142. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — सीतापुर
143. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री — अमरोहा
144. महेश कुमार गोयल, श्री — आगरा
145. महेश चन्द्र, श्री — कानपुर नगर
146. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
147. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर — हरदोई
148. माधुरी वर्मा, श्रीमती — बहराइच
149. मानवेन्द्र सिंह, श्री — शाहजहांपुर
150. मुकुट बिहारी, श्री — बहराइच
151. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
152. मूलचन्द्र सिंह, श्री — जालौन
153. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
154. योगेश धामा, श्री — बागपत
155. योगेश वर्मा, श्री — खीरी
156. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
157. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
158. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
159. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
160. रत्नाकर मिश्र, श्री — मिर्जापुर
161. रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
162. रमाशंकर सिंह, श्री — मिर्जापुर
163. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री — औरैया
164. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री — जौनपुर
165. रवि कुमार सोनकर, श्री — बस्ती
166. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — भदोही
167. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री — अलीगढ़
168. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा

169. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
170. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
171. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
172. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
173. राज करन कबीर, श्री बांदा
174. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
175. राजबाला, श्रीमती रामपुर
176. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
177. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
178. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
179. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
180. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
181. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
182. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
183. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
184. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
185. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
186. रामकुमार वर्मा (पटेल), श्री खीरी
187. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
188. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
189. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
190. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
191. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
192. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
193. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
194. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
195. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
196. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
197. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
198. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
199. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
200. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
201. लाखन सिंह, श्री औरैया
202. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
203. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
204. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
205. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
206. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
207. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
208. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
209. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
210. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
211. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
212. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
213. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
214. विनय शाक्य, श्री औरैया
215. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
216. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
217. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
218. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
219. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
220. वीरेन्द्र, श्री एटा
221. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
222. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
223. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
224. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
225. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
226. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
227. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
228. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर

229. श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
230. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 — बरेली
231. श्रीकान्त शर्मा, श्री — मथुरा
232. श्री राम चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
233. श्रीराम सोनकर, श्री — मऊ
234. संगीत सिंह सोम, श्री — मेरठ
235. संगीता, श्रीमती — गाजीपुर
236. संगीता यादव, श्रीमती — गोरखपुर
237. संजय, श्री — बुलन्दशहर
238. संजय कुमार, श्री — कौशाम्बी
239. संजय प्रताप जायसवाल, श्री — बस्ती
240. संजय सिंह गंगवार, श्री — पीलीभीत
241. संजीव कुमार, श्री — सोनभद्र
242. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
243. संजीव राजा, श्री — अलीगढ़
244. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
245. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 — सिद्धार्थनगर
246. सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
247. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री — फिरोजाबाद
248. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
249. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री — मेरठ
250. सत्यवीर त्यागी, श्री — मेरठ
251. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
252. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
253. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
254. साधना सिंह, श्रीमती — चन्दौली
255. सावित्री कठेरिया, श्रीमती — इटावा
256. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — इलाहाबाद
257. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
258. सुनीता, श्रीमती — गाजीपुर
259. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
260. सुनील वर्मा, श्री — सीतापुर
261. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री — बहराइच
262. सुरेन्द्र, श्री — बलिया
263. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री — वाराणसी
264. सुरेश कुमार, श्री — शामली
265. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
266. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
267. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
268. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
269. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 — बिजनौर
270. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
271. सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
272. सूर्यभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
273. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 — मेरठ
274. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
275. स्वाती सिंह, श्रीमती — लखनऊ
276. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
277. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
278. हरिशंकर माहौर, श्री — हाथरस
279. हरीराम, श्री — सोनभद्र
280. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 — जौनपुर
281. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती — आगरा
282. हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

नोटः– विज्ञान एवं प्रोद्योगिक, इलेक्ट्रानिक्स, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.01] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जहरीली शराब पीने से जनवरी, 2016-जून, 2017 तक हुई मौतों की संख्या तथा उसके परिप्रेक्ष्य में जहरीली शराब के रोकथाम विषयक

***01-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक कितने मौतें हुई हैं ? क्या सरकार द्वारा जहरीली शराब के निर्माण एवं बिक्री को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (जय प्रताप सिंह)-

प्रदेश में जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक के मध्य जहरीली शराब के सेवन से निम्नानुसार मृत्यु होने का मामला संज्ञान में आया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र0 संख्या	जनपद का नाम	घटना की तिथि	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	एटा	15/16-07-2016	33
2	फर्रूखाबाद	15/16-07-2016	08
		योग :--	41

जी हां।

अवैध कच्ची शराब के निर्माण सहित, अन्य समस्त प्रकार के आबकारी अपराधों को समाप्त करने के लिये आबकारी विभाग में जनपद स्तर पर अपराध निरोधक क्षेत्रों सहित मण्डल स्तर पर प्रवर्तन दल व एस0एस0एफ0 की इकाई स्थापित हैं, जिनमें तैनात आबकारी स्टाफ सहित पुलिस विभाग का स्टाफ निरन्तर आबकारी अपराधों का समूल नाश करने हेतु कार्रवाई कर रहा है।

जहां तक आबकारी विभाग का प्रश्न है, समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को आबकारी अपराधों की रोक-थाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये जाते हैं जिसमें वर्ष में कम से कम 04 बार विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश भी दिये जाते हैं। वर्ष के महत्वपूर्ण अवसरों पर चलाये जाने वाले विशेष प्रवर्तन अभियानों का विवरण निम्नवत् है :--

प्रथम अभियान-25 मई से।

द्वितीय अभियान-दीपावली त्योहार के 10 दिन पूर्व से।

तृतीय अभियान-नव प्रारम्भ होने से पूर्व 20 दिसम्बर से।

चतुर्थ अभियान-होली के त्योहार से 10 दिन पूर्व से।

उक्त के अतिरिक्त यथावश्कता आकस्मिक रूप से भी विशेष प्रवर्तन अभियान आबकारी विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। विशेष पर्वतन अभियानों को प्रभावी बनाये जाने हेतु यथा आवश्यकता पुलिस तथा प्रशासन का सहयोग लिये जाने के भी निर्देश निर्गत किये जाते है। मुख्यालय पर स्थापित ई0आई0बी0 के उप आबकारी आयुक्त एवं सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा भी अपने निरीक्षकों के साथ अपने-अपने जोन में आयुक्त के निर्देश पर छापे डाले जाते हैं।

उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के प्रवर्तन दलों का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिसकी समीक्षा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक माह की जाती है। संयुक्त आबकारी आयुक्त एवं उप आबकारी आयुक्त के अधीन नियुक्त एस0एस0एफ0 स्टाफ द्वारा यथावश्यक नियंन्त्रक अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्य कराया जाता है। चलित वर्ष 2017-18 में दिनांक 22-05-2017 से 07-06-2017 तक चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान में विभाग द्वारा 15544 अभियोगों के अन्तर्गत 446453 ब0ली0 अवैध मदिरा बरामद करते हुए 930 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

दिनांक 08-07-2017 से 14-07-2017 तक चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान में दिनांक 10-07-2017 तक विभाग द्वारा 2676 अभियोगों के अन्तर्गत 57770 ब0ली0 अवैध मदिरा बरामत करते हुए 55 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

लागू नहीं है।

डा0 आर0के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हुए मन में कुछ जिज्ञासा है, जिसे शान्त करना चाहता हूं। 22-05-2017 से 07 जून, 2017 तक 15544 एफ0आई0आर0 दर्ज हुए। जिसके सापेक्ष 930 की गिरफ्तारी हुई। इसी तरीके से 8 जुलाई, 2014 से 14 जुलाई, 2017 तक 2676 एफ0आई0आर0 दर्ज हुईं और गिरफ्तारी 55 की हुई। मान्यवर, इस पर जो कार्रवाई हुई 4 लाख 46 हजार 453 बैरल लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई। मेरे मन में जिज्ञासा यह है कि इतने बड़े पैमाने पर बरामद अवैध शराब का रख-रखाव कहॉ होता है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, इसका पुनः दुरुपयोग न हो या पुनः अवैध कारोबारियों के पास यह अवैध शराब न पहुंच जाए। इसकी सुनिश्चितता, इसकी मॉनीटरिंग कैसे की जाती है। यह जानना चाहता हूं ।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, जहॉ-जहॉ आबकारी विभाग के गोडाउन हैं, वहां पर यह जितनी भी अवैध शराब पकड़ी जाती है वहां रखी जाती है अथवा पुलिस विभाग के भी जहॉ गोडाउन होते हैं, जहॉ उनके कमरे होते हैं वहां भी रखी जाती है। वहां के सम्बन्धित अधिकारी या पुलिस थाने के अधिकारी से सुनिश्चित किया जाता है, इसकी देख-रेख होती है। जब तक मुकदमा चलता है तब तक उसको देखा जाता है और इसकी बीच-बीच में समीक्षा होती रहती है ताकि अवैध शराब वहां से गायब न हो या उसमें किसी तरीके की धांधली न हो। इस पर नजर रखी जाती है।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं जनपद प्रतापगढ़ से हूं और प्रतापगढ़ अवैध शराब के कारोबारियों को ले करके हमेशा सुर्खियों में रहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है कि इसकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती हो कि एक वर्ष में कितनी शराब की बरामदगी की गई और एक निश्चित समय के भीतर उसका पुनः ऑडिट हो जाए कि वह शराब उतनी ही मात्रा में है या कहीं उसका दुरुपयोग हुआ और जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वह रिपोर्ट मैं जानना चाहता हूं या विभाग द्वारा वह मेरे संज्ञान में लाई जाए क्योंकि एक अवैध फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर शराब बरामद हुई थी। मुझे नहीं लगता कि पुलिस विभाग के पास उसको रखने के लिए इतनी कोई जगह भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई वार्षिक ऑकड़ा है कि इतने बैरल लीटर अवैध शराब पकड़ी गई थी और एक वर्ष के बाद जब तक कोर्ट में केस फाइनल नहीं हुआ, तब तक वह शराब सुरक्षित रही।

श्री अध्यक्ष-

देखिए आपने जो प्रश्न किया है उसके एक भाग का उत्तर मा0 मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट दे दिया है। आपका प्रश्न है कि पकड़ी गई अवैध शराब को कहां रखते हैं, कैसे रखते हैं तो मा0 मंत्री जी ने बताया कि हम इन-इन जगहों पर रखते हैं। यह भी बताया कि बाद में उसका निरीक्षण, परीक्षण भी करवाते रहते हैं। आपके मूल प्रश्न में प्रतापगढ़ का उल्लेख नहीं है। मा0 मंत्री जी के पास यदि प्रतापगढ़ का अलग से कोई विवरण हो तो बता दें, न हो तो बाद में दे दें। आप पत्रावली देख लें।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, प्रतापगढ़ में अभी जल्दी ही एक बहुत बड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और वहां आबकारी विभाग के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी आ रही थीं। मैं उसका पूरा डीटेल और पूरे वर्ष भर में प्रवर्तन कार्य द्वारा जो पकड़ी गई अवैध शराब है, उसका सारा ब्यौरा मैं अपने स्तर से मा0 सदस्य को दे दूँगा।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से....

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों को भी मौका दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बोलेंगे ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, अब विपक्ष है नहीं तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग ही विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर दें क्योंकि हम लोगों की स्थिति विपक्ष से भी बदतर है ।

श्री अध्यक्ष-

स्थिति कहां बदतर है ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

स्थिति तो बदतर है ही जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, सबकी स्थिति बदतर है।

श्री अध्यक्ष-

क्या शराब से ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, शराब की बात नहीं है। मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं । मैं तो सामान्य रूप से ही बात कर रहा हूं । मैं तो सामान्य रूप से चर्चा करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप चर्चा कह रहे हैं, यह तो प्रश्न का घण्टा है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मैं आबकारी के मुद्दे पर ही बोलूंगा लेकिन आपने प्रश्न किया कि स्थिति क्या है तो मैंने वह स्थिति आपके सामने स्पष्ट की।

श्री अध्यक्ष-

हमने माननीय सदस्य पूरन प्रकाश जी को अनुमति दी है उसके बाद आप पूछ लीजिएगा।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि पिछले वित्तीय वर्षों में विभिन्न जनपदों में जो दुकानें थीं, शराब की, बीयर की या अन्य की, वह अभी तक नहीं खुली हैं कारण चाहे जो भी हो लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि जहां पर इनका स्थान था, जो एरिया था वहां पर वह दुकानें न खुलने के कारण अवैध रूप से वहां पर शराब बिक रही है उसमें नकली भी हो सकती है और जहरीली भी हो सकती है तो मैं जानना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि क्या माननीय मंत्री जी, जिन जनपदों में जो एरिया थे, जहाँ पर दुकानें अभी तक इस वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से दुकानें अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुई हैं, क्या उन्हें चालू कराएंगे ? क्या प्रदेश का जो राजस्व घट रहा है उसे बढ़ाने का कदम उठाएंगे?

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, हमारे विभाग में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनीं की पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा साढ़े आठ हजार दुकानें हमारी राष्ट्रीय राजमार्गों से विस्थापित हुईं और जिसके कारण हमारा करीब साढ़े पांच हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। बहुत सारी दुकानें आज भी हमारी स्थापित नहीं हो पाईं, उसके कारण वह जगह खाली भी है और अपने विभाग में हमने दो नये नंबर भी स्थापित किये हैं। ये सरकारी नम्बर हैं, जिस पर हमें लगातार सूचना प्राप्त हो रही है कि अवैध शराब कारोबारों के बारे में या कच्ची शराब के बारे में दिन-प्रतिदिन हमको पूरी सूचना मिल रही है। कहीं पर भी इस तरह की दुकान यदि गैर-कानूनी तरीके से या बगैर लाइसेन्स के चल रही है तो उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं माननीय सदस्य यदि हमें डीटेल दे देंगे तो हम उनका करवा देंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी का जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय में आबकारी की एक दुकान खुली है और दो दुकानें उसके बगल में खुली हैं। उसमें रोज लोग पीते हैं और गुण्डागर्दी करते हैं और यहॉ तक की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुँच जाते हैं। इसके लिए कई बार जिलाध्यक्ष ने भी और हम लोगों ने भी जिलाधिकारी और आबकारी अधिकारी को अवगत कराया और उनसे दुकानें हटाने का अनुरोध किया लेकिन आज तक दुकानें नहीं हटीं एक दिन हमने माननीय मंत्री जी से कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ? प्रश्न पूछें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

हमारा प्रश्न यह है कि जो जिले में आबकारी अधिकारी नियुक्त हैं। वह गलत धंधा करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह प्रश्न नहीं हुआ यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

और यहॉ तक मेरा कहना है आपसे कि जो शराब बनाने वाले गिरोह हैं उनको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है और इस मामले में मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। कृपया आप बता दें कि वे दुकानें कब तक हटेंगीं और दूसरा यह बता दें कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, जिस जिले का आपने उल्लेख किया है उस जिले का प्रकरण मूल प्रश्न में नहीं है। माननीय मंत्री जी नीतिगत उत्तर ही संभवतः दे सकते हैं, वह आप दे दें।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने परसो मुझे इस सम्बन्ध में बताया था और मैंने विभाग के अधिकारी को बता दिया है कि उसको वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र करने के लिए हमने आदेश कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री जटा शंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, एक निवेदन था कि हमारी सरकार के द्वारा आबकारी और मद्य निषेध विभाग का उल्लेख है। आबकारी विभाग से जो हमें आय मिलती है उस आय के हिस्सा में से कितना हिस्सा मद्य निषेध पर खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इस सवाल से जुड़ा सवाल ही पूछिए। जो मूल सवाल आपका एजेण्डे में उससे संबंधित प्रश्न पूछिये।

श्री जटा शंकर त्रिपाठी-

प्रश्न में ही है माननीय अध्यक्ष जी कि आबकारी में से मद्य निषेध में कितने प्रतिशत पैसा हम खर्च करते हैं?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल सवाल का भाग नहीं है। आपका सवाल ठीक हो सकता है लेकिन यह मूल प्रश्न का अनुपूरक नहीं है। आप बैठिए।

श्री गिरिराज सिंह धर्मेश-

स्कूलों और मंदिर के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती, क्या किसी राष्ट्रीय महापुरूष की प्रतिमा लगी हो तो वहॉ पर क्या उसके पास दुकानें खोली जा सकती हैं?

श्री अध्यक्ष-

यह नीतिगत प्रश्न है इनका कहना है कि स्कूल के पास, कालेज के पास शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वर्मा जी ने एक प्रश्न किया उसके ऊपर माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया उसके बाद जो सप्लीमेन्ट्री किया उसके ऊपर भी जवाब आ गया अब हर जिले के बावत हर जिले की सूचना तो नहीं होती इसलिए मैं समझता हूं कि वह प्रश्न जो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है तो उसका उत्तर देने में मंत्री जी को कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष-

यह हमने पहले ही कहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय विधायक जी की या मूल प्रश्नकर्ता की जो जिज्ञासा थी वह तो पूरी हो गयी मान्यवर, अब इस प्रश्न पर वैसे ही 15 मिनट हो चुके हैं मेरा निवेदन यह है कि जो अलग-अलग माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है उसके संबंध में बिना रिपोर्ट आये बिना विभाग से कुछ आये, इसलिए मान्यवर, अगला प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष-

हमने 3 सदस्यों के प्रश्न इसीलिए स्वीकार नहीं किये अंतिम प्रश्न इस बात से जुड़ा हुआ है कि स्कूल कालेज के पास का यह नीतिगत मामला है, स्कूल कालेज के पास अगर नहीं है तो क्या कोई राष्ट्रीय महापुरूषों मे भी नहीं है। बाकी मैंने एलाऊ नहीं किये प्रश्न।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया था 2008 में और उसमें एक नीति निर्धारित किया गया था कि धार्मिक स्थलों, चिकित्सालय और जो इस तरह के स्कूल हैं जो परिभाषित किये गये थे एक पर्टिकुलर कि इतनी क्षमता की या इतना बड़ा धार्मिक स्थल हों या उसका स्कूल हो

उससे 100 मीटर की दूरी पर कोई शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश मे था उसके बाद हमारी सरकार बनने के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी एक अनुरोध था कि 100 मीटर से भी थोड़ा हटाकर और दूरी करने पर इन जगहों पर तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकायों का शीघ्र भुगतान कराने हेतु कार्य-योजना की जानकारी

***01-श्री अजय कुमार 'लल्लू' (अनुपस्थित)-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में प्रदेश की सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना-कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान दिलाने की कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास, चीनी मिलें तथा औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)-

पेराई सत्र 2015-16 एवं पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत सहकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर दिनांक 21-07-2017 की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार गन्ना मूल्य अवशेष है :--

पेराई सत्र	अवशेष गन्ना मूल्य (करोड़ रु0)	
	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
2015-16	0.00	53.19
2016-17	401.25	2,074.96

गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के अन्तर्गत व्यवस्था विद्यमान है, जिसके प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है। गत पेराई सत्र 2015-16 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल बहेड़ी जनपद बरेली पर कुल गन्ना मूल्य रु0 87.01 करोड़ बकाया होने के कारण उसके विरुद्ध गन्ना आयुक्त के द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2016 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था। उक्त चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष वर्तमान सरकार के गठन के समय दिनांक 20 मार्च, 2017 को रु0 78.13 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष था एवं तदक्रम में दिनांक 20 मार्च, 2017 से दिनांक 21 जुलाई, 2017 तक विभिन्न तिथियों में कुल रु0 24.94 करोड़ का गन्ना मूल्य चीनी मिल द्वारा भुगतान किया गया एवं वर्तमान में रु0 53019 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। इसके अतिरिक्त चीनी मिल के पास उपलब्ध चीनी स्टाक की बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि (रु0 29.87 करोड़) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-52313/2016 में पारित आदेश दिनांक 09-05-2017 के अनुपालन में रजिस्ट्रा जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नाम बैंकर्स चेक दिनांक 18-05-2017 द्वारा जमा किया गया है।

वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत दिनांक 21-07-2017 तक कुल देय गन्ना मूल्य रु0 25386.77 करोड़ के सापेक्ष रु0 22910.55 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जो कुल देय का 90.25 प्रतिशत है तथा रु0 2476.22 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। उल्लेखनीय है गत वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दिनांक 21-07-2016 तक कुल रु0 14854.98 करोड़ (82.52 प्रतिशत) का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ था जबकि वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में अभी तक रु0 22910.55 करोड़ (90.25 प्रतिशत) गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कराया जा चुका है जो गत वर्ष से रु0 8055.57 कारोड़ अधिक है। गन्ना मूल्य भुगतान में यह प्रगति सरकार के विशेष प्रयासों के कारण सम्भव हुई है। बकाया गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु सभी बकायेदार चीनी मिलों को समय-समय पर यथा दिनांक 08-12-2016, 01-03-2017, 17-03-2017 एवं 21-03-2017 को नोटिसें निर्गत की गयी। इसके पश्चात् दिनांक 14-07-2017 को गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा कम गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है कि उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई क्यों न की जाये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा करें। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चीनी मिलों से सम्बन्धित गन्ना समितियों को घाटे से उबारने विषयक

***02-श्री नितिन अग्रवाल (अनुपस्थित)-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों से सम्बन्धित कुल कितनी गन्ना समितियां हैं एवं उनमें कितनी लाभ में एवं कितनी घाटे में चल रही हैं ? क्या घाटे में चल रही गन्ना समितियों को घाटे से उबारने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी, कि वर्ष 2011 से दिनांक 30-4-2017 तक कितनी गन्ना समितियों को घाटे से उबारा जा चुका है ?

श्री सुरेश राणा-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्बन्धित कुल 169 सहकारी गन्ना विकास समितियां पंजीकृत एवं कार्यरत है, जिनमें से 112 सहकारी गन्ना समितियां सकल लाभ में हैं और 56 गन्ना समितियां सकल हानि में चल रही हैं तथा गन्ना समिति रजपुरा जनपद-सम्भल नवसृजित है।

प्रदेश में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत एवं कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समितियां स्ववित्त पोषित स्वायत्तशासी सहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। सहकारी गन्ना विकास समितियों को घाटे से उबारने हेतु गन्ना समितियों में उर्वरक व्यवसाय को बढ़ावा देकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने, कृषकों पर गन्ना समितियों के पुराने बकाये की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू करने, सहकारी गन्ना विकास समितियों पर गन्ना संघ के बकाये की वसूली के सम्बन्ध में एकमुश्त योजना लागू करने के साथ ही समितियों के मानव संसाधन का समुचित उपयोग कर समितियों के प्रबन्ध व्यय में सुधार लाये जाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु बजटीय मितव्ययता के साथ ही बजट स्वीकृति की पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवस्था लागू की गयी है, जिससे इनकी वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2011 से दिनांक 30-04-2017 तक प्रदेश की 04 गन्ना विकास समितियां यथा-सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, ऐशबाग जनपद-लखनऊ, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 चन्दौसी, जनपद-सम्भल, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 छाता, जनपद-मथुरा तथा सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 रायबरेली, जनपद-रायबरेली को घाटे से उबारा जा चुका है तथा प्रदेश की 29 गन्ना विकास समितियों में वर्ष 2011 के सापेक्ष वर्ष 2017 में उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नितिन अग्रवाल जी नहीं हैं।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल को शुद्ध करने की कोई योजना बनाने की मांग

***03-श्री संजय गर्ग (अनुपस्थित)-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भू-गर्भ जल प्रदूषित होने के कारण शुद्ध पेयजल न मिलने से क्षेत्रीय जनता में बीमारियां बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल को शुद्ध करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास, संसदीय कार्य, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भू-गर्भ जल के प्रयोग के लिए उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से स्थापित गहरे नलकूपों के माध्यम से द्वितीय जल स्तर के पानी को टैप कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। गहरे नलकूपों के पानी से बीमारियां बढ़ने की कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लगभग समस्त नागर निकायों में उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से स्थापित गहरे नलकूपों के माध्यम से द्वितीय जल स्तर के पानी को टैप कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उक्त के साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले 60 शहरों में 'अमृत' योजना संचालित की जा रही है। अमृत योजना के अन्तर्गत इन शहरों के समस्त घरों को पाइप पेयजल से जोड़ा जाना लक्षित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संजय गर्ग जी नहीं हैं।

प्रदेश की सड़कों के किनारे मार्ग निर्माण हेतु काटे गये पेड़ों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये जाने सम्बन्धी

***04-श्री पंकज सिंह-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरों व सड़कों को बनाते समय काटे जाने वाले पेड़ कौन से पेड़ थे और उनके काटे जाने पर कौन-कौन से पेड़ लगाये जा रहे हैं और उनकी

उम्र क्या है और गुणवत्ता क्या है, और उनके काटे जाने से पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, की जानकारी हेतु कोई तंत्र सरकार ने विकसित किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई स्वतंत्र इकाई गठित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

प्रदेश में शहरों व सड़कों को बनाते समय सामान्यतः शीशम, आम, नीम, जामुन, बरगद, पीपल, पाकड़, कंजी, अर्जुन आदि पेड़ों को सार्वजनिक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई0 अथवा अन्य कार्यदायी संस्था के आवेदन पर विधिवत/नियमानुसार स्वीकृति के उपरान्त काटा जाता है। सड़क निर्माण अथवा चौड़ीकरण के उपरान्त उपलब्ध पटरी भूमि पर वन विभाग द्वारा शीशम, नीम, जामुन, इमली, अर्जुन, पीपल, बरगद, पाकड़ एवं अन्य छायादार पौधों का रोपण भूमि की उपलब्धता के अनुरूप कराया जाता है। 1 1/2 से 2 वर्ष तक उम्र के उच्च गुणवत्ता की पौधों का रोपण किया जाता है। पेड़ों के काटे जाने से पड़ने वाले असर की जानकारी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं है, अपितु कटे वृक्षों के स्थान पर नये वृक्षों के रोपण से दुष्प्रभावों को न्यून किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसमें हम एक छोटा सा प्रश्न करना चाहते हैं।

मान्यवर, जब पेड़, काटने की बात आयी है कोई गरीब आदमी अपना घर बनाने के लिए पेड़ काटने की इच्छा रखता है तो उसको परमीशन लेना पड़ता है क्या यह पी0डब्लू0डी0 वाले सड़क के किनारे पेड़ के काटने की परमीशन लेते है ?

श्री दारा सिंह चौहान-

हर डिपार्टमेन्ट चूंकि प्रदेश के विकास के लिए हर विभाग का गाइडलाइन्स है, इस आधार पर उसमें से एक 5 हेक्टेयर से कम जो है उसमें 110 दिन और 5 हेक्टेयर व उससे ज्यादा है तो सेन्ट्रल को जाता है परमीशन के लिए इसमें 180 दिन तक लगते है।

प्रदेश में कृषि आच्छादित कुल क्षेत्रफल एवं नहर प्रणाली विकसित करने की जानकारी

***05-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का कितना क्षेत्रफल नहरों से आच्छादित है तथा कितना क्षेत्रफल नहरों से आच्छादित है ? क्या सरकार शेष कृषि योग्य भूमि में नहर प्रणाली विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 188.40 लाख हेक्टेयर है। इनमें से कृषि योग्य भूमि का नहरों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 101.16 लाख हेक्टेयर तथा अनाच्छादित क्षेत्रफल 87.24 लाख हेक्टेयर है।

जी हां, सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य रूप से वर्तमान में सरयू नहर परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना द्वितीय चरण विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 17.44 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। उक्त परियोजनाएं वर्ष 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 के वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 87 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अभी नहर सिंचाई प्रणाली से आच्छादित नहीं है और हम सब लोग प्रायः जब भौगोलिक निरीक्षण करते हैं तो जहॉ पर नहर प्रणाली विकसित नहीं है, वह विकास खंड डार्क जोन और क्रिटिकल जोन में है और गिरता हुआ भू-गर्भ जल प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है मान्यवर, जो परियोजनायें जैसे सरयू नहर परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना इन परियोजनाओं से सिंचाई नहर प्रणाली डार्क जोन में सेचुरेट करने के लिये पहली प्राथमिकता देने पर क्या विचार होगा जिससे सरफेस वाटर बढ़ाकर गिरते हुये भू-गर्भ जल को रोका जा सके ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, मैं समझता हूं कि वह सरकार की भी चिन्ता है और वह पूरे प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है कि भू-गर्भ जलस्तर गिर रहा है । उसके लिये लगातार ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी उसके लिये कई कदम उठाये गये हैं और उसके लिये पूरी तरह से सरकार सचेत है, सतर्क है और हमने कई उपाय उसके लिये किये हैं । जो उपाय किये जा रहे थे उसमें हम तेजी भी ला रहे हैं और उसको और गंभीरता से कर रहे हैं । जहॉ तक आपकी चिन्ता है अनाच्छादित क्षेत्रफल 87.24 लाख हेक्टेयर के संबंध में । हमारे उत्तर के दूसरे पैराग्राफ में मान्यवर, इसका पूरी तरह से उत्तर दिया हुआ है और हमने यह भी कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 2020 तक हम इसको हर हालत में पूरा करें और उसको कड़ाई से निर्देश देकर समय पर यह योजनायें पूरी हो जायें ताकि जितना भी अनाच्छादित क्षेत्रफल है उसको किसी न किसी रूप में आच्छादित किया जा सके।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, बुन्देलखंड के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि बुन्देलखंड का अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी इलाकों से घिरा है दूसरा वहां के अधिकतर जिन विकास खंडों का जलस्तर गिर चुका है वहॉ क्या सरकार उनकी जॉच कराकर नये ट्यूबवेल लगावाने की व्यवस्था करेगी या कोई ऐसी प्रणाली विकसित करने जा रही है जिससे पहाड़ी इलाकों में और बुन्देलखंड क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सके और अगर कर रही है तो कब तक कर रही है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो सदस्य की जिज्ञासा है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के बारे में बजट में अलग से भी व्यवस्था की जा रही है और माननीय सदस्य की जो चिन्ता है हम उसके

लिये पूरी तरीके से सचेत हैं कि हर हालत में बुन्देलखंड में किसी भी प्रकार से सिंचाई में असुविधा न हो आम काश्तकार यह महसूस कर सके और सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना ला भी रही है, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा चिन्ता की गई है। इस समय हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए हम मा0 सदस्य को अलग से भी अवगत करा देंगे।

अतारांकित प्रश्न

जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा वीरमपुर से विजयीपुर त्रिमुहानी घाट तक जर्जर खडन्जे पर लेपन कार्य की मांग

1-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा वीरमपुर से चन्डी माता मंदिर होते हुए विजयीपुर त्रिमुहानी घाट तक खडण्जा पर लेपन कार्य जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खडण्जा मार्ग पर लेपन का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा वीरमपुर से चन्डी माता मंदिर होते हुए विजयीपुर त्रिमुहानी घाट तक खड़ण्जा मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। खड़न्जा ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है जो लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के वि0ख0 केराकत के ग्राम सभा जमुआ से रतनपुर तक खड़न्जा पर लेपन कार्य की मांग

02-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत की ग्राम सभा जमुआ से विशुनपुर बघेड़ा पटइले होते हुये रतनूपुर तक सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत की ग्राम सभा जमुआ से विशुनपुर बघेड़ा पटइले होते हुए रतनपुर तक सड़क की कुल लम्बाई 3.90 कि0मी0 है जो 4 भागों में निर्मित है :--

(1) 0.500 कि0मी0 सी0सी0 रोड जो ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जौनपुर द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(2) 1.30 कि0मी0 खड़ंजा व 0.300 कि0मी0 कच्चा मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(3) 1.70 कि0मी0 लेपित मार्ग जिला पंचायत, जौनपुर द्वारा निर्मित है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या-05 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(4) 0.100 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है जिसकी दशा संतोषजनक है।

मार्ग पर विशुनपुर, जमुआ, बघेड़ा पटइले व रतनपुर ग्राम पड़ते है, जिसके ग्राम रतनपुर, बघेड़ा पटइले, जमुआ एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। विशुनपुर ग्राम की आबादी 250 से कम होने के कारण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रदेश की सड़कों के किनारे व अन्य राजकीय जमीन पर सूखे वृक्ष को समयबद्ध नीलाम किए जाने की जानकारी

03-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों के किनारे व अन्य राजकीय जमीन पर लगे सूखे वृक्षों को वन निगम द्वारा कटाकर सुरक्षित अपने कब्जे में लेने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा सड़क के किनारे सूखे/उखड़े/गिरे/पेड़ एवं जर्जर अवस्था में स्थित ऐसे पेड़ जिनसे जान-माल की हानि होने का खतरा रहता है, का छपान कर विक्रय सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश वन निगम को दिये जाते है। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा ऐसे पेड़ों को कटवाकर निकटतम डिपो में रखा जाता है। जहां निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त वन निगम द्वारा इसका विक्रय करके निस्तारण किया जाता है।

लागू नहीं।

जनपद सीतापुर में केवानी नदी में चीनी मिलों द्वारा प्रदूषित करने के लिए चीनी मालिकों पर कार्रवाई की मांग

04-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में स्थित केवानी नदी में स्थानीय चीनी मिलों द्वारा डाले जा रहे गन्दे पानी की वजह से नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है व नदी में मछली, कछुआ व अन्य जीव-जन्तुओं की मृत्यु हो रही है ? यदि हां, तो कया सरकार उक्त चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

जनपद-सीतापुर स्थित केवानी नदी के परिक्षेत्र में मैसर्स दि सेक्सरिया बिसवां, शुगर फैक्ट्री लि0, शुगर एवं आसवनी इकाई स्थित है।

आसवनी इकाई शुन्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था पर आधारित है। आसवनी इकाई से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह इकाई परिसर के बाहर निस्तारित नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के बिसवां राजवाहा में माइनर की क्षमता विस्तार कर किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने विषयक

05-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत विसवा राजवाहा में नहर के अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर के क्षमता विस्तारण कर टेल तक पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत बिसवां राजवाहा की कुल लम्बाई 33.83 कि0मी0 है। खरीफ 1425 फसली में राजवाहा बिसवां के कि0मी0 25.00 तक पानी पहुंच चुका है एवं इसके अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास जारी है तथा अतिशीघ्र अन्तिम छोर तक पानी पहुंच जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की सकलडीहा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

06-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के बलुआ चहनिया धानापुर जमनिया और पपौरा रामगढ़ क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत बलुआ-चहनिया-धानापुर-जमानिया मार्ग लम्बाई 42 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 02 अगस्त, 2016 द्वारा लागत रु0 7659.00 लाख स्वीकृत है। मार्ग पर अब तक कुल रु0 499.57 लाख आवंटित है जिसके सापेक्ष कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

इसके अतिरिक्त पपौरा-प्रभुपुर रसूलपुर ककरही-रामगढ़-बड़गांव मार्ग लम्बाई 11.40 कि0मी0, अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है। मार्ग को गड्ढामुक्त योजनान्तर्गत पैच मरम्मत किया गया है। वर्तमान मे मार्ग की दशा संतोषजनक है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय, भूपौली, चहनिया मार्ग का चौड़ीकरण कराने की मांग

07-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय भूपौली चहनिया मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मार्ग चौड़ीकरण किये जाने हेतु पी0सी0यू0 (पैसेन्जर कार यूनिट) प्रतिदिन 5000 होना आवश्यक है। प्रश्नगत मार्ग का पी0सी0यू0 प्रतिदिन 2876 है। अतः चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से आच्छादित नहीं है।

जनपद चन्दौली के सकलडीहा-सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की जानकारी

08-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में सकलडीहा सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग को सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर फोर लेन बनाकर जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

चन्दौली-सकलडीहा सैदपुर मार्ग (राज्य संख्या-69) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु अनापत्ति शासन के पत्रांक संख्या-584-23-12-2017-1183/16, दिनांक 16-05-2017 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनान्तर्गत सरयू नहर के निर्माण, पुनर्स्थापना प्रोटेक्शन वर्क तथा बन्धों के निर्माण को पूर्ण करने की जानकारी तथा वर्षवार 2012 से 26-05-2017 तक स्वीकृत धन का विवरण

09-श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 से राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनान्तर्गत सरयू नहर के निर्माण, पुनर्स्थापना प्रोटेक्शन वर्क तथा बन्धों के वर्ष 2012 से आरम्भ निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा सम्बन्धित जिलों में वर्ष 2012 से दिनांक 26-5-2017 तक वर्षवार कितना धन स्वीकृति एवं व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अवशेष समस्त कार्यों को वर्ष 2019-20 तक पूर्ण कराने का प्रस्ताव है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर सम्बन्धित जिलों में वर्ष 2012 से अब तक निम्नानुसार धन स्वीकृत एवं व्यय किया गया :--

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत एवं व्यय की गयी धनराशि (करोड़ रु0 में)
1	2	3
1	2011-2012	85.47
2	2012-2013	224.47
3	2013-2014	499.70
4	2014-2015	623.00
5	2015-2016	834.00
6	2016-2017	300.00
	योग	2566.64

जी हां।

उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा वर्ष 2019-20 निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकारी नलकूप लगाये जाने की जानकारी

10-श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नव सृजित जनपदों में जहां सिंचाई हेतु नहर आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, में किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्ष 2012 से 2017 तक प्रदेश में हापुड़, शामली एवं सम्भल जनपद सृजित हुए हैं। इन नवसृजित जनपदों में निम्नानुसार कार्यशील राजकीय नलकूपों से कृषकों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है :--

क्र0सं0	नवसृजित जनपद	कार्यशील नलकूपों की संख्या
1	हापुड़	133
2	शामली	91
3	सम्भल	583

किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रचलित परियोजनाओं के अन्तर्गत नवीन नलकूपों का निर्माण कराती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी से तहसील सदर के ग्राम भैठोली अन्तर्गत दबंगों द्वारा ग्राम समाज के जमीन पर अवैध कब्जे पर उनके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग

11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की तहसील सदर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम भैठौली में दबंगों द्वारा ग्राम समाज के सरकारी तालाब को पाटकर अवैध रूप से भवन निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अवैध रूप से ग्राम समाज के सरकारी तालाब पर कराये गये भवन निर्माण को ध्वस्त कराते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं। ग्राम भैठोली के किसी तालाब का आराजी नम्बर अंकित नहीं किया गया है अभिलेख के मुताबिक ग्राम सभा भैठोली के तालाब मौके पर विद्यमान हैं व खाली हैं तथा किसी भी तालाब पर कोई भी भवन निर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-फैजाबाद-टांडा-आजमगढ़ मार्ग के लिए अकबरपुर में मार्ग बाई पास बनाये जाने की मांग

12-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-फैजाबाद मार्ग पर वाहनों का आवागमन बढ़ने एवं उनके अकबरपुर नगर से होकर ही गुजरने के कारण जनसामान्य को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु अकबरपुर-फैजाबाद-टांडा-आजमगढ़ मार्ग के लिये अकबरपुर में बाई-पास बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-फैजाबाद मार्ग के शहरी भाग में जाम की समस्या के दृष्टिगत एन0एच0ए0आई0 द्वारा रा0मा0-232 के टाण्डा, रायबरेली वाया सुल्तानपुर भाग में स्थित ग्राम-विजयगांव से ग्राम-कसेरुआ तक 12.00 कि0मी0 लम्बाई में अकबरपुर वाईपास निर्माणाधीन है। ग्राम-कसेरूआ से अकबरपुर-फैजाबाद भाग पर स्थित ग्राम वैरमपुर वरवांतक वाईपास की शेष लम्बाई के निर्माण हेतु एन0एच0ए0आई0 द्वारा वाराणसी-सिधौरा-जौनपुर-शाहगंज-अकबरपुर-अयोध्या तक चार लेन चौड़ीकरण की डी0पी0आर0 में प्राविधान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में तपोवन नगर, अवध विहार कालोनी, पो0 मानक नगर में सी0सी0 रोड एवं नाली बनवाये जाने की मांग

13-मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के तपोवन नगर, अवध विहार कालोनी, पो0 मानक नगर, निकट माडल पब्लिक स्कूल का रास्ता कच्चा एवं पथरीला है एवं वहां निरन्तर जल भराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त कच्चे मार्ग को सी0सी0 रोड एवं नाली बनवाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रतिदिन भारी मात्रा में निकलने वाले कचरों से होने वाले पर्यावरण की हानि से बचाने के लिये कार्य योजना की जानकारी

14-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिदिन भारी मात्रा में निकलने वाले पालीथीन, प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण व मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या पर्यावरण व मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इन कचरों से बचाने हेतु कोई प्रभावी नीति सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जी हां।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदेश में पालिथीन कैरी बैग्स के विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात, हथालन, क्रय-विक्रय एवं प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 22-12-2015 अधिसूचित की गयी है, जो दिनांक 21-01-2016 से प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में कटरा मेदनीगंज व मान्धाता में बाईपास बनवाये जाने की मांग

15-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय से चलकर मान्धाता कटरा गुलाब सिंह, कल्यानपुर होकर सोरांव इलाहाबाद जाने वाले मार्ग पर कटरा मेदनीगंज व मान्धाता

बाजार की सड़क संकरी होने व अतिक्रमण होने से प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाम से बचाने के लिये कटरा मेदनीगंज व मान्धाता में बाइपास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 49.00 कि0मी0 है एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है। इस मार्ग के कि0मी0 7 एवं 8 में कटरा मेदनीगंज का आबादी भाग एवं बाजार है। इस भाग में मार्ग वर्ष 7.00 मी0 (दो लेन) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है।

मार्ग के कि0मी0 19 एवं 20 में मान्धाता कस्बे का आबादी भाग एवं बाजार है, जहां पर कुछ अस्थायी अतिक्रमण होने के कारण मार्ग पर कभी-कभी अल्प समय के लिये जाम की स्थिति बन जाती है, जिसके निराकरण के लिये मार्ग को 7.00 मी0 (दो लेन) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ के अलीगंज के आवासीय योजना के भवन सं0 एल-6/36A की नियम विरुद्ध रजिस्ट्री को निरस्त कराने सम्बन्धी

16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के अलीगंज आवासीय योजना के भवन सं0 एल-6/36ए, जो कि पूर्व में तीन एल0आई0जी0 के भू-खण्ड थे, के भवन स्वामी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों से तीनों एल0आई0जी0, एम0आई0जी0 के भू-खण्डों को एक बनाकर नियम विरुद्ध रजिस्ट्री करा ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर भवन सं0 एल-6/36ए की रजिस्ट्री को निरस्त करेगी तथा उक्त में संलिप्त दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण/नियोजन अनुभाग के आख्या के अनुसार भू-विन्यास मानचित्र में तीन एल0आई0जी0 भवनों/भू-खण्डों का प्राविधान था। एल0आई0जी0 भवन सं0-22 से एल-6/36ए के निर्माण करते समय 20 फुट सड़क को सीधा करते हुए 24 मीटर चौड़े मार्ग पर मिला देने के कारण इन तीनों भू-खण्डों में लगभग दो भू-खण्डों की भूमि सड़क में जाने के कारण, तीनों भवनों/भू-खण्डों में एक ही भवन/भू-खण्ड बनने से भूमि रिक्त रह गयी, जिससे प्रश्नगत भूमि के बगल में पूर्व की ओर 20 फुट चौड़ी सड़क सृजित हुई है। एक्जीक्यूसन प्लान के अनुसार रिक्त भूमि/भू-खण्ड, जिसका क्षेत्रफल 233.49 वर्ग मीटर है, को एल-6/36ए नम्बर देते हुए लीज प्लान उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर प्रश्नगत एक भू-खण्ड का आवंटन उपाध्यक्ष के अनुमोदन दिनांक 20-02-2001 के उपरान्त दिनांक 11-01-2002 को निबन्धन की कार्रवाई की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के अलीगंज के आवासीय योजना के एल-6/36 ए के भवन स्वामी द्वारा एल-6/36 व एल-6/36 ए के मध्य अवैध भवन निर्माण को मुक्त कराये जाने की मांग

17-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के अलीगंज आवासीय योजना एल-6/36ए के भवन स्वामी द्वारा भवन सं0 एल-6/36 व एल-6/36ए के मध्य सड़क का अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कराया गया है, जिससे कालोनी के लोगों को अत्यंत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध अतिक्रमण किए हुए मार्ग को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अलीगंज आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र के सकलडीहा के अन्तर्गत हाइ-वे से रवेसा घूस मार्ग का निर्माण कराने विषयक

18-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत हाइ-वे से रवेसा घूस मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत हाइवे से रवेसा घूस तक मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसमें से हाइ-वे (एन0एच0-2) से रेवसा तक लम्बाई 1.80 कि0मी0 लेपित मार्ग है, जिसके नवीनीकरण हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के पत्र दिनांक 11-05-17 द्वारा रु0 14.87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। रेवसा से घूस तक लम्बाई 1.30 कि0मी0 कच्चा मार्ग है। घूस व रेवसा दोनों ग्राम अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र के सकलडीहा के अन्तर्गत पड़ाव-पचपेड़वा मार्ग से आलमपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की जानकारी

19-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत पड़ाव पचपेड़वा मार्ग से आलमपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने की कोई समय सीमा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत पड़ाव-पचपेड़वा मार्ग से आलमपुर सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसके सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 11-05-2017 द्वारा रु0 7.44 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जनपद चन्दौली के लेहरा मनिहरा ड्रेन की खुदाई जे0सी0बी0 मशीन से कराये जाने सम्बन्धी

20-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के लेहरा मनिहरा ड्रेन की खुदाई जे0सी0बी0 मशीन से सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद चन्दौली के लेहरा मनिहरा ड्रेन की खुदाई की परियोजना लागत रु0 135.09 लाख तैयार की गयी है। उक्त परियोजना के साध्य पाये जाने, सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत भूपौली कैनाल (चन्दौली नहर) की लाइनिंग का पक्का निर्माण कराये जाने विषयक

21-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत भूपौली कैनाल (चन्दौली नहर) की लाइनिंग का पक्का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत भूपौली पम्प कैनाल के कि0मी0 0.280 से कि0मी0 6.030 एवं कि0मी0 6.506 से कि0मी0 7.940 पर सी0सी0 लाइनिंग की परियोजना रु0 3466.73 लाख की तैयार कर ली गयी है।

परियोजना के स्वीकृत होने व धनावंटन के पश्चात् कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर-आई कानपुर रोड के ई0डब्लू0एस0 आवासों के मध्य अवैध पार्किंग तथा सड़क पर अवैध चबूतरा बनाये जाने का प्रकरण

22-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर-आई कानपुर रोड के ई0डब्लू0एस0 आवासों के मध्य बने पार्क खाली स्थान पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर कारों की पार्किंग बना लिया गया है तथा कतिपय अध्यासियों ने अपने

आवास के सामने अवैध रूप से सड़क पर चबूतरा बनाने से आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध पार्किंग तथा सड़क पर बने चबूतरों को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित की गयी है। ई0डब्ल्यू0एस0 पाकेट के मध्य खुला स्थान है, जिस पर इण्टरलाकिंग लगी है। स्थानीय निवासियों द्वारा इस पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। अस्थायी रूप से वाहन खड़ा किया जा रहा है। कतिपय अध्यासियों द्वारा अपने आवास के सामने प्रवेश हेतु रैम्प आदि अस्थायी रूप से बना लिया गया है, जिससे आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराने की जानकारी

23-श्री राकेश सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई हेतु लगाए गये राजकीय नलकूपों में से कितने चालू स्थिति में है तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार सर्वे कराकर खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में दिनांक 01-04-2017 को 33351 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं। अद्यतन सूचनानुसार प्रदेश में 497 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष एवं 671 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से अर्थात् कुल 1168 राजकीय नलकूप बन्द हैं और 32183 राजकीय नलकूप चालू हैं।

जी हां।

राजकीय नलकूपों का विद्युत एवं यांत्रिक दोष से बन्द होना एवं ठीक कराकर चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों की विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कराकर चालू किया जाता है एवं विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको चालू कराये जाने की कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी के निर्मलीकरण व सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-2017 में किये गये बजट प्रावधान का विवरण

24-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के निर्मलीकरण व सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 में कितने-कितने बजट का प्रावधान था ? क्या उक्त योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कराये गये कार्यों का अद्यतन विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लखनऊ में हार्डिंग ब्रिज से वीयर तक गोमती नदी की चैनलाइजेशन की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रु0 500.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 933.32 करोड़ का प्रावधान था।

जी नहीं।

परियोजना के कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जोगापुर पम्प कैनाल कौशाम्बी के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

25-श्री लाल बहादुर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के जोगापुर पम्प कैनाल का कार्य प्रारम्भ हुए 10 वर्ष से अधिक हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कैनाल का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की समय सीमा कर अवशेष कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जोगापुर पम्प कैनाल का निर्माण कार्य लगभग 6 वर्ष पूर्व 2010-11 में प्रारम्भ हुआ था।

कथित पम्प नहर के स्वतंत्र पोषक परिवर्धित पारेषण लाइन का कार्य, जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कार्य एवं पम्प नहर शीर्ष का कुछ कार्य अवशेष है। अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु परियोजना का गठन किया गया है। बजट की उपलब्धता होने पर परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य कराये जाएंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने की मांग

26-श्री लाल बहादुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में भी मात्र 10 सूचना आयुक्त होने के कारण सूचना आयुक्तों पर अत्यधिक बोझ होने के कारण जनता को सूचना का अधिकार का सुचारू रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार का अधिनियम है। उक्त अधिनियम की धारा-15 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और

(ख) दस से अनधिक इतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जायं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार का अधिनियम होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या दस से अधिक नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज की कतिपय ग्राम सभाओं को नवगठित नगर पंचायत रानीगंज में शामिल करने की मांग

27-श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में नवगठित नगरपंचायत रानीगंज में ग्राम सभा पचरास को शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रूपीपुर ग्राम सभा जो कभी पचरास ग्राम सभा से मिली थी तथा रानीगंज बाजार के निकट की ग्राम सभा से मिली थी तथा रानीगंज बाजार के निकट की ग्राम सभा बरहदा, मीठलपुर, दरियापुर कैशपट्टी आदि को नवगठित नगर पंचायत में शामिल न किये जाने के क्या कारण है ? क्या उक्त कारणों का निराकरण कर सरकार उक्त ग्राम सभाओं को नवगठित नगर पंचायत में शामिल करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

ग्राम सभा रूपीपुर का रेलवे लाइन के दक्षिण में स्थित भाग जहां शहरी गुण पाये गये, उसे नगर पंचायत में शामिल किया गया है। रेलवे लाइन के उत्तर का भाग कृषि क्षेत्र होने के कारण नहीं लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता में बाढ़ के कटान से रोकने हेतु तटबंध का निर्माण कराने की मांग

28-श्री ज्ञान तिवारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के सेउता विधान सभा क्षेत्र स्थित नदी से बाढ़ एवं होने वाली कटान को रोकने के लिए सरकार उक्त नदी पर स्थाई तटबंधों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा एवं घाघरा नदी के किनारे कटान होने वाले स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य की 05 अदद् परियोजनायें बनाई गई है। उक्त परियोजनाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के ग्रामीणों को घाघरा नदी की बाढ़ के प्रकोप से बचाने की कार्य योजना की जानकारी

29-श्री ज्ञान तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के सेउता विधान सभा क्षेत्र में प्रति वर्ष घाघरा व शारदा नदी की बाढ़ के समय निर्वासित ग्रामीणों के पुनर्वास की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां। तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने हेतु निकटतम उपलब्ध उपयुक्त ग्रामीण क्षेत्र में ही भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटित किये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 31-07-2012 द्वारा प्राविधानित है। जनपद सीतापुर के सेउता विधान सभा क्षेत्र में प्रति वर्ष घाघरा व शारदा नदी की बाढ़ के समय निर्वासित ग्रामीणों के अस्थायी पुनर्वास के लिए निकटतम विद्यालयों का प्रयोग किया जाता है। बाढ़ के कटान से प्रभावित 559 परिवारों को 8.7623 हे0 भूमि क्रय करके पुनर्वासित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के ऊंचाहार खरौली तीर के पुरवा में गंगा नदी पर बने प्लाटून पुल के स्थान पर स्थाई पक्का पुल बनाये जाने सम्बन्धी

30-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में वर्तमान में कुल कितने पैन्टून पुल संचालित हो रहे हैं ? क्या सरकार जनपद रायबरेली के ऊंचाहार खरौली तीर के पुरवा में गंगा नदी पर बने पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में 60 नं0 पैन्टून पुल संचालित हो रहे है।

प्रस्तावित स्थल पर अप स्ट्रीम में 56 कि0मी0 दूरी पर गंगा नदी पर डलमऊ घाट पर एवं डाउन स्ट्रीम में 29 कि0मी0 की दूरी पर यात्री घाट व मानिकपुर घाट के मध्य गंगा नदी पर सेतु निर्मित है। प्रस्तावित स्थल पर सेतु का निर्माण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली को नवीन तहसील बनाये जाने की मांग

31-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली को नवीन तहसील बनाये जाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने की राजस्व विभाग की रिपोर्ट सरकार

को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र असमोली को नवीन तहसील बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

असमोली को तहसील बनाये जाने के लिये तहसील सृजन सम्बन्धी मानकों के आलोक में जनपद स्तर पर परीक्षण की कार्यवाही चल रही है।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति सहित राजस्व परिषद् की आख्या/नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत विचार कर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

सहकारिता मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

32-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संजय गर्ग, स0वि0स0 का पत्र संख्या-ख-6 नं0-072217, दिनांक 23-05-2017 जो कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति का अनुपालन नहीं किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

जी हां।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला सहकारी बैंक एक स्वतंत्र निगमित निकाय है जिसका प्रबन्धन बैंक की प्रबन्ध समिति करती है। जिला सहकारी बैंकों के कर्मियों की सेवाएं बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ही होती है। बैंक में कार्यरत वर्ग-1 से 4 तक के कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद/बैंक कार्यक्षेत्र के अन्दर ही बैंक की विभिन्न शाखाओं अथवा बैंक मुख्यालय में बैंक की प्रबन्ध कमेटी के निर्णय के अनुसार किया जाता है। बैंक कर्मी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं एवं बैंक का कार्यक्षेत्र जनपद विशेष तक सीमित होने के परिणाम स्वरूप उन्हे उनके कार्यक्षेत्र के बाहर स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान नहीं है। उक्त पत्र के सम्बन्ध में पत्रांक-1773-1, दिनांक 07-07-2017 एवं पत्रांक-787/वी0आई0पी0, दिनांक 11-07-2017 द्वारा मा0 विधायक जी को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली का पुनः सर्वेक्षण कराकर डार्क जोन समाप्त कर सिंचाई हेतु नलकूप लगवाने की मांग

33-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली डार्क जोन घोषित होने एवं कोई नहर न होने से किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने के कारण पैदावार

निरंतर गिरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराकर डार्कजोन समाप्त कर सिंचाई हेतु नलकूप लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली का क्षेत्र डार्क जोन घोषित है एवं उसमें सिंचाई हेतु कोई चलित नहर नहीं है।

नलकूप लगाने से डार्क जोन में और वृद्धि होगी। विधान सभा क्षेत्र असमोली में मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के माध्यम से नहरों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

34-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सदलपुरा कचमन सम्पर्क मार्ग तथा चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से बंशीपुर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से जनसामान्य को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सदलपुरा-कचमन सम्पर्क मार्ग एवं चन्दौली-सकलडीहा सैदपुर मार्ग से बंशीपुर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत कैली चन्दौली मार्ग से बस्ती सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत की जानकारी

35-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में कैली चन्दौली मार्ग से बस्ती सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में चन्दौली कैली मार्ग से बस्ती (वास्तविक नाम बसनी) सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.70 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत अमिलाई नहर की पटरी का निर्माण कराने की मांग

36-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत अमिलाई नहर की पटरी का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत अमिलाई नहर की पटरी का निर्माण पूर्व में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के मोजपुर से रानी नागल जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

37-श्री हाजी इकराम कुरैशी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में मोजपुर से रानी नागल सम्पर्क मार्ग जर्जर तथा क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मुरादाबाद में मोजपुर में रानी नागल सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मोजपुर से बारू भूड़ा तक की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी मरम्मत हेतु रु0 19.14 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है। शेष 01 कि0मी0 भाग खडंजा है, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

38-श्री हाजी इकराम कुरैशी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-05-2017 जो कि मुरादाबाद काशीपुर नैनीताल हाईवे पर ढेला नदी पर जर्जर पुल का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 21-05-2017 विभाग में प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत स्थल पर पूर्व से ही निर्मित सेतु काफी पुराना है। जनहित में सेतु निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है। सेतु का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव में असोहा ब्लाक से निकलने वाले रजबहे में टेल तक पानी पहुंचाने सम्बन्धी विषयक

39-श्री अनिल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में असोहा ब्लाक से होते हुए हिलौली ब्लाक के गुलरिहा ग्राम तक जाने वाली रजबहे में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल

पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

आसीवन शाखा क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। परियोजना पर धनावंटन एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अग्निकांड से पीड़ित परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की मांग

40-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अग्निकांड से पीड़ित परिवार जिनके घर जलकर खाक हो जाते हैं, को सरकार के द्वारा दी जाने वाली अहेतुक सहायता धनराशि रु0 3,200 आज की मंहगाई को देखते हुये बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली उक्त अहेतुक सहायता की धनराशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा से पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दर के अनुसार राहत दिये जाने की व्यवस्था है। आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक निम्नवत् है :--

(1) पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्का मकान (मैदानी क्षेत्र)-रु0 95,100/-

पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान (पहाड़ी क्षेत्र)-रु0 1,01,900/-

(2) आंशिक क्षतिग्रस्त (कम से कम 15 प्रतिशत क्षति)

पक्का मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त)-रु0 5,200/-

कच्चा मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त)-रु0 3,200/-

(3) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी-रु0 4,100/-

उपरोक्त मानक दरों में वृद्धि भारत सरकार द्वारा ही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में राजकीय सिंचाई नलकूप तथा पाइप लाइन पुनर्संचालित कराने की मांग

41-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत ग्राम पूरे वैष्णव, विकास खण्ड मानधाता का राजकीय सिंचाई नलकूप विगत 4 वर्षों से बंद है तथा पाइप लाइन भी ध्वस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय सिंचाई नलकूप

की पाइप लाइन दुरुस्त कराकर उक्त नलकूप को पुनः संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत ग्राम पूरे वैष्णव, विकास खण्ड मानधाता में राजकीय नलकूप संख्या-105पी0बी0एच0 स्थित है जो माह 03/2014 से असफल है। नलकूप असफल होने के कारण विगत 03 वर्षों से नलकूप की जल वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया है।

शासनादेश संख्या-5/1373/62-1-2014-04आर0/2009, दिनांक 13-10-2014 के अनुसार विकास खण्ड मानधाता अतिदोहित की श्रेणी में आता है, जिसके कारण इस विकास खण्ड में राजकीय नलकूपों का निर्माण/पुनःनिर्माण प्रतिबंधित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की नगरपालिका महमूदाबाद के वार्ड शहजनी स्थित पानी की टंकी से पेयजल आपूर्ति करने सम्बन्धी

42-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की नगरपालिका परिषद् महमूदाबाद के वार्ड शहजनी स्थित पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति बंद है ? यदि हां, तो इसे कब तक चालू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की नगरपालिका परिषद् महमूदाबाद के वार्ड शहजनी में डूडा द्वारा निर्मित बारात घर को संचालित करने के सम्बन्ध में

43-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगरपालिका परिषद् महमूदाबाद के वार्ड शहजनी में डूडा विभाग द्वारा निर्मित बारात घर का संचालन हो रहा है ? यदि हां, तो इसमें अभी तक कुल कितनी शादियां हुई हैं ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद सीतापुर की नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद के वार्ड शहजनी में वर्ष 2005 में सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) का निर्माण जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), सीतापुर द्वारा कराया गया था। सम्प्रति इंगित सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) का संचालन नहीं हो रहा है।

सामुदायिक केन्द्र (बारात घर) में शादियों के आयोजन से सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उक्त बारात घर में सम्पन्न शादियों का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की नगरपालिका परिषद् के वार्ड पैगम्बरपुर डूडा विभाग द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में

44-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की नगरपालिका परिषद्, महमूदाबाद के वार्ड पैगम्बरपुर डूडा विभाग द्वारा निर्मित दुकानों का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद के वार्ड पैगम्बरपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) सीतापुर द्वारा दुकानों के निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है।

राजा रोड पैगम्बरपुर में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत 08 दुकानों का निर्माण करवाया गया है। पंजीकरण फार्म की बिक्री न होने के कारण प्रश्नगत दुकानों की नीलामी नहीं करायी जा सकी है। दुकानों की पुनः नीलामी किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद व प्रतापगढ़ में कचरा का निस्तारण (ट्रीटमेंट) करने की व्यवस्था की जानकारी

45-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद व प्रतापगढ़ में प्रतिमाह कितना टन कचरा निकलता है एवं उसके सापेक्ष उक्त जनपदों में कितने टन कचरे के निस्तारण (ट्रीटमेंट) करने की व्यवस्था सरकार के पास है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद इलाहाबाद में प्रतिमाह 16.100 मैट्रिक टन कचरा निकलता है एवं उसके सापेक्ष 7050 मैट्रिक टन कचरे का निस्तारण (ट्रीटमेन्ट) प्लांट पर किया जा रहा है व जनपद प्रतापगढ़ में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी की सप्लाई कराने सम्बन्धी

46-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी की सप्लाई सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रत्येक फसल में आवश्यकतानुसार नहरों की सफाई कराकर रोस्टर एवं जल उपलब्धता के आधार पर नहरों में टेल तक पानी उपलब्ध कराये जाने की सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान खरीफ 1425 फसलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री देवमणि द्विवेदी-

[दिनांक 20-07-2017 को अता0प्र0सं0-56 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बाढ़ के कटान से बेघर हुये लोगों को पुनर्वासित करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में

48-श्री सुरेन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में गंगा व घाघरा नदी की बाढ़ कटान से बेघर हुये लोग जो लालगंज में सिंचाई विभाग के डाक बंगला में, केहरपुर में 50 लोग सड़क पर, अठगाँवां में 200 परिवार सड़क पर तथा दतहा, मांझा के 200 परिवार सड़क पर प्लास्टिक के नीचे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, की सूची मंगाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में गंगा व घाघरा नदी की बाढ़ से बेघर हुये 339 लोगों में से ग्राम बहुआरा के कुछ परिवार लालगंज डाक बंगले में, कुछ लालगंज बाजार में किराये के मकान में, कुछ झोपड़ी लगाकर तथा कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। ग्राम केहरपुर व गंगौली के 50 परिवार बंधे पर शरण लिए हुए हैं तथा 97 परिवार बैरिया बाजार में अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। ग्राम इब्राहिमाबाद नौबरा (अठगांवा) के 94 परिवार बंधे पर शरण लिये हुए हैं।

ग्राम शिवपुर व माझा के कटान पीड़ितों को ग्राम-भैसहां व उमती में आवासित किया गया है। ग्राम इब्राहिमाबाद नौबरार (अठगांवा) के 145 परिवारों को आवास आवंटित कर दिया गया है। ग्राम दतहां में बाढ़ से पीड़ित कोई परिवार वर्तमान बंधे पर नहीं रह रहा है।

जनपद बलिया में गंगा एवं घाघरा के जलस्तर में निरन्तर हो रही वृद्धि के कारण राहत/सुरक्षा के दृष्टिगत बाढ़ से बेघर हुए अवशेष लोगों को बसाने के लिए भूमि क्रय करने हेतु सर्वे कराने का कार्य प्रभावित हो रहा है। नदियों का जल स्तर घटने के उपरान्त बाढ़/कटान पीड़ित परिवारों को सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पुनर्वासित किये जाने की कार्रवाई तत्काल प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के निजी पार्क पर महर्षि परशुराम जी की मूर्ति लगाने विषयक

49-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा द्वारा जनपद इलाहाबाद के निजी पार्क पर महर्षि परशुराम जी की मूर्ति लगाये जाने के तत्कालीन मुख्य मंत्री का आदेश दिनांक 17-2-16 कम्प्यूटर संख्या-11000160000728 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इलाहाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर किसी पार्क में मूर्ति लगाये जाने को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार की कतिपय ग्राम सभाओं में सिंचाई हेतु नलकूप लगवाये जाने सम्बन्धी

50-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड डलमऊ व गौरा की कल्याणपुर बेंती, नेवादा पट्टी, धीरनपुर, चरूहार बीक, रसूलपुर धरावा आदि ग्राम सभाओं में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप निर्माण परियोजना प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत 2000 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 79 नलकूपों का निर्माण कराया गया है। आगामी 02 वर्षों में अवशेष नलकूपों का निर्माण कराया जाना है।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु विकास खण्ड डलमऊ व गौरा की कल्याणपुर बेंती, नेवादा पट्टी, धीरनपुर, चरूहार बीक, रसूलपुर धरांवां का प्रारम्भिक सर्वे कराया गया, जिनमें से ग्राम कल्याणपुर बेंती एवं धीरनपुर में नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया तथा ग्राम रसूलपुर धरांवां, चरूहार बीक एवं नेवादा पट्टी नहर कमाण्ड से आच्छादित होने के कारण नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं पाया गया है।

जनपद रायबरेली में आगामी 02 वर्षों में डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 15 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा व अन्य नदियों के किनारे बसे ग्राम सभाओं में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाये जाने की मांग

51-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा व अन्य नदियों के किनारे स्थित ग्राम सभाओं में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

गंगा व अन्य नदियों के किनारे स्थित ग्राम सभाओं में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाये जाने की अलग से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानक के विरुद्ध बन रही सड़कों की जांच कराकर दोषियो के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की मांग

52-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानक के विरुद्ध बन रही सड़कों की जांच उच्चस्तरीय कमेटी से कराकर दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद रायबरेली में ऊंचाहार से जमुनापुर होते हुए डलमऊ तहसील तक का मार्ग जो रु0 15 करोड़ की लागत से वर्ष 2016-17 में मानक के विपरीत बनाया जा रहा है, की उच्चस्तरीय कमेटी से जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। जनपद रायबरेली में ऊंचाहार से जमुनापुर होते हुए डलमऊ तहसील मार्ग [कि0मी0-170 से 199(500)] तक बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद (राज्य मार्ग सं0-38) का भाग है। मार्ग के विभिन्न किलोमीटर में स्वीकृतियों के सापेक्ष कार्य सम्पादित कराया गया है। इन कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों एवं टी0ए0सी0 द्वारा किया गया है, कार्य मानक के अनुरूप है।

जनपद रायबरेली में नई तहसील बनाये जाने की मांग

53-श्री राकेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली का विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर तीन तहसीलों में बंटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन की नीतियों के अनुरूप हरचन्दपुर को नई तहसील बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व तथा वित्त, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

जी नहीं।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में दो तहसीलें क्रमशः तहसील रायबरेली एवं तहसील लालगंज हैं।

जी नहीं।

तहसील सृजन हेतु निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण।

जनपद रायबरेली अन्तर्गत पुरवा ब्रान्च नहर में टेल तक जलापूर्ति की जानकारी

54-श्री राकेश सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत पुरवा ब्रान्च नहर में पानी टेल तक न पहुंचने के कारण किसानों की फसल सिंचित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरवा ब्रान्च नहर में पानी टेल तक पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

पुरवा शाखा की पुनर्स्थापना की परियोजना कि0मी0 0.00 से 39.030 तक मुख्य अभियन्ता समिति से स्वीकृत है। परियोजना पर धनावंटन के उपरान्त प्रस्तावित कार्य कराकर टेल तक पानी पहुंचाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के रायबरेली-सेमरी मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

55-श्री राकेश सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने की कार्ययोजना के अन्तर्गत क्या सरकार रायबरेली जनपद में रायबरेली-सेमरी मार्ग, लम्बाई 30 कि0मी0 का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत रायबरेली-गुरूबक्शगंज-खीरों-सेमरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (लम्बाई 36.500 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 03-06-2016 द्वारा स्वीकृत लागत रु0 6852.00 लाख है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य केन्द्रीय मार्ग निधि योजना में स्वीकृत होने के कारण मार्ग को गड्ढ़ामुक्त कार्ययोजना में शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति में है। कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में घाटे में चल रहे कोआपरेटिव बैंकों को प्रोत्साहन देकर चलाये जाने विषयक

56-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने कोआपरेटिव बैंक घाटे में चल रहे हैं ? क्या घाटे में चल रहे कोआपरेटिव बैंकों को उबारने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

वर्ष 2016-17 के संतुलन पत्र के अनुसार प्रदेश में 29 जिला सहकारी बैंक घाटे में चल रहे है।

जी हां।

घाटे में चल रहे जिला सहकारी बैंकों को उबारने हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी कार्य योजना में उनकी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, बैंकों मे निक्षेप वृद्धि हेतु कार्य योजना तैयार करना, एन0पी0ए0 कम करना तथा प्रबन्धकीय व्यय को तर्कसंगत करना भी शामिल है।

प्रश्न हीं उठता।

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि बढ़ाये जाने की मांग

57-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास हेतु गठित पूर्वांचल विकास निधि में आवंटित धन पर्याप्त नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र की विकास गति धीमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वांचल के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के समुचित विकास हेतु पूर्वांचल विकास निधि को बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

पूर्वान्चल क्षेत्र के विकास हेतु गठित पूर्वान्चल विकास निधि में बजट व्यवस्था/आवंटन प्राथमिकता पर किया जा रहा है, जिससे मार्गों/पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग की सड़कों/पुलिया/सेतुओं के निर्माण हेतु अन्य योजनाएं भी संचालित है, जिसके द्वारा इस संदर्भ में पूर्वान्चल क्षेत्र में निरन्तर विकास हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के भदोही, जौनपुर एवं शाहगंज तक का मार्ग फोरलेन किये जाने विषयक

58-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन लुम्बनी दुद्धी मार्ग जो जनपद जौनपुर से होकर मिर्जापुर व सोनभद्र तक जाता है, के अन्तर्गत भदोही से जौनपुर तक सड़क चौड़ी न होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार

लुम्बनी-दुद्धी मार्ग का अवशेष भाग भदोही-जौनपुर शाहगंज तक को फोरलेन मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

लुम्बिनी दुद्धी राज्यमार्ग सं0-5 का जनपद जौनपुर में चैनेज 192.00 से चैनेज 279.00 (बेलवाई से भदोही बार्डर तक) का भाग पड़ता है। उक्त भाग की कुल लम्बाई 87.00 कि0मी0 है। प्रश्नगत मार्ग के चैनेज 192.00 से चैनेज 241.135 तक लम्बाई 49.135 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

वाराणसी-जौनपुर-अयोध्या मार्ग के अन्तर्गत लुम्बिनी दुद्धी राज्यमार्ग सं0-5 के चैनेज 192.00 (बेलवाई) से चैनेज 236.400 कुत्तुपुर तिराहा (जौनपुर की शहरी सीमा तक) को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गयी है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जानी है।

जनपद इलाहाबाद के सोरांव कल्याणपुर मार्ग पर ग्राम जोगीपुर के शारदा नहर पर बने पुल का पुनःनिर्माण कराने की मांग

59-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सोरांव-कल्यानपुर मार्ग पर ग्राम जोगीपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर मड़ियाहूं ब्रांच पर बना पुल जर्जर होने से किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

परियोजना गठित की जा रही है। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त पुल का पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों एवं महानगरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने की मांग

60-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों एवं महानगरों में विकसित हो रही आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है ? यदि हां, तो उसका मानक क्या है ? क्या सरकार जनपद इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ में आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अनुपालन की स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम जेठवारा रजवाहा में पुल का निर्माण कराने की मांग

61-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम सभा जेठवारा के अन्तर्गत जेठवारा रजवाहा पर पुल निर्मित न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जेठवारा रजवाहा पर जनहित में पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जेठवारा राजवाहा पर जेठवारा ग्राम सभा की 3.500 कि0मी0 भाग में 6 अदद् पुल विभिन्न स्थलों (रीच) पर विद्यमान है।

जनपद अम्बेडकर नगर में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिये जाने की मांग

62-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के टाण्डा में वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्मित मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बने आवासों का पात्र व्यक्तियों को आवंटन कर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है एवं पात्रों को उक्त आवास आवंटित कर कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

आवासों का हस्तान्तरण न होने तथा पात्र व्यक्तियों का चयन प्रक्रियाधीन होने के कारण आवास आवंटित नहीं किया जा सका। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्रातिशीघ्र आवंटित कर कब्जा दे दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुल व पुलिया के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाना

63-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से फरवरी, 2017 तक स्वीकृत सभी पुल व पुलियों का निर्माण कार्य को समय पर सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत सभी पुल व पुलियों का निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फर्रूखाबाद में सहकारिता विभाग द्वारा निर्मित बन्द पड़े कोल्डस्टोरेज को पुनः चालू कराने सम्बन्धी

64-श्री नागेन्द्र सिंह राठौर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के सातनपुर, जहानगंज, कमालगंज में निर्मित बन्द कोल्ड स्टोरेज को सरकार पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रूखाबाद के जहानगंज, कमालगंज में निर्मित कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-778-49-3-2015-100(41)/91, दिनांक 21-5-2015 के द्वारा शीतगृहों की भूमि, भवन एवं प्लाण्ट मशीनरी के निस्तारण का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत सहकारी शीतगृह कमालगंज, जहानगंज को चलाया जाना सम्भव नहीं है। सहकारी शीतगृह सातनपुर पी0सी0एफ0 द्वारा स्थापित है। पी0सी0एफ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार पूर्णतया बन्द है।

प्रदेश के गरीब बी0पी0एल0 परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने विषयक

65-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गरीब आवासविहीन या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को जो बी0पी0एल0 सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सरकार दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रधान मंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत जारी गाईडलाइन्स में आवास प्राप्त करने हेतु बी0पी0एल0 सूची में सूचीबद्ध होने के सम्बन्ध में कोई भी दिशा-निर्देश इंगित नहीं है। उक्त योजना का लाभ शहरी गरीबों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) वर्ग के परिवारों की वार्षिक आय रु0 3.00 लाख तक तथा एल0आई0जी0 वर्ग के परिवारों की वार्षिक आय रु0 3.00 लाख से 6.00 लाख तक निर्धारित की गई है।

हां, प्रधान मंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) मिशन अन्तर्गत शहरी बेघरों को पात्रता के अनुसार वर्ष 2022 तक आवास दिया जाना प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में वैशपुर-धरमपुर एवं तरौल के मध्य बकुलाही नदी पर एप्रोच मार्ग का निर्माण कराने की मांग

66-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में वैशपुर-धरमपुर मार्ग पर धरमपुर और तरौल के मध्य बकुलाही नदी पर बने पुल पर एप्रोच मार्ग निर्मित न होने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त एप्रोच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत धरमपुर एवं तरौल के मध्य बकुलाही नदी पर सेतु पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित है। जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने की कार्य-योजना

67-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने/कम करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उससे ध्वनि प्रदूषण कितना कम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 अधिसूचित है, जो दिनांक 14-02-2000 से प्रभावी है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 शहरी में चिन्हित 60 अनुश्रवण स्थलों पर परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण कराया जा रहा है। वर्ष 2015 के सापेक्ष वर्ष 2016 के परिवेशीय ध्वनि स्तर के आंकड़ों में दिन (प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक) की अवधि में 39 अनुश्रवण स्थलों पर 0.3 से 24 प्रतिशत के मध्य कमी पायी गयी है एवं रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि में 43 अनुश्रवण स्थलों पर 0.4 से 16.8 प्रतिशत के मध्य कमी पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर में सेमल पेड़ कटान पर छूट प्रदान करने की जानकारी

68-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों द्वारा अपने खेत में रोपित सेमल पेड़ (कृषि उत्पाद) बिना परमिट काटे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर में उक्त कटान पर रोक है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भांति जनपद लखीमपुर में भी सेमल पेड़ कटान पर छूट प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

उत्तर प्रदेश वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम-1976 के प्राविधानों के अर्न्तगत परती भूमि विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-2758/14-प0-भू0-वि-2000-7/93, दिनांक 30-12-2000 के अनुसार प्रदेश के 46 जनपदों में व्यक्तिगत कृष्य या अकृष्य जोत पर अवस्थित सेमल वृक्ष के पातन को अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। शेष 24 जनपदों में सेमल वृक्ष के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम-1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

उक्त अधिसूचना वर्ष 2000 में निर्गत हुई थी। तत्समय प्रदेश में जनपदों की कुल संख्या-70 थी।

उत्तर प्रदेश वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम-1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर लखीमपुर खीरी में सेमल वृक्षों को काटा जा सकता है।

लागू नहीं, क्योंकि जनपद लखीमपुर के सेमल के वृक्षों का कटान अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69-श्री लाखन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया की विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत आने वाली कतिपय पुलियों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर पुलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 600642, दिनांकित 07-06-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

पत्र के साथ संलग्न विवरण में प्रस्तावित स्थानों पर पुलियों के निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण करा लिया गया है। प्रस्तावित स्थलों पर पुलियों के निर्माण की आवश्यकता सक्षम स्तर से स्वीकृति/धनावंटन होने पश्चात् पुलिया निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहनलालगंज से कालूखेड़ा वाया-मौरावां उन्नाव कानपुर मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने की जानकारी

70-श्री अनिल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवागमन के बढ़ते दबाव/दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सड़कों के चौड़ीकरण की सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज से कालूखेड़ा वाया-मौरावां होते हुए उन्नाव कानपुर मार्ग से मिलने वाली सड़क का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

आवागमन के अत्यधिक दबाव तथा यातायात घनत्व के आधार पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रदेश की सड़कों के चौड़ीकरण की योजना बनाई/स्वीकृत की जाती है।

जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज से कालूखेड़ा वाया मौरावां होते हुये उन्नाव-कानपुर मार्ग से मिलने वाली सड़क की 20-20 कि0मी0 लम्बाई वर्तमान में दो लेन (7.00 मी0) चौड़ी है। शेष 47.804 कि0मी0 लम्बाई में लेपित सतह की चौड़ाई 5.00 मी0 है, जिसका दो लेन (7.00 मी0) चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु आगणन एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हिलौली स्थित ग्राम सभा-पारा में ग्राम-सभा की भूमि के आवंटन में अनियमितता का प्रकरण

71-श्री अनिल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-हिलौली की ग्राम सभा पारा में वर्ष 2016-17 में ग्राम समाज की लगभग 1000 बीघा भूमि अपात्रों को आवंटित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कराकर उक्त भूमि खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

ग्राम पंचायत पारा तहसील पुरवा जनपद उन्नाव में भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के उपरान्त कुल 245 व्यक्तियों में 94.185 हे0 क्षेत्रफल का कृषिक आवंटन किया गया है।

उक्त आवंटन की अनियमितता की जांच हेतु दिनांक 05-07-2017 को कमेटी गठित कर दी गयी है। कमेटी द्वारा प्रत्येक आवंटी का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा आवंटन गलत पाए जाने पर नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही के पश्चात् भूमि खाली करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में खराब नलकूपों को सही कराने एवं नये नलकूप लगाये जाने की मांग

72-श्री अनिल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कितने नलकूप खराब पड़े हैं ? क्या सरकार किसानों के हित में उक्त खराब नलकूपों को ठीक कराकर शीघ्र चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कुल 47 राजकीय नलकूप कार्यशील है। अद्यतन सूचना के अनुसार 01 नलकूप यांत्रिक एवं 01 नलकूप विद्युत दोष से बन्द है। इस प्रकार कुल 02 नलकूप बन्द है।

राजकीय नलकूपों का बन्द होना एवं चालू किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कराकर चालू करा दिया जाता है। विद्युत दोष में बन्द नलकूपों को विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक/समन्वय करके नलकूपों की ठीक कराने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता की कतिपय ग्राम सभाओं के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

73-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में ग्राम सराय देवराय और ग्राम छतौना की दो बड़ी बस्तियों क्रमशः डंडवा व रमोला का कटरा जिसकी आबादी 500 से अधिक है एक ही कच्चे मार्ग से जुड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार डंडवा से रमोला का कटरा तक जाने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में ग्राम सराय देवराय एवं ग्राम छतौना की दो बस्तियों क्रमशः डंडवा व रमोला का कटरा, खण्डजा मार्ग से जुड़े हैं, जिसकी 1400 मी0 लम्बाई एवं

2.00 मी0 चौड़ाई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार डंडवा की कुल आबादी 429 है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी शून्य है। रमोला का कटरा की कुल आबादी 10 है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 10 है। इस मार्ग को डामरीकरण कराया जाना वर्तमान में लोक निर्माण की प्रचलित नीति से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

74-श्री पूरन प्रकाश-

[04थे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के राया कस्बे में बाई-पास का निर्माण कराये जाने की मांग

75-श्री पूरन प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में राया से होकर जाने वाले राज्य मार्ग-33 पर राया कस्बे में बाई पास निर्माण न होने के कारण रोजाना 4-5 घंटे तक जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राया कस्बे में बाई पास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

राय कस्बे में जाम की समस्या का स्थानीय स्तर पर निराकरण कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

वर्तमान में एक लाख से अधिक आबादी के शहरों में ही बाई-पास बनाये जाने की योजना प्रचलित है। राया कस्बे (राया टाऊन एरिया) की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 18032 है। अतः राया कस्बे में बाई-पास का निर्माण निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

चीनी मिल मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमाला शुगर मिल बागपत की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03 अप्रैल, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां।

सरकार के दिनांक 19-03-2017 को गठन के साथ ही रसाला शुगर मिल के क्षमता विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में विमर्श आरम्भ करके समस्त अपेक्षित औपचारिकता पूर्ण कर सहमति प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के गन्ना किसानों को दिनांक 31 मई, 2017 तक शत-प्रतिशत भुगतान कराने सम्बन्धी

77-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत मलकपुर शुगर मिल पर दिनांक 31 मई, 2017 तक गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य का भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत दिनांक 31-05-2017 तक जनपद बागपत में स्थापित एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल्स लि0, मलकपुर पर रु0 291.54 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष था। वर्तमान में (दिनांक 20-07-2017 तक) चीनी मिल मलकपुर पर कुल देय गन्ना मूल्य रु0 327.49 करोड़ के सापेक्ष रु0 57.81 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है तथा रु0 269.68 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु सम्बन्धित चीनी मिल को समय-समय पर यथा-दिनांक 01-03-2017, 17-03-2017, 21-03-2017 एवं 14-07-2017 को नोटिसें निर्गत की गयी तथा गन्ना आयुक्त व शासन स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष दिनांक 31-05-2016 तक चीनी मिल का कुल भुगतान मात्र 14.97 करोड़ था जबकि इस वर्ष समान तिथि अर्थात् 31-05-2017 तक सरकार द्वारा 35.94 करोड़ का भुगतान कराया गया है तथा इसके अलावा मलकपुर चीनी मिल से पेराई सत्र 2016-17 में रु0 2.88 करोड़ की धनराशि ब्याज के रूप में वसूल की गयी है। गत वर्ष इस मिल से कोई ब्याज नहीं वसूला गया था। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित व समयान्तर्गत भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बाढ़ के बचाव हेतु ग्राम दरियावगंज व बेलावां के बीच चेक डैम बनाने की मांग

78-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम बेलावां को पीली नदी की बाढ़ से बचाने के लिए दरियांवगंज व बेलावां के बीच चेक डैम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बेलावां में पीली नदी से बाढ़ की स्थिति नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के चकरीगांव घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

79-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में चकरीयांव घाट पर पुल नहीं होने के कारण पीली नदी में बाढ़ आने पर सैकड़ों गांवों का आवागमन बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घाट पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में 6.0 कि0मी0 व डाउन स्ट्रीम में 4.0 कि0मी0 पर पूर्व से ही सेतु क्रमशः निर्मित/निर्माणाधीन है। प्रस्तावित स्थल की 10 कि0मी0 की दूरी में पूर्व से ही सेतु निर्माणाधीन होने के कारण सेतु निर्माण कराया जाना विभागीय मानकों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम के अन्तर्गत मोहल्ला भरतनगर में फ्रावेल इन्टर कालेज के पीछे पार्क का निर्माण कराने की जानकारी

80-श्री राकेश सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में सीतापुर रोड स्थित फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम के अन्तर्गत मोहल्ला-भरतनगर में फ्रावेल इण्टर कालेज के पीछे स्थित नाले पर प्रीतिनगर को जोड़ने वाली पुलिया के पास खाली सरकारी भूमि पर जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जल भराव एवं गन्दगी बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खाली भूमि पर पार्क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। प्रश्नगत समस्त क्षेत्र प्राइवेट कालोनाईजर्स द्वारा छोटे-छोटे भू-खण्ड काट कर बसाया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम मोहल्ला भरतनगर में फ्रावेल इन्टर कालेज के पीछे घूम रहे आवारा सुअरों को पकड़वाने की जानकारी

81-श्री राकेश सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में सीतापुर रोड स्थित फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम मोहल्ला-भरतनगर में फ्रावेल इण्टर कालेज के पीछे आवारा सुअरों के घूमने के कारण व्याप्त गन्दगी से क्षेत्र में बीमारियां फैलने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आवारा सुअरों को पकड़वाने तथा इन्हें रिहायशी क्षेत्र से बाहर करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

लखनऊ नगर निगम द्वारा थाना-मड़ियांव फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम के अन्तर्गत दिनांक 02-06-2017 को 14 सुअर एवं दिनांक 03-06-2017 को 11 सुअरों को पकड़ा गया तथा दिनांक 05-07-2017 को विशेष अभियान चलाकर फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम, मोहल्ला रतनगर में फ्रावेल इण्टर कालेज के पीछे श्री रवि पुत्र स्व0 रामचन्द्र श्री अखिलेश पुत्र रामचन्द्र वासी-प्रीतिनगर डुडौली, सीतापुर रोड, लखनऊ एवं श्री बब्लू सोनकर पुत्र स्व0 गुलाब सोनकर निवासी चमराही टोला, गया पुरवा, फैजुल्लागंज, लखनऊ के विचरण कर रहे 13 सुअरों को पकड़ा गया।

उपर्युक्त सुअर पालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत अनेकों बार चालान की कार्यवाही एवं थाना-मड़ियांव में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने हेतु तहरीर प्रेषित की गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी कई अन्य सुअर पालकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम मोहल्ला भरतनगर में फ्रावेल इण्टर कालेज के पीछे सड़क/जल निकासी की व्यवस्था किए जाने की जानकारी

82-श्री राकेश सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में सीतापुर रोड स्थित फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम मोहल्ला-भरतनगर में फ्रावेल इण्टर कालेज के पीछे मकान नं0-537भ/728 से म0नं0 537यू/728 तक सड़क/जल निकासी न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। प्रश्नगत समस्त क्षेत्र प्राइवेट कालोनाईजर्स द्वारा छोटे/छोटे भू-खण्ड काट कर बसाया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ से प्रवाहित होने वाली सई नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना की जानकारी

83-श्री संगम लाल गुप्ता-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ से प्रवाहित होने वाली सई नदी को प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

नदियों के जल को औद्योगिक तथा घरेलू जल-मल प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 प्रभावी है। जल प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं।

जनपद-प्रतापगढ़ में कोई भी वृहद् श्रेणी का जल प्रदूषणकारी उद्योग संचालित नहीं है। प्रतापगढ़ नगरीय क्षेत्र से जनित घरेलू जल-मल बहिस्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) निर्माणाधीन है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद प्रतापगढ़ में दो स्थलों पर सई नदी की जल गुणता का अनुश्रवण करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित नगर पालिका परिषद् वेल्हा में स्वीकृत सीवर लाइन का कार्य समयबद्ध पूर्ण कराने की जानकारी

84-श्री संगम लाल गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ स्थित नगर पालिका परिषद् बेल्हा में स्वीकृत सीवर लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सीवर लाइन का कार्य समयबद्ध कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

नगर पालिका परिषद्, बेल्हा, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत बिछायी जा रही सीवर लाइन के बिछाये जाने का कार्य वन विभाग द्वारा खुदाई पर रोक लगाने के कारण बाधित हो गया था, जिस कारण उक्त कार्य समय से पूर्ण नहीं हो सका। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा खुदाई किये जाने हेतु उनके पत्र

दिनांक 09-03-2017 द्वारा सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है व सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दियम्बर, 2017 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के आंवला उत्पादन में किसानों को उचित मूल्य दिलाये जाने की मांग

85-श्री संगम लाल गुप्ता-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में किसानों को आंवले का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को आंवले का उचित मूल्य दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी समिति महुली, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ में मण्डियों में आंवला के थोक भाव वर्ष 2016-17 में रु0 976 से 655 प्रति कुन्टल रहे हैं, जो विगत वर्षों की तुलना में अधिक है।

प्रदेश की गड्ढ़ा मुक्त सड़क बनाने की योजना में जनपद कुशीनगर की खड्ढ़ा से पनियहवां रोड को सूचीबद्ध किए जाने की जानकारी

86-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जून के पूर्व गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की योजना में जनपद कुशीनगर की खड्ढा से पनियहवां रोड सूचीबद्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद कुशीनगर की खड्ढ़ा से पनियहवां मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है। वर्तमान में यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के सभी जर्जर मार्गों की मरम्मत करने सम्बन्धी

87-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी मार्गों के किनारे-किनारे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फाइवर केबल मशीन से डालने की बजाये सड़क के किनारे-किनारे नाली खोदकर डाल दी गई है और इन नालियों को ठीक से न पाटे जाने के कारण पहली ही बरसात में मिट्टी बैठ गई है जिससे सभी मार्गों के किनारे-किनारे नालियां बन गई हैं, मिट्टी का कटान हो रहा है और आये दिन

दुर्घटनाओं के चलते लोग चोटिल हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निजात दिलाने के लिये इन मार्गों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र में दूर संचार विभाग, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर द्वारा कुछ मार्गों पर मशीन के बजाए सड़क किनारे नाली खोदकर आप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, इनमें से कुछ मार्गों पर बरसात के कारण केबिल बिछाये गये स्थान पर नाली बन गई है, जिसको वर्तमान में दूर संचार विभाग द्वारा ठीक कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रतापगढ़ के चमरूपुर पठान-सराय भूपत से बकुलाही नदी को जोड़ने वाले सिंचाई नहर के निर्माण की मांग

88-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 के अन्तर्गत क्या सरकार प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ रजवाहा पर ग्राम चमरूपुर पठान से सराय देवराय, पूरे वैष्णव होकर सराय भूपत से बकुलाही नदी को जोड़ने वाली सिंचाई नहर (माइनर) का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ रजवाहा पर परिकल्पित जल उपलब्धता के अनुसार प्रणाली में पर्याप्त नहरें विद्यमान हैं तथा किसी नयी नहर के निर्माण किये जाने की योजना नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ में आंवले से सम्बन्धित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान देने के सम्बन्ध में

89-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु आंवला से सम्बन्धित छोटी-छोटी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण, सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

जी हां।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में स्थानीय उपयुक्तता एवं अनुकूलता के दृष्टिगत लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रदेश के मण्डल स्तर पर 10 राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों में एक वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण कैनिंग एवं खाद्य संरक्षण डिप्लोमा कोर्स संचालित है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की समन्वित बागवानी विकास मिशन योजना के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान एवं रियायतें देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान मण्डल सदस्यों के क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु मंत्रीगण/अधिकारियों से मिलने के लिए समय निर्धारित करने की मांग

90-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल सदस्यों के क्षेत्र की समस्या के समाधान हेतु मंत्रीगण, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों के कार्यालय में उनसे मिलने हेतु कोई समय निर्धारित करने हेतु सरकार कोई दिशा निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधान मण्डल दल के सदस्यों के पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना

91-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय की भांति मा0 मंत्रियों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से भी विधान मण्डल दल के सदस्यों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही की सूचना उन्हें उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई दिशा निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के माध्यम से समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके द्वारा मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की तुरन्त पावती स्वीकार की जाये और उनके सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराकर प्रकरण के निस्तारण की अन्तिम स्थिति से उन्हें शीघ्र अवगत कराया जाय तथा जिन पत्रों के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना हो उनके

सम्बन्ध में मा0 सदस्य को एक अन्तरिम उत्तर भेजते हुए यह अवगत करा दिया जाय कि इस प्रकरण में जांच/सूचना आदि एकत्र करने में समय लगने की सम्भावना है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1117/90-सं0-1-2015-70सं0/1984, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा पुनः यह निर्देश दिये गये हैं कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उपरोक्तानुसार एक 'जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर' रखा जाय, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाये। समय से उसकी पावती भेजी जाये और निस्तारण की अन्तिम तिथि से भी सम्बन्धित को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये। जिन प्रकरणों में समय लगने की सम्भावना हो, उसके बारे में एक अन्तरिम उत्तर भेजकर पृथक से उन्हें अवगत करा दिया जाये, जिससे मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में भी अंकित की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पेठिया में पट्टा आवंटन में हुई अनियमितता की जांच कराने की मांग

92-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बेडकरनगर जिले की जलालपुर विधान सभा अन्तर्गत जलालपुर ब्लाक की ग्रामसभा पेठिया में पट्टा आवंटन सम्बन्धित घोर अनियमितताओं की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उस पर कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पट्टा आवंटन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। प्रश्नगत आवंटन के विरुद्ध न्यायालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर में आवंटन निरस्तीकरण वाद राजस्व संहिता की धारा-128 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

जी हां, तहसीलदार, जलालपुर को जांच अधिकारी नामित करते हुए तथ्यात्मक जांच आख्या मांगी गयी है। जांचोपरान्त प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पेठिया में पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में जांच हेतु तहसीलदार, जलालपुर को नामित किया गया है, जिनसे जांच आख्या प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गायत्री विहार कालोनी में सड़क व नाली निर्माण विषयक

93-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित गायत्री बिहार कालोनी, हैदरगंज द्वितीय वार्ड में मुख्य मार्ग तथा पांचवी गली की सड़क व नाली बनाये जाने विषयक श्री मनीष असीजा, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 12-02-2016 पर तत्कालीन नगर विकास मंत्री के आदेशानुसार

उक्त सड़क बनाये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् निविदा भी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

वर्षाकाल के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर स्थित छितौनी मिल में पुनः उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में

94-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्र की छितौनी चीनी मिल का क्या सरकार पुनः उत्पादन प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-1215एस0सी0/18-2-07-56/07टी0सी0-1, दिनांक 04-06-2007 द्वारा चीनी निगम की समस्त मिलों के निजीकरण/विक्रय किये जाने के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-2929(2)एस0सी0/18-2-10-51/10, दिनांक 04-01-2011 द्वारा छितौनी चीनी मिल का विक्रय/हस्तान्तरण मै0 गिरिआशो कम्पनी प्रा0 लि0, दिल्ली को कर दिया गया था तथा वर्तमान में यह चीनी मिल उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 के स्वामित्व में नहीं है। अतः इसके निजी प्रबन्धतन्त्र के स्तर पर ही चीनी मिल को चलाये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

जनपद लखनऊ के शाहजहांपुर वाया हरदोई मार्ग को फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

95-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शाहजहांपुर वाया हरदोई मार्ग फोरलेन बनाए जाने हेतु स्वीकृत किया गया है एवं अवशेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद लखनऊ के शाहजहांपुर वाया हरदोई मार्ग पलिया-हरदोई-लखनऊ राज्य मार्ग सं0-25 की कुल लम्बाई 259.400 कि0मी0 का भाग है। इस मार्ग पर जनपद शाहजहांपुर में चैनेज 103.00 कि0मी0 से चैनेज 117.00 कि0मी0 तक, जनपद हरदोई में चैनेज 117.00 कि0मी0 से चैनेज 158.500 कि0मी0 तक का भाग चार लेन तथा जनपद हदोई के अन्तर्गत के चैनेज 158.500 कि0मी0 से चैनेज 224.00 कि0मी0 दो लेन विद् पेव्ड शोल्डर एवं जनपद लखनऊ के अन्तर्गत के चैनेज 224.00 कि0मी0 से चैनेज 259.400 कि0मी0 तक चार लेन चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत तथा कार्य प्रगति पर है।

मार्ग के इन कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बस्ती के बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल एवं गोविन्द नगर गन्ना मिल द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने के सम्बन्ध में

96-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल बस्ती पर गन्ना किसानों का 60 प्रतिशत तथा गोविन्द नगर (वालटरगंज) पर 23 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, बस्ती पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा गोविन्द नगर शुगर मिल (वाल्टरगंज), बस्ती पर पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत देय हुए कुल गन्ना मूल्य रु0 40.54 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 20-07-2017 तक रु0 9.29 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है एवं रु0 31.25 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु सम्बन्धित चीनी मिल को समय-समय पर यथा-दिनांक 08-12-2016, 01-03-2017, 17-03-2017, 21-03-2017 एवं 14-07-2017 को नोटिसे निर्गत की गयी तथा गन्ना आयुक्त व शासन स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों के माध्यम से शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु भी निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वानाथगंज के कतिपय क्षेत्रों में पाइप पेयजल परियोजना का संचालित कराया जाना

97-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा विश्वनाथगंज अन्तर्गत पाइप पेयजल परियोजना जगदीशपुर, अजगरा, जेठवारा, बालापुर, हण्डौर, सगरासुन्दरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटरागुलाबसिंह वहुचरा मझिलहा आदि संचालित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पाइप पेयजल परियोजनाओं को जनहित में संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत पाइप पेयजल परियोजनाओं में जगदीशपुर, हण्डौर में नलकूप निष्प्रयोज्य होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। नलकूप रि-बोर किये

जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। अजगरा, सगरासुन्दरपुर एवं मझिलहा में जलापूर्ति चालू है। जेठवारा, बालापुर (पूरगांव) एवं बहुचरा में जलापूर्ति आंशिक रूप से चालू है।

जी हां।

जगदीशपुर व हण्डौर में निष्प्रयोज्य नलकूपों के कारण बन्द पड़ी पेयजल योजनाओं पर नलकूपों की रि-बोरिंग का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें पूर्ण कर उक्त योजनाओं को सितम्बर, 2017 में चालू कर जनोपयोगी किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में सई तथा लोनी नदी पर पुल के निर्माण की मांग

98-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में स्थित सई तथा लोनी नदी पर पुल के अभाव में क्षेत्रवासियों को आवागमन की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार सई नदी पर ग्राम सिंहनी व लढ़वत तथा मटियारी व दादुपर रनसिंह के बीच तथा लोनी नदी पर ग्राम घूरीपुर एवं हण्डौर के बीच चैकडैम/रपटापुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चेक डैम आवागमन के लिए नहीं होता है तथा सई नदी का पाट प्रश्नगत स्थल पर चौड़ा है। इसलिए रपटा पुल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जा सकता है।

प्रदेश के समस्त नगर निगम/नगर पंचायतों में कांजी हाउस में पकड़ कर रखे जाने वाले जानवरों के आहार की व्यवस्था हेतु अनुमन्य धनराशि की जानकारी

99-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पंचायतों में कांजी हाउस में पकड़ कर रखे जाने वाले गायों, भैंसों, नन्दी सांड या बैल को प्रतिदिन खुराकी के लिए आहार (भूसा पानी खरी) आदि के लिए कितनी धनराशि अनुमन्य है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिकायें तथा 439 नगर पंचायतें हैं। नगर निकायें एक स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, जो अपने संसाधनों से कांजी हाउस में रह रहे पशुओं को प्रतिदिन खुराकी के लिए आहार (भूसा, पानी, खरी) की अलग-अलग व्यवस्थायें निर्धारित करती हैं।

शासन द्वारा इसके सम्बन्ध में कई व्यवस्था/नीति निर्धारित नहीं की गयी है।

गंगा नदी की स्वच्छता, अविरल धारा को बनाये रखने के लिए कार्य योजना की जानकारी

100-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19 में पड़ने वाले अर्द्ध कुम्भ की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में गंगा नदी की स्वच्छता, अविरल धारा एवम् प्रवाह को बनाये रखने के लिए सरकार ने कोई कार्य-योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

वर्ष 2018-19 में गंगा के अविरल व निर्मल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। उक्त अवधि तक जितने भी नाले हैं उनके बहाव को पर्यावरण के विभिन्न मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराये जायेंगे, जिसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है :--

इलाहाबाद नगर में वर्तमान में कुल 275 एम0एल0डी0 सीवेज जनित हो रहा है, जिसके सापेक्ष 268 एम0एल0डी0 की शोधन क्षमता उपलब्ध है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में सीवरेज सम्बन्धित 04 योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिन्हें अर्द्ध कुम्भ मेला पूर्व पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन (एन0एम0सी0जी0) द्वारा झूंसी, नैनी एवं फाफामऊ की योजना दिनांक 19-05-2017 को स्वीकृत की गयी है। अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 के समय संगम तट पर जल की स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीवेज पम्पिंग स्टेशनों एवं एस0टी0पी0 के सुदृढ़ीकरण एवं अनटैप्ड नालों के श्राव को जैविक विधि से आन साइट ट्रीटमेन्ट हेतु रु0 23.87 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्लोटिंग स्कीमर मशीन द्वारा गंगा नदी के सतह की सफाई का कार्य मेसर्स कान्फिडेण्ट इंजीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा मार्च, 2017 से किया जा रहा है। मलिन बस्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर 80 नग शौचालय निर्मित किये गये हैं तथा 03 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है। 41 स्थलों पर शौचालय निर्मित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।

अर्द्ध कुम्भ के समय गंगा नदी की अविरल धारा एवं प्रवाह को बनाये रखने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित टिहरी डैम से अतिरिक्त जल की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

नान सीवरेज योजना के अन्तर्गत गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम एवं स्वच्छता हेतु गंगा तट के किनारे वृहद् वृक्षारोपण किया जा रहा है, साथ ही जनजागरूकता-जनसहभागिता कार्यक्रम/ क्रिया कलापों द्वारा जनमानस को जागरूक किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पैक्सफेड विभाग में संविदा पर तैनात तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को नियमित करने की मांग

101-श्री पारसनाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पैक्सफेड विभाग जो विभाग की कार्यदायी संस्था है, में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों को नियमित करने व वेतन बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

सहकारी संस्थाओं में तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत पदो पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1985 यथा संशोधित, 2003 के प्राविधानों के अधीन की जाती है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मी इस नियमावली से आच्छादित नहीं हैं। वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार संस्था की प्रबन्ध समिति में निहित है। वर्तमान में वेतन बढ़ाये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्रबन्ध समिति में विचारार्थ लम्बित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में सरायमेदीराय बस्ती के आवागमन हेतु वर्तिका कान्वेन्ट स्कूल के राजपुर माइनर पर पुलिया का निर्माण

102-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में प्रतापगढ़ रजवाहा की राजापुर माइनर के हेड से 450 मी0 की दूरी पर सरायमेदीराय बस्ती में जाने हेतु कोई पुल न होने से ग्रामवासी लकड़ी की बल्ली के माध्यम से आवागमन करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजापुर माइनर पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर परियोजना बनाकर स्वीकृति/धनावंटन के उपरान्त राजापुर माइनर पर पुलिया का निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के कतिपय विकास खण्डों में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण

103-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के डोभी के पतरही बाजार विकास खण्ड मुफ्तीगंज के आजादनगर बाजार तथा विकास खण्ड केराकत के थानागद्दी बाजार में नाली न होने के कारण जल भराव से जनमानस को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में नाली निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के डोभी पतरही बाजार, विकास खण्ड मुफ्तीगंज के आजाद नगर बाजार तथा विकास खण्ड केराकत के थाना गद्दी बाजार के आबादी वाले भाग में नाली न होने के कारण वर्षा ऋतु में जलभराव कुछ समय के लिए होता है :--

1-जनपद जौनपुर के डोभी का पतरही बाजार लखनऊ मांझीघाट राज्य मार्ग के कि0मी0 307 एवं 308 में स्थित है, जिसमें नाली निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2-विकास खण्ड मुफ्तीगंज का आजाद नगर बाजार पेसारा मार्ग के कि0मी0 04 में स्थित है, जो ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जौनपुर के अधीन है, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3-विकास खण्ड केराकत के थाना गद्दी बाजार कुण्डहां-केराकत-सुल्तानपुर प्रमुख जिला मार्ग के कि0मी0 82 व 83 में तथा थानागद्दी मोढ़ैला मार्ग के कि0मी0 1 में स्थित है, जिसमें नाली निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की ग्राम सभा जमुनीवारी में स्थापित राजकीय नलकूप ठीक कराने के सम्बन्ध में

104-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के डोभी के ग्राम सभा जमुनीवारी में स्थापित राजकीय नलकूप खराब होने के कारण किसानों को सिंचाई करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब नलकूप को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद-जौनपुर के डोभी के ग्राम सभा जमुनीवारी में स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-24 के0जी0, दिनांक 01-04-2016 से असफल की श्रेणी में होने के कारण बन्द है।

शासनादेश संख्या-5/1373/62-1-2014-04आर0/2009, दिनांक 13-10-2014 द्वारा विकास खण्ड डोभी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण इस विकास खण्ड में नलकूपों के निर्माण/पुनः निर्माण पर प्रतिबन्ध है। अतः राजकीय नलकूप का पुनः निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड, अन्तर्गत नगरा ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग

105-श्री धनन्जय कन्नौजिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेल्थरा रोड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 20 हजार से ऊपर की आबादी वाली नगरा ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नई नगर पंचायतों का गठन शासनादेश संख्या-2997/9-1-2016-426सा/2016, दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। नगरा ग्राम को नगर पंचायत बनाना, शासनादेश में निर्धारित मानक पूर्ण होने पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा बरमलपुर में जल निकासी हेतु नाली के निर्माण की मांग

106-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी की ग्राम सभा बरमलपुर में पानी की निकासी हेतु नाली न होने के कारण जल भराव से बहुत गन्दगी फैली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में नाली का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ग्राम के अन्दर नाली निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत/पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। लोक निर्माण विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र केराकत की ग्राम मेहौड़ा में जर्जर सड़क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

107-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज की ग्राम सभा मेहौडा में नहर की पुलिया से बगथरी नहर की पुलिया से होते हुए बलवन्त राय के घर तक 1 कि0मी0 मार्ग जर्जर स्थिति में होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का शून्य से लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज की ग्राम सभा मेहौड़ा में नहर की पुलिया से बगथरी नहर की पुलिया होते हुए बलवन्त राय के घर तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.90 कि0मी0 है, जिसमें से 1.30 कि0मी0 लम्बाई नहर पटरी मार्ग है, जो सिंचाई विभाग के अधीन है। ग्राम मेहौड़ा, ग्राम बगथरी पूर्व से ही एकल मार्गों से संतृप्त है। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की योजना से आच्छादित नहीं है।

बलवन्त राय के घर हेतु 0.60 कि0मी0 खडण्जा मार्ग ग्राम का आंतरिक मार्ग है, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत की ग्राम सभा थानागद्दी में जर्जर मार्ग के मरम्मतीकरण की मांग

108-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत की ग्राम सभा थानागद्दी में विजय गुप्ता के घर से माधवानंद शुक्ला के घर तक 800 मी0 मार्ग जर्जर स्थिति में होने के कारण जनसामान्य को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

खड़ण्जा स्तर तक निर्मित प्रश्नगत मार्ग ग्राम सभा थानागद्दी का आन्तरिक मार्ग है। आन्तरिक मार्ग का निर्माण कराये जाने का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जौनपुर के विकास खण्ड डोभी के बजरंग नगर बाजार में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण

109-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी में बजरंगनगर बाजार में जलभराव के कारण जन मानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाजार में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड डोभी में बजरंगनगर बाजार के आबादी वाले भाग में नाली न होने के कारण वर्षा ऋतु में जल भराव कुछ समय के लिए होता है।

बजरंगनगर बाजार वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मार्ग का 4 लेन करने हेतु निर्माण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त आख्यानुसार बजरंगनगर में राजमार्ग के चौड़ीकरण के साथ नाली निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में किसानों को धान की रोपाई हेतु नहरों में पानी उपलब्ध कराने सम्बन्धी

110-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में किसानों को वर्ष 2017 में धान की रोपाई से पहले क्या सरकार नहरों में टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हॉं।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में किसानों को वर्ष 2017, खरीफ 1425 फसली में जल उपलब्धतानुसार नहरों का संचालन रोस्टर के अनुसार करते हुए नहरों में टेल तक पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठताा।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर अन्तर्गत जर्जर मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी

111-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के अन्तर्गत बाजार बाबूगंज (डीहमेहदी) से रामपुर भेड़ियानी तक का मार्ग ध्वस्त होकर गड्ढों में तब्दील होने से जनसामान्य को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में बाबूगंज (डीह मेंहदी) से रामपुर भेडियानी तक 3.00 कि0मी0 लम्बाई का ग्रामीण श्रेणी का मार्ग पंचायती राज विभाग के अधीन है। इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड संगीपुर के ग्राम पंचायत सरूआ की कतिपय बस्तियों को पक्के मार्ग से जोड़ने विषयक

112-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर की ग्राम पंचायत सरूआ के सरूआखास, कालिकन का पूरा, अवेलिया, नया पुरवा, भैयापुर पिपराझार, वनियानार एवं कोडरी बस्तियों को जोड़ने वाले मार्ग कच्चे एवं जर्जर होने से जन सामान्य को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम पंचायत सरूआ के मजरे सरूआ एवं कोड़री पक्के मार्ग से जुड़े हैं, जिसका स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। अन्य 06 मजरे कालिकन का पूरा, अवेलिया, नया पुरवा, भैयापुर, पिपराझार, वनियानार एवं बस्तियों को जोड़ने वाले मार्ग मिट्टी/खडण्जा स्तर के मार्ग है। इन मजरों की आबादी 250 से कम होने के कारण इनका डामरीकरण कराया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के ग्राम सभा बनवीर के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

113-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ग्राम सभा बनवीर काक्ष में नेकुहा बस्ती तक जाने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नेकुहा बस्ती की कुल आबादी 415 है। आबादी 500 से कम होने एवं अनुसूचित जाति की आबादी ग्राम की कुल आबादी के सापेक्ष 25 प्रतिशत से कम होने के कारण मानकानुसार मार्ग का निर्माण किया जाना वर्तमान में प्रचलित लोक निर्माण विभाग की नीति से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम बौरे (लाला का पूरा) में नीलाम हुए तालाब का डीड पत्र जारी करने सम्बन्धी

114-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम बौरे (लाला का पूरा), थाना भीटी, तहसील भीटी के तालाब की नीलामी माह दिसम्बर, 2016 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि मालगुजारी जमा होने के बाद भी उक्त तालाब के नीलामी का डीड पत्र जारी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब का डीड पत्र जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 12-07-2017 को डीड जारी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के शिव नगर बाजार में नाली का निर्माण कराने की मांग

115-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के शिवनगर बाजार में नाली न होने के कारण जल भराव से जनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाजार में नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में कराया गया है। मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के स्वामित्व में है। नाली निर्माण कराए जाने का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 20-03-2001 के अनुसार सहकारी संग्रह कुर्क अमीनों (कमीशन) को राजकीय सेवक की भांति सुविधा दिलाया जाना

116-श्रीमती लीना तिवारी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सहकारी संग्रह कुर्क अमीनों (कमीशन) के पक्ष में पारित उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयादेश क्रमशः दिनांक 20-03-2001 तथा 10-01-2017 के अनुपालन में उक्त कर्मचारियों को राजकीय सेवक की भांति समस्त सेवाओं का पूर्ण लाभ निर्गत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

न्यायादेश दिनांक 20-03-2001 के अनुपालन में प्रदेश के सभी कुर्क अमीनों एवं सहयोगियों को राजकीय सेवकों को भांति समस्त सुविधाओं हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002 बनाई गयी।

मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित अपने न्यायादेश दिनांक 10-01-2017 को निस्तारित किये जाने के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के प्रभावी हुए निर्णयादेशों को अनुपालन में याचीगणों को सेवा लाभ प्रदान कर दिया गया है। याचीगणों में जनपद जौनपुर से सम्बन्धित कोई व्यक्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड बरनाहल को नगर पंचायत बनाये जाने की जानकारी

117-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के राजस्व ग्राम बरनाहल विकास खण्ड बरनाहल को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित किए जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। ग्राम सभा बरनाल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार ग्राम सभा बरनाहल नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2997/9-1-2016-126सा/2016, दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं कर रही है। अतः ग्राम सभा बरनाहल को बर्तमान में नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं।।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में सोहनी बरवां जंगल के किनारे अवैध रूप से चल रहे ईंट के भट्टे को बन्द कराने की मांग

118-श्री प्रेमसागर पटेल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज की विधान सभा क्षेत्र सिसवां का सोहनी बरवां जंगल सेन्चुरी घोषित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त की परिधि में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों से पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों को बंद करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

सोहनी बरवां, वन्य जीव अभ्यारण्य की परिधि के अन्तर्गत वन्य भूमि पर कोई भी ईंट भट्ठा स्थापित/संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आलू किसानों से आलू खरीद का लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाये जाने की मांग

119-श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू का खरीद मूल्य लागत मूल्य से कम होने के कारण आलू किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आलू नीति बनाकर राजकीय/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं।

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में आलू के क्रय हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना स्वीकृत की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2016-17 में आलू किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रु0 487/- प्रति कुन्तल की दर से किसानों का आलू क्रय किये जाने हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2017 से 07 मई, 2017 तक के लिए योजना स्वीकृत की गयी। योजना अवधि में सहकारी संस्थाओं यू0पी0 एग्रो, पी0सी0एफ0, हाफेड एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा कुल 12937.78 कुन्तल आलू क्रय किया गया।

जनपद लखनऊ के हरदोई रोड स्थित बरावन कलां में सीवर/वाटर लाइन की व्यवस्था कराने की मांग

120-श्रीमती जय देवी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हरदोई रोड स्थित बरावन कलां में सीवर/वाटर लाइन की व्यवस्था किये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार किये जाने विषयक श्री कौशल किशोर, सांसद का पत्र माह जून, 2017 पर आदेश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित श्री कौशल किशोर, मा0 सांसद का पत्र 'माह जून, 2017' नगर विकास विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हरदोई रोड स्थित दुबग्गा चौराहे पर सीतापुर रोड से आने वाली बाइपास सड़क को वाया बेगरिया रेलवे लाइन के पास बने रिंग रोड से जोड़े जाने सम्बन्धी

121-श्रीमती जय देवी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हरदोई रोड स्थित दुबग्गा चौराहे पर सीतापुर रोड से आने वाली बाईपास सड़क को वाया बेगरिया रेलवे लाइन के पास बने रिंग रोड से जोड़ने हेतु प्राक्कलन तैयार किये जाने विषयक श्री कौशल किशोर, सांसद का पत्र माह जून, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मा0 सांसद के पत्र में उल्लिखित मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। अतः उक्त मार्ग का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद बस्ती एवं नगर पंचायत रूधौली में सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण कराने सम्बन्धी

122-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के शहरी क्षेत्र एवं नगर पंचायत रुधौली में सार्वजनिक प्रसाधन न होने के कारण महिलाओं को बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस्ती शहर एवं नगर पंचायत रुधौली में सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पालिका परिषद् बस्ती में 09 सार्वजनिक शौचालय निर्मित एवं 06 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। नगर पंचायत हरैया में 10 मीटर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका तथा चार स्थानों पर 30 शीटर सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन है व 08 पुरुष व 08 महिला यूरिनल स्थापित है। नगर पंचायत रूधौली बाजार, बस्ती के मुख्य कस्बे/बाजार में सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा 05 सीटेड सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 05 सीटेड सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण 16 स्थानों पर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वायोमैट्रिक 03 अद्द यूरिनल व 03 अद्द टायलेट की आपूर्ति के साथ स्थापना की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

123-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सहकारिता मंत्री को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124-श्री संजय गर्ग-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0-119932, दिनांक 19-05-2017 जो संवर्ग प्राधिकारी, सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के अधीनस्थ संवर्ग सेवा के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक की वेतन विसंगति दूर किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

प्रकरण में अवगत कराना है कि संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के अधीनस्थ सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक को क्रमशः उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ के उप महाप्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक के समतुल्य पदक्रम में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त पदक्रम में उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप उच्चीकरण तिथि को संवर्ग सेवा के सदस्यों द्वारा की गयी सेवा के वर्षो की गणना न करते हुए जो वेतन प्राप्त कर रहे थे उसके समकक्ष या फिर एक प्रक्रम ऊपर रखते हुए फिट/समायोजित किया गया है, जो नियमानुसार सही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में कृष्णा/काली/हिन्डन नदियों में फैक्ट्रियों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित जल की रोकथाम कर सफाई के सम्बन्ध में

125-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में चीनी मिलों द्वारा प्रदूषित पानी कृष्णा नदी, काली नदी व हिंडन नदी में गिराये जाने के कारण आस-पास के गांवों से रहने वाले जन-मानस में कैंसर, टी0बी0, चर्मरोग जैसी बीमारियां फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नदियों में फैक्ट्रयों द्वारा छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी की रोक थाम हेतु फैक्ट्रियों में जल शुद्धीकरण यंत्र लगवाना अनिवार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में 02 चीनी मिलें-मै0 रमाला शुगर मिल, रमाला, बागपत एवं मै0 एस0बी0ई0सी0 चीनी मिल, लायन मलकपुर, बागपत स्थापित है। उक्त दोनों चीनी मिलों में उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र

स्थापित हैं। विगत क्रासिंग सीजन (वर्ष 2016-17) में उद्योग मै0 रमाला शुगर मिल, रमाला, बागपत का दिनांक 28-01-2017 एवं 03-02-2017 को तथा उद्योग मै0 एस0बी0ई0सी0 चीनी मिल, लायन मलकपुर, बागपत का दिनांक 21-01-2017 एवं 28-01-2017 को शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया एवं विश्लेषण आख्या के अनुसार विभिन्न परिचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये। वर्तमान में दोनों चीनी मिलें आफ सीजन होने के कारण बन्द हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत के पत्र दिनांक 07-07-2017 द्वारा बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में चीनी मिलें द्वारा प्रदूषित पानी कृष्णा नदी, काली नदी व हिण्डन नदी में गिराये जाने के कारण आसपास के गांव में रहने वाले जनमानस में कैंसर, टी0बी0, चर्मरोग जैसी बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में पुष्टि नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में स्थापित चीनी मिलें-मै0 रमाला शुगर मिल, रमाला, बागपत एवं मै0 एस0बी0ई0सी0 चीनी मिल, लायन मलकपुर, बागपत में उत्पादन प्रक्रिया से जनित होने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र पूर्व से स्थापित हैं।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली सिंचाई हेतु नहर को देवबन्द लिंक से जोड़ा जाना

126-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली के अन्तर्गत निर्माणाधीन चौधरी चरण सिंह खरीफ (कृष्णा हिंडन दोआब) नहर एनएचआर का निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण न होने के कारण उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त नहर से 3 ब्रांचें एवं उनसे निकलने वाले 07 माइनरों में आज तक पानी नहीं आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई की समस्या के स्थायी निदान हेतु इसे खरीफ नहर की श्रेणी से हटाकर नियमित करने एवं इसको देवबंद लिंक से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत हिण्डन, कृष्णा, दोआब नहर परियोजना के अन्तर्गत 03 शाखाओं एवं 06 माइनरों का 102.25 कि0मी0 लम्बाई का निर्माण किया जाना था, जिनमें से 98.2 कि0मी0 लम्बाई में नहर का निर्माण वर्ष 2005-06 में पूर्ण कर लिया गया था। भूमि न मिलने के कारण 03 माइनरों में 4.05 कि0मी0 लम्बाई के 03 गैप अवशेष हैं। परियोजना को जल उपलब्धता के अनुसार खरीफ में चलाया जा रहा है।

जी नहीं। जल उपलब्धता के अनुसार निर्मित लम्बाई में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी नहीं। हिण्डन कृष्णा परियोजना मात्र खरीफ सींच हेतु परिकल्पित है। रबी की फसल हेतु इन नहरों के लिए जल उपलब्धता न होने के कारण रबी में नियमित रूप से चलाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली से समालखा (हरियाणा) मार्ग पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कराया जाना

127-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली से समालखा (हरियाणा) मार्ग पर प्रस्तावित पुल का शिलान्यास हुए काफी समय हो चुका है परन्तु निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू कराकर निर्धारित समयावधि में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु का निर्माण हरियाणा व उ0प्र0 दोनों राज्यों की सहभागिता से निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्यांश के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्यांश की स्वीकृति अभी निर्गत नहीं की गयी है। उक्त परियोजना अनारम्भ की श्रेणी में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग की 6 लेन करने की मांग

128-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित कर 6 लेन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सहारनपुर, दिल्ली राज्य मार्ग सं0-57 वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के अधीन है। राज्य सरकार द्वारा इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने हेतु अनापत्ति पत्रांक-1064/23-12-2017-1080/14, दिनांक 14-05-2017 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने व आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण करने का निर्णय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उप मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

129-श्री सुखदेव राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 03/स0वि0स0 दीदारगंज दिनांक 26-05-2017 जो ग्राम गौसड़ी में सुरेन्द्र प्रजापति के घर होते हुए ग्राम असाढ़ा में राम लखन गौतम के ट्यूबवेल तक के सड़क निर्माण (वि0ख0-महम्मदपुर आजमगढ) विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम असाढ़ा व ग्राम गोसड़ी पूर्व से ही अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उप मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

130-श्री सुखदेव राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 04/स0वि0स0 दीदारगंज दिनांक 26-05-2017 जो ग्राम लालपुर से सहबली व पिपरौला बाजार से कुसवा बाजार तक (विकास खण्ड-मार्टिनगंज, आजमगढ़) सड़क निर्माण कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम लालपुर से सहबली न होकर अपितु लारपुर साहब अली एक ही मजरा है, जिसकी आबादी 200 है, इस मजरे को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना तथा पिपरौला से कुसवां सम्पर्क मार्ग एक कच्चा मार्ग है परन्तु दोनों ग्राम पूर्व से ही अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं, अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना, लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महाराजगंज स्थित गड़ौरा चीनी मिल पर किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में

131-श्री प्रेमसागर पटेल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गड़ौरा चीनी मिल जनपद-महराजगंज पर विगत 3 वर्षों का 38 करोड़ रुपये गरीब किसानों का बाकी होने के कारण प्रभावित किसान बेहाल होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल पर बकाये की धनराशि सम्बन्धित किसानों को दिलवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 20-07-2017 की स्थिति के अनुसार जनपद महाराजगंज में स्थापित जे0एच0वी0 शुगर मिल्स लि0, गड़ौरा पर मात्र पेराई सत्र 2014-15 के अन्तर्गत रु0 29.92 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। पेराई सत्र 2015-16 एवं 2016-17 के अन्तर्गत उक्त चीनी मिल पर कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है।

चीनी मिल गड़ौरा पर उक्त पेराई सत्र का गन्ना मूल्य बकाया होने के कारण बकाया की वसूली एवं उसके भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17(4) के अन्तर्गत दिनांक 20-08-2015 की वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। चीनी मिल के विरुद्ध निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा चीनी मिल की चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। चीनी मिल की मशीनरी तथा परिसर में स्थापित भवनों व उपलब्ध भूमि का मूल्यांकन कराया जा चुका है। प्रकरण में नीलामी की तिथि 15'05-2017 एवं 15-06-2017 नियत थी परन्तु बोलीदाता के अभाव में नीलामी नहीं हो सकी। अग्रेतर नीलामी की तिथि 14-08-2017 नियत की गयी है। तद्नुसार नीलामी प्रक्रिया हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के लिए समुचित सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने की योजना की जानकारी

132-सुश्री अदिति सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को खेती के लिए समुचित सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप लगाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश में किसानों को खेती के लिए समुचित सिंचाई सुविधा हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप निर्माण परियोजना प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत 2000 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 79 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है। आगामी 02 वर्षों में अवशेष राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के डिग्री कालेज स्थित माइनरों पर अवैध कब्जा हटाये जाने की जानकारी

133-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली शहर के डिग्री कालेज स्थित माइनर पर बिल्डरों द्वारा माइनर का अस्तित्व समाप्त करते हुये बहुमंजिली बिल्डिंग का निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर, पर हुये अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार की ग्राम सभा सरांय अख्तियार स्थित चन्दी सिंह के पुरवा को पक्की सड़क से जोड़ा जाना

134-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं को पक्के मार्गों से जोड़ने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियां की ग्राम सभा सरांय अख्तियार के चन्दी सिंह के पुरवा को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

चन्दी सिंह का पुरवा विकास खण्ड रोहनिया के ग्राम रसूलपुर का मजरा है तथा यह 2.20 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक निर्मित मार्ग से जुड़ा है। चन्दी सिंह का पुरवा ग्राम सराय अख्तियार की ओर से नहीं जुड़ा है। बसावटों को मल्टी-कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पुनर्वास अधिनियम के तहत भारत आए हिन्दू-बंगाली बन्धुओं के आवंटित भूमि को संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने की जानकारी

135-श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 10 वर्ष का पट्टा धारक संक्रमणीय भूमिधर हो जाता है ? सन् 1964 में भारत आए हिन्दू बंगाली बन्धु जिनको तत्कालीन सरकार ने पुनर्वास अधिनियम के तहत लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि प्रति परिवार आवंटित की थी को भी संक्रमणीय भूमिधर घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

पुनर्वास अधिनियम के तहत पुनर्वासित परिवारों को दी गयी कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में संक्रमणीय अधिकार दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

प्रकरण में शासन स्तर पर समग्र रूप से विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

गोमदी नदी को सूखने से बचाने के लिए कार्ययोजना बनाने की मांग

136-श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी को सूखने से बचाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में गोमती नदी में जल का सतत् प्रवाह है।

जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित विकास खण्ड जगतपुर में गंग नहर की सिल्ट सफाई हेतु फर्जी भुगतान का प्रकरण

137-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के ऊंचाहार के विकास खण्ड जगतपुर से एन0टी0पी0सी0 तक 5 कि0मी0 गंगनहर की सिल्ट सफाई व गड्ढा बन्दी का कार्य बिना निविदा के व बिना कार्य कराये रुपया 40 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी भुगतान की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

कार्य का भुगतान अभी नहीं हुआ है। मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश दिनांक 20-07-2017 द्वारा कार्य की जांच/सत्यापन हेतु जांच समिति गठित की गई है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की तहसील डलमऊ से वाया लक्ष्मनपुर से जगतपुर-सलोन मार्ग का चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण में घटिया सामग्री एवं मानकों के विपरीत निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग

138-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में डलमऊ तहसील में वाया लक्ष्मनपुर से जगतपुर सलोन मार्ग के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग एवं मानकों

के विपरीत निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता की जांच टी0ए0सी0 अथवा किसी अन्य संस्था से सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद रायबरेली में डलमऊ तहसील से वाया लक्ष्मनपुर से जगतपुर सलोन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। मार्ग का निरीक्षण दिनांक 21-12-2016 को टी0ए0सी0 द्वारा एवं दिनांक 01-03-2017 को अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा किया गया, जिसमें कार्य मानक के अनुरूप पाये जाने के दृष्टिगत अग्रेतर जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश गन्ना शोध परिषद् में वर्ष 2015 में 19 वैज्ञानिकों की अनियमित नियुक्ति का प्रकरण

139-श्री सुशील सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश गन्ना शोध परिषद् में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2015 में 19 वैज्ञानिकों की नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो जांच की क्या प्रगति है ? क्या सरकार उक्त अनियमित नियुक्तियों की जांच समयबद्ध सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के स्तर पर की गयी वैज्ञानिकों की नयी नियुक्तियों में अनियमितता किये जाने सम्बन्धी प्राप्त हुई शिकायतों की जांच कराये जाने का निर्णय लेते हुए जांच समिति का गठन किया गया है तथा समिति को जांच रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश गन्ना शोध परिषद् में रिक्त पड़े निदेशक के पद पर नियुक्ति करने की जानकारी

140-श्री सुशील सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश गन्ना शोध परिषद् में निदेशक के पद पर सरकार स्थायी नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् की सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उद्योग मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

141-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता वृद्धि एवं सह उत्पादकता

बढ़ाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां।

सरकार के दिनांक 19-03-2017 को गठन के साथ ही रमाला शुगर मिल के क्षमता विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में विमर्श आरम्भ करके समस्त अपेक्षित औपचारिकता पूर्ण कर सहमति प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली के अन्तर्गत चौधरी चरणसिंह खरीफ (कृष्णा हिंडन दोआब) नहर परियोजना को देवबंद लिंक से जोड़ने एवं नियमित रूप से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

हिण्डन कृष्णी परियोजना मात्र खरीफ की सींच हेतु परिकल्पित है तथा रबी के फसल हेतु इन नहरों के लिये जल उपलब्धता नहीं होने के कारण इसे रबी में नियमित रूप से चलाया जाना सम्भव नहीं है। इस परियोजना को देवबन्द फीडर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि परियोजना पूर्व से देवबन्द फीडर से जुड़ी हुई है, किन्तु देवबन्द फीडर में उपलब्ध जल पूर्व से ही पूर्ण रूपेण अन्य कृषि क्षेत्रों/सिंचाई प्रणालियों हेतु आवंटित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गन्ना मूल्य निर्धारण करने की नीति की जानकारी

143-श्री सुखदेव राजभर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह किन तथ्यों पर आधारित है ? क्या सरकार गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पेराई सत्र हेतु गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस हेतु दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जाता है। राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण हेतु समस्त सुसंगत पहलुओं पर विचार कर संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए मुख्य

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ''राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति'' तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को विभागीय बिन्दुओं पर सूचना/आंकड़े एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता मे उप समिति का गठन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार गठित की जाने वाली ''राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति'' एवं उप समिति द्वारा अपने-अपने स्तर पर विभिन्न शोध संस्थानों के विषय विशेषज्ञों, भारत सरकार के अधीनस्थ विभाग यथा-राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ तथा गन्ना निदेशालय, लखनऊ, गन्ना समितियों के डाइरेक्टर/चेयरमैन व कृषक प्रतिनिधियों, चीनी मिल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे विचार-विमर्श किया जाता है। तत्क्रम में हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित विवरणों यथा गन्ना उत्पादन में आने वाली लागत, चीनी मूल्य, वैकल्पिक फसलों के समर्थन मूल्य, चीनी मिलों को सह उत्पादों से प्राप्त होने वाले लाभ आदि कारकों पर सम्यक परीक्षण व विचारोपरान्त समिति द्वारा अपनी संस्तुति राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाती है। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

पेराई सत्र 2017-18 के लिए गन्ना मूल्य का निर्धारण यथा समय किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों द्वारा प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से जनजीवन को बचाने की कार्य योजना की जानकारी

144-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से जनजीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रदेश की नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से जनजीवन को बचाने हेतु नदियों पर तटबन्धों का निर्माण, कटाव निरोधक कार्य व इनकी पुनर्स्थापना की योजनाएं एवं निर्मित बाढ़ संरचनाओं/जल निकास हेतु ड्रेनों के अनुरक्षण कार्य कराने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

उप मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145-श्री सुखदेव राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 06/स0 वि0 स0 दीदारगंज दिनांक 26-5-2017 जो कि विकास खण्ड मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ में ग्राम सहिजना से

युसुफपुर सरहद तक सड़क निर्माण विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम सहजना व ग्राम युसुफपुर पूर्व से ही अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में राप्ती, घाघरा, शारदा, बड़ी गण्डक आदि नदियों से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए कार्य योजना बनाये जाने की जानकारी

146-श्री सुखदेव राजभर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में राप्ती, घाघरा, शारदा, बड़ी गण्डक व अन्य छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आने से उक्त क्षेत्र में प्रतिवर्ष जनधन की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बाढ़ से निपटने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

बचाव हेतु नदियों पर निर्मित तटबन्धों व कटान निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना की योजनाएं एवं इनके रख-रखाव व मरम्मत तथा समुचित जल निकास हेतु ड्रेनों का अनुरक्षण कार्य कराने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आमी, राप्ती, मोहिन, केन, बेतवा, गंगा तथा यमुना नदियों की डिसिल्टिंग की योजना बनाने की मांग

147-श्री सुखदेव राजभर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आमी, राप्ती, मोहिन, केन, बेतवा, गंगा तथा यमुना नदियों की डिसिल्टिंग न होने के कारण उथली हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों की डिसिल्टिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नदियों से सिल्ट जमा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्षा ऋतु में नदी में अधिक जल स्रोत होने पर नदी की तली में जमा सिल्ट स्वतः ही बह जाती है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जनपद गाजियाबाद द्वारा इन्दिरापुरम् हैबिटेट सेण्टर में सोशियो कल्चर सेण्टर बनाने में हुई अनियमितता का प्रकरण

148-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा इन्दिरापुरम् हैबिटेट सेण्टर पर सोशियो कल्चर सेण्टर बनाने के लिए अनियमित रूप से बिना टेण्डर किये बिल्डर को वर्ष 2006 में 25 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त संस्था द्वारा 80 प्रतिशत हिस्से पर कामर्शियल एक्टिविटीजएवं 45 प्रतिशत सोशियों कल्चर में ओपेन पार्किंग की जगह दुकानें बना ली गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त पर प्राधिकरण द्वारा कुल रूपये 11 करोड़, 33 लाख, 27 हजार, 9 सौ 37 रूपये जमा कराये जाने हेतु नोटिस भी दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के दोषियों के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी अदित्यनाथ-

इन्दिरापुरम् योजना के अहिंसा खण्ड-1 स्थित इन्दिरापुरम् हैबिटेट सेन्टर के भू-खण्ड संख्या-16 क्षेत्रफल 50800 वर्ग मीटर के निस्तारण हेतु दिनांक 14-09-2005 को हिन्दुस्तान टाइम्स, पायनियर, बिजनेस स्टैन्डर्ड एवं दिनांक 15-09-2005 को टाइम्स आफ इण्डिया समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर दिनांक 29-09-2005 को नीलामी लगायी गयी थी, जिसमें (1) मै0 एस0सी0आई0 पी0एल0 कन्सोर्शियम, (2) डिवाइन कन्सट्रक्शन, (3) क्रोसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें मै0 एस0सी0आई0पी0एल0 कन्सोर्शियम की उच्चतम बोली 14050.00 प्रति वर्ग मीटर प्राप्त हुई। नीलामी समिति की संस्तुति पर दिनांक 05-06-2005 को उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इन्दिरापुरम् आवासीय योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड संख्या-16 अहिंसा अखण्ड-1 का मानचित्र परमिट संख्या-207/जोन-6/2013-14, दिनांक 05-08-2013 को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका विकास एवं निर्माण मै0 शोमैन क्लब एण्ड इन्स0 प्रा0लि0 द्वारा किया जा रहा है। हैबिटेट सेन्टर का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है अर्थात् कुछ निर्माण कार्य एवं फिनिशिंग का कार्य शेष है। उपयोग से पूर्व प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। हैबीटेट सेन्टर में 25 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग, 45 प्रतिशत सोशियोक्ल्चर एवं 30 प्रतिशत रीक्रेशनल उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। विकासकर्ता द्वारा 25 प्रतिशत व्यवसायिक उपयोग को पूर्ण कर उसका आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से नियमानुसार प्राप्त कर उपयोग किया जा रहा है। सोशियोकल्चर उपयोग में इन्टीग्रेटेड हेल्थ एजूकेशन सेन्टर फार यंग चिल्ड्रन ब्लाक का पार्ट पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपयोग किया जा रहा है। शेष सोशियोकल्चर उपयोग एवं रीक्रेशनल उपयोग का कार्य अभी निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त

सोशियोकल्चर एवं रीक्रेशनल में डीड के प्राविधानों के अनुसार उल्लिखित उपयोग ही कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। जहां तक सोशियोकल्चर में ओपेन पार्किंग की जगह दुकान बनाये जाने का प्रश्न है, स्थल पर ओपेन पार्किंग यथावत् खुली हुई है। इसमें कुछ स्थानों पर विकासकर्ता द्वारा अस्थायी क्योस्क बनाये गये थे, जिसे दिनांक 22-05-2017 को ध्वस्त कराया जा चुका है।

जी हां। शमन शुल्क की किश्तों के भुगतान में विलम्ब होने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्तर से नोटिस जारी की गयी थी।

विकासकर्ता पर शमन शुल्क की दो किश्तों की देयता कुल धनांक 11 करोड़, 33 लाख, 27 हजार, 9 सौ 37 रुपये देय थी, जिसे समय पर जमा न करने पर दण्ड ब्याज का प्राविधान है। विकासकर्ता द्वारा धनांक 11 करोड़, 33 लाख, 27 हजार, 9 सौ 37 रुपये के सापेक्ष धनांक 14 करोड़, 33 लाख, 27 हजार, 9 सौ 37 रुपये प्राधिकरण में जमा कराया जा चुका है, जिसमें दण्ड ब्याज भी सम्मिलित है। उक्त जमा धनराशि में प्रथम एवं द्वितीय किश्तों एवं दण्ड ब्याज रु0 1,77,27,895.00 सहित बिल्डर पर अधिरोपित करते हुए शेष धनांक 1,22,72,105.00 को दिनांक 24-05-17 को देय तृतीय किश्त में समायोजित किया गया है।

प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में व्यय की गई धनराशि की जानकारी

149-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गड्ढ़ामुक्ति योजना के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस पर व्यय होने वाली धनराशि और सड़कों के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है।

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज में स्थित चीनी निगम की इकाई को चालू कराने की मांग

150-श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के शाहगंज में स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिल को सरकार चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 04-01-2011 द्वारा शाहगंज चीनी मिल का विक्रय/हस्तान्तरण मै0 वेब इण्डस्ट्रीज लि0 को किया गया था। वर्तमान में यह चीनी मिल निगम के स्वामित्व में नहीं है।

शाहगंज चीनी मिल निजी क्रेता के अधीन होने के कारण इस मिल पर उ0प्र0 राज्य चीनी निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में शाहगंज चीनी मिल को निगम द्वारा संचालित/चालू किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद गोण्डा के बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यूनिट बभनान के निकट गांव में किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

151-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 यूनिट बभनान एवं डिस्टलरी बभनान ग्राम पंचायत फूलवापुर बभनी, करनपुर, बभनान, सकदरपुर, बेलहरी आदि गांवों में ग्राम समाज/तालाब/चकरोड/चारागाह/तालाब की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त फैक्ट्रियों से अवैध कब्जा की गयी जमीन खाली करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गोण्डा के बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 यूनिट बभनान एवं डिस्टलरी यूनिट बभनान ग्राम पंचायत फुलवापुर, बभनी, करनपुर, बभनान, सकदरपुर, बेलहरी बुजुर्ग आदि गांवों में ग्राम समाज/तालाब/चकरोड/चरागाह की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा अथवा अवैध निर्माण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यूनिट बभनान द्वारा गन्ना किसानों के गन्ने की घटतौली रोकने की मांग

152-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट बभनान, गोण्डा व मनकापुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट दतौली बलरामपुर में क्रय केन्द्रों पर चिप लगाकर घटतौली कराये जाने तथा अरली प्रजाति के नाम पर रिजेक्ट गन्ना की पर्ची देकर किसानों का शोषण किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं। प्रश्नगत क्रय क्रेन्द्रों पर चिप लगा कर घटतौली किये जाने तथा अरली प्रजाति के नाम पर रिजेक्ट गन्ना की पर्ची देकर किसानों का शोषण किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सोरांव-कल्यानपुर मार्ग का डामरीकरण कराने की मांग

153-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सोरांव-कल्यानपुर मार्ग पर लगभग 4.2 कि0मी0 दूरी पर स्थित राजस्व ग्राम खनीनार को जाने वाले कच्चे रास्ते पर जल जमाव से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद इलाहाबाद में सोरांव-कल्यानपुर मार्ग के कि0मी0 05 में स्थित खनीनार राजस्व ग्राम पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। प्रश्न में वर्णित कच्चा रास्ता ग्राम का आन्तरिक मार्ग है। ग्राम के आन्तरिक मार्ग के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम खनीनार में चक मार्गों को पजेशन में लाकर निर्माण कराने की जानकारी

154-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मऊआइमा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खनीनार में चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी है किन्तु चक मार्ग पजेशन में अभी तक न होने से कृषकों के ट्रैक्टर आदि के आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजस्व ग्राम के चक मार्गों को पजेशन में लाकर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम खनीनार परगना व तहसील-सोरांव, जनपद-इलाहाबाद में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत धारा-52(1) का प्रकाशन दिनांक 27-07-13 को हो चुका है। धारा-52 के प्रकाशन के पूर्व ग्राम में चकों एवं चकमार्गों का सीमांकन कराया जा चुका है। ग्राम में चकमार्गों की संख्या-39 है। विवादित चकमार्ग नम्बर 64 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। इस प्रकार सभी चकमार्ग मौके पर खाली हैं। इन चक मार्गों पर खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान खनीनार के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता के सराय भूपति-लक्ष्मीबाई स्कूल से ग्राम बछुआ तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

155-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में पूरे सुखदेव मार्ग पर सराय भूपति-लक्ष्मीबाई स्कूल से बांधवा नाला पुल से पार करते हुए ग्राम बछुआ पुल तक लगभग 6 कि0मी0 का कच्चा मार्ग गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग ग्राम सराय भूपति-लक्ष्मीबाई स्कूल से प्रारम्भ होकर ग्राम बछुआ जूडापुर लेपित मार्ग के कि0मी0 01 की सीमा पर समाप्त होता है। मार्ग की कुल लम्बाई 4.1 कि0मी0 है, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :--

(1) प्रारम्भिक 0.675 कि0मी0 खड़जा मार्ग है।

(2) 1.075 कि0मी0 कच्चा मार्ग है।

(3) 0.675 कि0मी0 पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित लेपित मार्ग है।

(4) 1.675 कि0मी0 (बछुआ जूडापुर लेपित मार्ग के जंक्शन तक) कच्चा है।

प्रश्न में वर्णित ग्राम सराय भूपति व ग्राम बछुआ पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से संतृप्त है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के बकुलाही नदी पर पुराने लूप में जल प्रवाह हेतु भयहरण नाथ धाम के पास डायवर्जन का निर्माण कराने की जानकारी

156-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में लगभग 25 वर्ष पूर्व ग्राम पूरे तोरई से बकुलाही नदी का पूरेवैष्णव, गौरा, बाबूपुर, सराय देवराय, छतौना, शोभीपुर होकर ढेमा तक का लगभग 22 कि0मी0 लूप का अप्राकृतिक कटान होने से लगभग 50 ग्राम सभाओं में घोर पेयजल संकट व सिंचाई का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बकुलाही नदी पर पुराने लूप में जल प्रवाह हेतु पूरे तोरई के भयहरण नाथ धाम के पास डायवर्जन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

बकुलाही नदी की लम्बाई 156.200 कि0मी0 है जो जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी में मिलने से पूर्व 42.00 कि0मी0 लम्बाई में प्राकृतिक नाले के रूप में बहती है। वर्षाकाल में नदी के इस भाग में जगह-जगह जलप्लावन की समस्या रहती थी। इसके निदान हेतु बकुलाही नदी के लूपों को काटकर

सीधा करने का कार्य वर्ष 1990 से 93 के मध्य किया गया। बकुलाही नदी के कि0मी0 42.00 के अप स्ट्रीम में भयहरणनाथ धाम के पास 21.25 कि0मी0 लम्बा पूरा लूप था, जिसको काटकर सीधा कर दिया गया था। लूप वाले क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु ग्रीष्मकाल में पानी की कमी हो जाती है।

समस्या के निदान हेतु लूप क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर साध्य पाये जाने पर नई बनाई गई चैनल में एक रेगुलेटर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे पुरानी लूप में जल का प्रवाह हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के रसूलपुर माइनर व मितौली ड्रेन तथा घोड़सारा ड्रेन की सफाई कराने तथा पानी टेल तक पहुंचाने विषयक

157-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में स्थित रसूलपुर माइनर व मितौली ड्रेन तथा घोड़ सारा ड्रेन में कई वर्षों से सफाई नहीं करायी गयी व पानी भी नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं रसूलपुर माइनर की सफाई वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में करायी गयी है, जिसमें टेल तक पानी उपलब्ध हो रहा है। मितौली ड्रेन की सफाई वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा घोड़ सारा ड्रेन की सफाई वित्तीय वर्ष 2017-18 में करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में वर्ष 2016-2017 में लगाये गये पेड़ों की संख्या

158-श्री प्रभात कुमार वर्मा--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2016-17 में पर्यावरण दिवस पर कुल कितने पेड़ लगाये गये हैं तथा उनमें से कितने पेड़ सूख गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विकास खण्डवार विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

गोण्डा वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभागीय परिसर गोण्डा (झंझरी ब्लाक, जनपद मुख्यालय) में प्रतीकात्मक रूप से 25 पौधे रोपित किये गये थे, जोकि जीवित हैं।

माह जून में वृक्षारोपण का समय उपयुक्त न होने के कारण वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जाता है। अतः 05 जून, 2016 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में अन्य स्थानों पर पौध रोपण नहीं किया गया।

जनपद गोण्डा में सरयू नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना

159-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद गोण्डा में सरयू नहर परियोजना निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु समय सीमा निर्धारित कर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में विभिन्न मदों में हुए व्यय का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

वर्ष 2019-20 तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर वर्ष 2015-16 में रु0 834.00 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में रु0 300.00 करोड़ धनराशि व्यय की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के धर्मदासपुर में नहर के कट जाने से हुई फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

160-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की मनकापुर तहसील के धर्मदासपुर में बड़ी नहर कट जाने से माह मई, 2017 में कई गांवों में पानी भरने से हजारों एकड़ गन्ना की फसल नष्ट होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्रभावित गन्ना किसानों को सूचीबद्ध करते हुए मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गोण्डा के मनकापुर तहसील के धर्मदासपुर में बड़ी नहर (गोण्डा शाखा), तालाब, पोखर भरने हेतु संचालित थी। दिनांक 23-05-2017 को गोण्डा शाखा के कि0मी0 117.680 दायां किनारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काट दी गई जिसकी सूचना मिलने पर कटिंग बन्द करा दी गयी। कटिंग से आस-पास के कुछ क्षेत्र में जल भराव हुआ, परन्तु कोई विशेष हानि नहीं हुई।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मृतक के मुखिया को दिये जाने सम्बन्धी

161-डा आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ उन्हीं मृतक के परिजनों को मिलता है जिनका नाम राजस्व खतौनी में दर्ज होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बीमा का लाभ परिवार के ऐसे सदस्यों को भी देने पर विचार करेगी जो परिवार के मुखिया (अभिभावक) की भूमिका में तो होते हैं किन्तु माता-पिता के जीवित रहते उनका नाम खतौनी में दर्ज नहीं रहता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उत्तर प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए पूर्व संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण का प्राविधान रखने के सम्बन्ध में जानकारी

162-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आबकारी नीति किस प्रकार से लागू की गयी है ? क्या आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण का प्राविधान है ? यदि हां, तो आरक्षणवार प्रदेश के जिलों में आवंटन का विवरण सरकार बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पेय मदिरा के उत्पादन, वितरण व व्यापार पर एकांतिक विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार इस अधिकार को जन सामान्य को हस्तान्तरित करती है और इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपभोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु आबकारी नीति जारी करती है और जारी आबकारी नीति के अन्तर्गत प्रदेश की आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी विभाग की दुकानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जाति अथवा अन्य किसी को आरक्षण दिया जाना व्यावहारिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टि से प्रदेश के व्यापक राजस्वहित में औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

जनपद शामली में डिवीजन लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर की सिल्ट सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवमुक्त धनराशि का विवरण

163-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिवीजन लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली की सिल्ट सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन द्वारा कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिस डिवीजन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों को पृथक-पृथक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा उक्त धनराशि किस-किस कार्यों में खर्च की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर शामली को वित्तीय वर्ष 2017-18 में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु रु0 66.35 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।

लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर शामली के अन्तर्गत आने वाले जनपद सहारनपुर को रु0 1.00 लाख, शामली को रु0 19.70 लाख, बागपत को रु0 43.95 लाख तथा गाजियाबाद को रु0 1.70 लाख की धनराशि सिल्ट सफाई हेतु आवंटित की गई है। इस धनराशि से आंशिक रूप से सिल्ट सफाई का कार्य हुआ है। शेष कार्य वर्षा के बाद किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में गड्ढा मुक्त हुई सड़कों की संख्या की जानकारी

164-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने की नीति के अनुपालन में जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र-बड़ौत में कौन-कौन सी सड़कें पूर्णतया गड्ढामुक्त हुई हैं तथा कौन-कौन सी सड़कों पर कार्य चल रहा है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बड़ौत की शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में गड्ढ़ा मुक्त हेतु चिन्हित कुल 56 सड़कों में से 42 सड़कों को दिनांक 15-06-2017 तक गड्ढामुक्त किया जा चुका है तथा 14 सड़कों पर गड्ढामुक्ति कार्य प्रगति में है। विधान सभा क्षेत्र बड़ौत की शेष क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/निर्माण कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बागपत की विधान सभा क्षेत्र की नहर/राजवाहा/माइनर की पटरियों को गड्ढामुक्त करके क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग

165-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के अनुपालन में विधान सभा क्षेत्र-बड़ौत में नहर/राजवाहा/माइनर की कौन-कौन सी पटरियां पूर्णतया गड्ढामुक्त हुईं तथा कौन-कौन सी पटरियों पर कार्य चल रहा है ?

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बड़ौत की शेष क्षतिग्रस्त नहर पटरियों की मरम्मत/निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में नहर/राजवाहा/माइनर की लगभग 36.520 कि0मी0 पटरियों पर पक्की सड़क निर्मित है, जिनमें से 12.030 कि0मी0 सिंचाई विभाग के नियन्त्रणाधीन है, जिनकी टॉप सरफेस एवं टॉप कोट जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इन सड़कों की पुनर्स्थापना का प्राक्कलन तैयार कर धनावंटन के पश्चात् पुर्नस्थापना कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विधायकों को प्लाट आवांटित किये जाने की मांग

166-श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नव निर्वाचित विधान सभा सदस्यों को आवास के लिये सरकार प्लाट आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न प्राधिकारणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों/भू-खण्डों में मा0 विधायक, मा0 सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है।

सरकारी खरीद समितियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आलू की खरीद की जानकारी

167-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आलू उत्पादन का लक्ष्य कितना था तथा उसके सापेक्ष कितने टन आलू का उत्पादन हुआ ? क्या सरकार बतायेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने टन आलू की खरीद सरकारी खरीद समितियों द्वारा की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 155 लाख मिट्रिक टन आलू उत्पादन का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 155.63 लाख मिट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ।

वर्ष 2016-17 में उत्पादित आलू के क्रय हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आलू का न्यूनतम बाजार हस्तक्षेप मूल्य रु0 487/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना अवधि दिनांक 08 अप्रैल, 2017 से 07 मई, 2017 तक राज्य सरकार की संस्थाओं यू0पी0एग्रो, पी0सी0एफ0, हॉफेड एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा कुल 12937.78 कुन्तल आलू क्रय किया गया।

आवश्यकता नहीं।

सिंचाई मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

168-श्री पंकज गुप्ता-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज प्रकरण सं0-18156170080831, दिनांक 06 जून, 2017 जो कि उन्नाव शाखा के ग्राम चौरा से रायबरेली रोड क्रासिंग के मध्य नहर पक्की कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत रीच उन्नाव शाखा के कि0मी0 12.375 से कि0मी0 18.167 के मध्य है। इस रीच में सीवेज आदि की कोई समस्या नहीं है। उतः इस रीच में नहर पक्की कराया जाना तकनीकी रूप से उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सिटी ट्रान्सपोर्ट के पी0आर0डी0 के द्वारा नियुक्त परिचालकों का वेतन भुगतान किये जाने की जानकारी

169-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट के तहत संचालित हो रही सिटी बसों के परिचालक जो कि पी0आर0डी0 से आये हैं, को विभाग द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समयबद्ध तरीके से उक्त परिचालकों का बकाया वेतन भुगतान कराकर विलम्ब के लिये दोषियों को चिन्हित कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत समस्त पी0आर0डी0 कर्मिकों का माह फरवरी, 2017 तक का मानदेय माह जुलाई, 2017 में सम्बन्धित जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के अधिकारियों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजा जा चुका है। पी0आर0डी0 से आये परिचालकों को सीधे वेतन भुगतान नगरीय परिवहन निदेशालय के माध्यम से नहीं किया जाता है। नगरीय परिवहन सेवा का संचालन लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के

माध्यम से किया जाता है, जो घाटे में चल रही है। उक्त घाटे की प्रतिपूर्ति समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है। उक्त के आलोक में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मे मानदेय पर कार्यरत सेवकों के मानदेय के भुगतान में विलम्ब होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सरकारी निर्माण इकाइयों द्वारा कार्यदायी संस्था/ठेकेदार को आगणन के मुताबिक मिट्टी आपूर्ति करने सम्बन्धी

170-श्री पंकज गुप्ता-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी निर्माण इकाईयों द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों को सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था/ठेकेदार को आगणन के मुताबिक उनकी मांग पर मिट्टी की आपूर्ति/उपलब्धता हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए जो आगणन बनाया जाता है, उसमें आवश्यकतानुसार मिट्टी की आपूर्ति/उपलब्धता हेतु रायल्टी के भुगतान आदि से सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मौके पर कार्य के अनुसार मिट्टी की आपूर्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा स्वयं व्यवस्था की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम हरिहरपुर में बाबा कीनाराम जी की तपोस्थली का अनुरक्षण कराये जाने की मांग

171-श्री दिनेश चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हरिहरपुर थाना चन्दवक में गोमती नदी के तट पर अवस्थित जनमानस की आस्था के प्रतीक महान सन्त बाबा कीनाराम जी की तपोस्थली, नदी के बहाव व बाढ़ के कारण ध्वस्त की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तपोस्थली का अनुरक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। नदी द्वारा बांये बैंक की कटान की गयी है, जिससे तपोस्थली बैंक के निकट आ गयी है।

नदी की कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य (पिचिंग एवं एप्रन) की परियोजना तैयार की गयी है।

उक्त परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज क्षेत्र के कतिपय कस्बों में अवैध रूप से टैक्सी, टैम्पों से दैनिक वसूली के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग

172-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज क्षेत्र के कस्बा गोसाईंगंज, गंगागंज, नगराम, अमेठी, निगोहां, मोहनलालगंज में टैम्पो, टैक्सी व अन्य व्यवसायिक वाहनों से टैक्सी स्टैण्ड का बिना टेण्डर अवैध रूप से दैनिक वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना टेण्डर कराये वसूली करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उक्त क्षेत्रों में टैम्पो, टैक्सी व अन्य व्यवसायिक वाहनों से बिना टेण्डर अवैध रूप से दैनिक वसूली का कोई प्रकरण अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री लगाये जाने की मांग

173-श्री नरेश सैनी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में पापुलर पेड़ भारी मात्रा में पैदा होता है किन्तु प्लाईवुड की फैक्ट्री न होने के कारण पापुलर की लकड़ियों को दूसरे प्रदेशों हरियाणा आदि में किसानों द्वारा कम रेट पर बेचा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सहारनपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)-

वर्तमान आंकलित प्रकाष्ठ क्षमता के आधार पर सहारनपुर जनपद में 02 प्लाईवुड फैक्ट्री स्थापित है। सहारनपुर में कृषकों द्वारा पापुलर पेड़ उगाया जाता है जिसे वे स्थानीय काष्ठ मण्डी, स्थानीय प्लाईवुड कारखानों को बेचते हैं एवं कुछ लकड़ी समीपवर्ती हरियाणा राज्य को भी जाती है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जनपद लखनऊ में जाम की समस्या को देखते हुए पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती किनारे सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की मांग

174-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती किनारे सरकार सम्पर्क मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोमती नदी के किनारे पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड को मिलाने वाले बन्धे एवं उस पर सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोई बजट व्यवस्था नहीं है।

175-श्री सुखदेव राजभर-

[04थे मंगलवार के अता0प्र0सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के सिटी जेल ड्रेन की सफाई व पक्का कराये जाने की जानकारी

176-श्री पंकज गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पर दर्ज प्रकरण सं0 पी0जी0 10559799, दिनांक 15-12-2014 जो कि सिटी जेल ड्रेन, उन्नाव की सफाई व पक्का कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-12-2014 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मायन्वर, व्यवस्था का प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुखलाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठें, पहले हम निधन की सूचना सदन को देंगे।

एक दुःखद सूचना है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री सुखलाल का 16 जुलाई, 2017 को निधन हो गया। वह लगभग 60 वर्ष के थे। श्री सुखलाल जी का जन्म 14 नवम्बर, 1957 को हुआ था, उन्होंने एम0एस0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुखलाल वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र बरखेड़ा (अ0जा0), जिला पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुखलाल महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नाम-निर्दिष्ट सदस्य तथा पीलीभीत हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी के उपाध्यक्ष रहे थे। जन सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुखलाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

विधान सभा के सक्रिय सदस्य के रूप में उनकी बहुत ख्याति रही। स्वाभाविक ही श्री सुखलाल के निधन से आज पूरा आदरणीय सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे आदरणीय सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करें। मैं इस आदरणीय सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूँगा।

अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनाएं लेने के बाद मैं आपकी बात को सुनूंगा।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-07-2017 को कुल 53 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :--

पहली सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में कोतवाली, थाना व चौकियों के कार्यालय व आवास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री अशीष कुमार सिंह 'आशू' की विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई मे राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत सदर ब्लाक के चन्दौली, छित्तों हिनौती, बिसौरी, जमुलीपुर ड्रेन की सफाई के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 विमलेश पासवान की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मुख्य चौराहा कौड़ीराम पर सुलभ शौचालय

बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र में कोन एवं करमा ब्लाक घोषित किये जाने के बाद भी कोई व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी श्री बाबा गोरखनाथ की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी पर चुनार घाट पर वर्षा ऋतु मे लो0नि0वि0 द्वारा नौका संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य की जनपद मिर्जापुर के मझवां एवं सिटी ब्लाक में महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद में स्थित टिकैतराय तालाब में फौव्वारे एवं प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण योजना लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर में बायो गैस संयंत्रों एवं टर्नकी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में महिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को हैण्डओवर कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद उन्नाव में कोतवाली, थाना व चौकियों के कार्यालय व आवास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान लोक महत्व के विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद उन्नाव की कोतवाली, थानों और चौकियों के कार्यालय और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रहने के आवास बहुत ही पुराने एवं जर्जर अवस्था में हैं। जनपद उन्नाव कोतवाली सफीपुर, थाना एफ-84, थाना अचलगंज, थाना बारासगवर, थाना बीघापुर, चौकी राजेपुर का कार्यालय व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नये आवास बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। इनके बन जाने से सरकारी कर्मचारी व जनता के बीच में सरकार के प्रति अच्छा संदेश जायेगा। जनहित के इस प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[महोदय, जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है और जो भी प्राईवेट महाविद्यालय हैं व अवैध वसूली में संलिप्त हैं और इनका शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। यहां पर गरीब मेधावी छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है जिस कारण यहां से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। यहां पर एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हो जाने से क्षेत्र के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

आपके माधम से इस सम्मानित सदन का ध्यान उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत सदर ब्लाक के चन्दौली छित्तों हिनौती, बिसौरी, जमुलीपुर ड्रेन की सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय-380 चन्दौली के अन्तर्गत सदर ब्लाक के चन्दौली, छित्तों हिनौती, बिसौरी, जमुलीपुर ड्रेन की सफाई विगत 10 वर्षों से नहीं हुई है। यह ड्रेन रायल ताल के ड्रेन में जाकर मिलता है। जिससे चन्दौली नगर और अन्य 50 गांवो इससे लाभान्वित होते हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मुख्य चौराहा कौड़ीराम पर सुलभ शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विमलेश पासवान-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के सबसे महत्वपूर्ण चौराहा कौड़ीराम है जहां लाखों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में हजारों महिलायें और बच्चियां आती हैं जहां पर कोई सुलभ शौचालय न होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार की मंशा भी हर महत्वपूर्ण स्थानों पर सुलभ शौचालय बनाने की है परन्तु स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण यहां आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया जा सका है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए कौड़ीराम चौराहे पर सुलभ शौचालय बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र में कोन एवं करमा ब्लाक घोषित किये जाने के बाद भी कोई व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[महोदय, जनपद सोनभद्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दो ब्लाक कोन और करमा घोषित किये गये थे। परन्तु घोषणा किये जाने के बाद अभी ब्लाक बनाने हेतु कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी है जिससे इस क्षेत्र के लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे है। जनहित में घोषित नवीन ब्लाक कोन और करमा पर ब्लाक स्तर की सुविधायें अविलम्ब प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद सोनभद्र में घोषित नवीन ब्लाक कोन और करमा पर ब्लाक स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबा गोरखनाथ -

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में कोई भी राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है। इस कारण पूरे क्षेत्र की छात्राओं को दूर फैजाबाद शिक्षा के लिये जाना पड़ता है अथवा अपनी पढ़ाई को बीच में ही बन्द करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि विकास खण्ड मिल्कीपुर के ग्राम परसवां में उ0प्र0 राजकीय नि0नि0 की ईकाई सूडा-1 के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय महिला महाविद्यालय के लिए अवशेष धनराशि को जनहित में अवमुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी पर चुनार घाट पर वर्षा ऋतु में लोक निर्माण विभाग द्वारा नौका संचालन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुराग सिंह-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चुनार, जनपद-मिर्जापुर में गंगा नदी पर चुनार घाट पर वर्षा ऋतु में नौका संचालन की व्यवस्था जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक एवं स्कूली छात्र-छात्राएं इस पार से उस पार जाते रहते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में पैण्टून पुल के अभाव में नाव द्वारा ही गंगा नदी को पार करना एक मात्र साधन है। इस स्थिति में गंगा नदी पर चुनार घाट पर जब तक पावर चार्ज/मोटर वोट नहीं हो जाती है, तब तक अनवरत् रूप से नौका संचालन की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य सा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के मझवां एवं सिटी ब्लाक में महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड मझवां एवं सिटी ब्लाक में कोई महाविद्यालय नहीं है। मझवां विधान सभा क्षेत्र पहले से ही अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। कोई महाविद्यालय न होने से क्षेत्र शैक्षिक रूप से और पिछड़ता चला जा रहा है। अधिकांश बालिकायें क्षेत्र में कालेज न होने से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में महाविद्यालय की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद लखनऊ में स्थित टिकैतराय तालाब में फौव्वारे एवं प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, भारत के यशस्वती पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जब लखनऊ से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए थे उस समय पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजा टिकैत राय के द्वारा निर्मित तालाब जो पानी के अभाव में सूख गया था उसका सौन्दर्यीकरण करने के लिए अपनी सांसद निधि से एक संगीतमय फौव्वारे का निर्माण करवाया था और तालाब का सौन्दर्यीकरण भी कराया था। विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होने के कारण यह तालाब उपेक्षित हो गया और इसमें लगा हुआ फौव्वारा और बिजली कट जाने के कारण अन्धकार में डूब गया। वर्तमान समय में यह अशलीलता और अराजक तत्वों के लिए अपराध का केन्द्र बन गया। यहां पर सुबह और शाम सैकड़ों की संख्या में स्त्री और पुरुष टहलने के लिए आते हैं। इस तालाब का एक इतिहास है। इसे सुव्यवस्थित कराकर फौव्वारे को चलवाने और विद्युत प्रकाश को जलवाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए टिकैत राय तालाब के संगीतमय फौव्वारे और प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण योजना लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर में जो सन् 1735 से पीतल उद्योग के मामले में अग्रेतर रहा है किन्तु विगत में शासन की उपेक्षात्मक रवैये के कारण पीतल उद्योग के मामले में अपनी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्याति से वंचित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु यदि प्रशिक्षित कराए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई जाय तो मिर्जापुर जनपद एक अपनी प्राचीनतम् उद्योग के नाम से विश्वविख्यात बन सकता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, जौनपुर में एक भी सरकारी आई0टी0आई0 (ITI) कालेज नहीं है। जनपद जौनपुर में सिर्फ एक ही सरकारी आई0टी0आई0 (ITI) स्कूल राजकीय औद्योगिक, प्रशिक्षण केन्द्र, सिद्दीकपुर, जौनपुर में है, जो कि विधान सभा क्षेत्र से 39 कि0मी0 दूर है। हमारे यहां के छात्र-छात्राओं को पढ़ने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्रों के हितों को देखते हुए आई0टी0आई0 (ITI) स्कूल की स्थापना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदलापुर विधान सभा क्षेत्र में आई0टी0आई0 (ITI) स्कूल की स्थापना हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय,

1-विकास खण्ड काकोरी ग्राम शेरपुरमऊ के उत्तर में पुत्तीलाल के खेत के पास।

2-विकास खण्ड काकोरी ग्राम जलियामऊ बहरू के मजरा नईबस्ती के पश्चिम में बलराम रावत के खेत के पास।

3-विकास खण्ड काकोरी ग्राम जलियामऊ के पश्चिम-दक्षिण में राकेश के खेत के पास।

4-विकास खण्ड काकोरी ग्राम गोहरामऊ के दक्षिण में सतीश पूर्व प्रधान के परामर्श से।

5-विकास खण्ड काकोरी ग्राम पहिया के पूरब में डा0 राजेन्द्र व विजय मौर्य के परामर्श से।

6-विकास खण्ड काकोरी ग्राम सैदपुर में होरीलाल, गनेश व विजय दिव्यांग के परामर्श से।

7-विकास खण्ड काकोरी ग्रामपंचायत पलिया के मजरा बेढ़ौना में रविराज लोधी व दयाशंकर बी0डी0सी0 के परामर्श से।

8-विकास खण्ड काकोरी ग्राम बड़ागांव/करीमाबाद में रिन्कू मौर्या, आदित्य रावत, प्रधान अनिल कश्यप के परामर्श से।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-विकास खण्ड काकोरी ग्रामपंचायत मुबारकपुर में प्रधान श्री जागन लोधी के परामर्श से।

10-विकास खण्ड काकोरी ग्राम मनभौना में श्री रघुनन्दन प्रसाद के परामर्श से।

11-विकास खण्ड मलिहाबाद ग्राम किठाईपारा के दक्षिण महादेव के खेत के पास।

12-विकास खण्ड मलिहाबाद ग्राम गोसवां के दक्षिण कैलाश के खेत के पास।

13-विकास खण्ड मलिहाबाद ग्राम खड़ौहा के दक्षिण सूरजबली के खेत के पास।

14-विकास खण्ड मलिहाबाद ग्राम तरौना में पूर्व से स्थापित नं0-16 नलकूप का रिबोर या उसके समीप नया नलकूप स्थापित करने।

15-विकास खण्ड माल के ग्राम रनीपारा के उत्तर-पूरब में बंशीलाल के परामर्श से।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त सूचना ग्रहण करके इस अति लोक महत्व के विषय को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद शाहजहांपुर में बायो गैस संयंत्रों एवं टर्नकी के निर्माण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में निर्मित कराये गये बायोगैस संयंत्रों/टर्नकी की अवशेष अंकन रुपये 2,97,000/- धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण किये गये संयंत्रों हेतु रुपये 8,07,500/- की धनराशि अभी तक जनपद में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित 85 लक्ष्य के सापेक्ष 85 की पूर्ति सुनिश्चित की गयी है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2012-13 में स्थापित किये गये 53 संयंत्रों हेतु रुपये 4,24,000/- जनपद को प्राप्त हुआ है, शेष धनराशि भी अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 321/22/सहा0लेखा0/वायोगैस अनुदान/2016-17 दिनांकित 05-05-2017 के द्वारा आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की अवशेष धनराशि कुल अंकन 17,22,000/- रुपये उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में महिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को हैण्ड ओवर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महादेय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। जनपद-गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-सैदपुर 374 में नगर पंचायत सैदपुर (टाउन) में लगभग 10 वर्षों से बने महिला अस्पताल व देवकली विकास खण्ड में बने 15 वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किन्हीं कारणोवश आज तक विभाग को हैण्डओवर नहीं किया गया जो टूटकर आज गिर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है और एक भी नव निर्मित भवन में डाक्टर नहीं बैठे। इसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ सरकार के आर्थिक कार्य की दुरुपयोग किया जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराकर ठेकेदार व सम्बन्धित अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करने हेतु सरकार के पुरजोर मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार शैलू-

[मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के निम्न स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराया जाना जनहित में अतिआवश्यक है :--

1-वि0ख0 पचपेड़वा ग्राम वीरपुर नहर से कुसमहर रोड तक मरम्मत का कार्य।

2-ग्राम बुढ़वलिया गांव से मिश्रौलिया गांव तक मरम्मत कार्य।

3-वि0ख0 गैसड़ी मे बनकटवां गांव से जोगनियां पोखर भिटवा मोड़ तक रोड मरम्मत का कार्य।

4-ग्राम कटैया भारी गांव से नन्द नगर गांव तक मरम्मत का कार्य।

5-ग्राम भगवानपुर खादर से कुती रमतलहा तक रोड मरम्मत का कार्य।

6-ग्राम मल्दाडीह से उदयपुर घाट तक रोड मरम्मत का कार्य।

7-ग्राम हाती बंधा तिराहा से मल्दा बहगांव तक रोड के मरम्मत का कार्य।

8-वि0ख0 गैसड़ी जैतपुर पी0डब्लू0डी0 रोड सिसवां गांव त्रिलोकी के घर के सामने से सेमरहना नहर तक रोड मरम्मत का कार्य उल्लेखनीय है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी की उपरोक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों हेतु सड़कों के मरम्मत का कार्य किया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर में **विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी की विभिन्न ग्राम पंचायतों का सड़कों के मरम्मत कराये जाने हेतु** सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :--

1-श्री माधवेन्द्र प्रताप कुं0,

2-श्री शारदा प्रसाद,

3-श्री प्रेम सागर पटेल,

4-श्रीमती कमल रानी,

5-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा,

6-श्री पंकज गुप्ता,

7-श्री उदयभान सिंह चौधरी,

8-श्री दिनेश चौधरी,

9-डा0श्याम बिहारी लाल,

10-श्री राजीव तरारा,

11-श्री सत्यवीर त्यागी,

12-श्री महेन्द्र पाल सिंह,

13-श्री मनीष असीजा,

14-श्रीमती माधुरी वर्मा,

15-श्री संजय सिंह गंगवार,

16-श्रीमती सुनीता,

17-श्री अगयश रामसरन वर्मा,

18-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

19-श्री प्रमोद उटवाल,

20-श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल,

21-श्री रमाशंकर सिंह,

22-श्री रामनरेश रावत,

23-श्रीमती कृष्णा पासवान,

24-श्री रमेश चन्द्र दिवाकर,

25-श्री तेजेन्द्र निर्वाल,

26-श्री रामचन्द्र यादव,

27-श्री देवेन्द्र कुमार निम,

28-श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव,

29-श्रीमती सावित्री कठेरिया,

30-श्री विपिन कुमार डेविड,

31-डा0 अनीता लोधी राजपूत,

32-श्री राहुल प्रकाश,

33-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

34-श्री राजेश गौतम,

35-श्री कमल सिंह मलिक,

36-श्री पूरन प्रकाश,

37-श्री जटाशंकर त्रिपाठी,

38-श्री विक्रम सिंह।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26 जुलाई, 2017 को नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की, माननीय सदस्यों की संस्तुति पर पीने के पानी एवं सरकार द्वारा कराये जा रहे अन्य विकास कार्यों एवं ''लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017'' के अन्तर्गत सम्पन्न कराये जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में। वर्मा जी, नियम-300 में इस आदरणीय सदन की कार्य-संचालन की प्रक्रिया नियमावली से सम्बन्धित विषय ही आते हैं और यह पूरा का पूरा विषय है सदस्यों की सिफारिश पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाये, यह अलग है इस नियम में बिल्कुल नहीं आता है। आपकी सूचना पूरी की पूरी किसी भी तरह नियम-300 की परिधि में उसको स्पष्ट करते हुए भी नहीं निकलती। आप इस विषय को अन्य किसी नियम में उठायेंगे तो ठीक रहेगा। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना मा0 श्रीमती जयदेवी जी की, जनपद लखनऊ के अंतर्गत चौक से दुबग्गा अवैध रूप से चल रहे टैम्पों/चार पहिया वाहनों को कहीं भी खड़ा करने से जाम लगने एवं जनमानस को कठिनाई होने तथा अवैध रूप से चल रहे डग्गामार वाहनों को हटाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध है।

जैसा कि मैंने नियम-300 के बारे में बताया कि इस सदन के कार्य-संचालन नियमावली की कोई बात हो, आपको लगे कि ठीक से नहीं चल रही है अथवा इस आदरणीय सदन को संचालित करने वाले संविधान के उन अनुच्छेदों का जो सीधे सदन की कार्यवाही से संबंधित हैं उन पर कहीं ध्यानाकर्षण करना हो तो नियम-300 में आता है। यह सूचना किसी और नियम में आती तो ज्यादा ठीक था।

आप दोनों माननीय सदस्य जो नियम-300 में सूचनायें लाये हैं, अलग से अपना विषय लिखकर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को दे देंगें। वह आपकी बात का आदर करेंगे।

स्व0 मथुरा प्रसाद पाल के निधन के निर्देश के समय अनुपस्थित विपक्ष द्वारा सेण्ट्रल हाल में सदन के समानान्तर सदन चलाकर शोक प्रस्ताव पारित किये जाने पर विपक्ष के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग

***श्री मनीष असीजा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष बहुत गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। विगत 24 तारीख को हम सबके साथी स्व0 मथुरा प्रसाद पाल जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, के निधन के निदेशों में जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार किया। अपने एक साथी विधायक की श्रद्धांजलि के अवसर पर भी उनको यह सूझा नहीं कि उनको यहां रहना चाहिए और अपने साथी के शोक प्रस्ताव पर अपनी सहभागिता देनी चाहिए। मान्यवर, सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि जिस प्रकार से समूचे विपक्ष ने तिलक हांल में समानान्तर सदन जैसा कि हम सभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथियों ने अखबारों में पढ़ा, उसका संचालन किया। जब यह अत्यन्त आदरणीय सदन जो आप हमेशा हम सबको यह बात सम्बोधित करके समझाते हैं कि यह सदन सर्वोच्च है, इसका आदर सबसे ऊपर है। जब वह सदन चल रहा है, उस सदन का बहिष्कार, एक साथी विधायक के शोक प्रस्ताव का बहिष्कार, और उसके साथ एक पैरेलल सदन चला उस पर भी मान्यवर, सबसे ज्यादा मुझको कष्ट हुआ, जो हम सबको कष्ट हुआ। आप हम सबके संरक्षक हैं, इस पीठ पर सर्वोच्च हैं, आपके दिशा-निर्देश, आपके मार्ग-दर्शन पर ही यहां हम सब लोग सदन की सारी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं और समय-समय पर शब्दों में विपक्ष यह बोलता भी है। जब आप पीठ पर हैं, आप माननीय अध्यक्ष हैं वहां उन्होंने समानान्तर एक अध्यक्ष बनाकर उस कार्यवाही का संचालन किया। यह अपने आप में लोकतांत्रिक परम्पराओं का जितना उपहास हो सकता है, जितना इसकी गरिमा को ठेस पहुँचाया जा सकता है इसके लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में होता है। जब हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग भी नाराज हो जाते थे, हम लोग भी वैल में आते थे लेकिन इस बार का जो विपक्ष का आचरण है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि सारी परम्पराओं को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया गया है। अध्यक्ष के होते हुए, सर्वोच्च पीठ पर आपके होते हुए समानान्तर एक अध्यक्ष बन बैठे, यह अपने आप में घोर निन्दनीय भी है और अपने आप में संसदीय परम्पराओं का हनन भी है।(मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था दी जाय जिससे कि भविष्य में हम सभी लोग, चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में हों, यह तो लगातार चलने वाला सिलसिला है, कुछ भी विरोध का कदम उठायें लेकिन पीठ की अवमानना न हो, सदन की अवमानना न हो और समाज में ऐसा संदेश न जाय , मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ।

(सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप भी इस पर बोलेंगें ?

***श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-**

मान्यवर, बस दो मिनट। उत्तर प्रदेश की विधान सभा का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और यह विधान सभा ही नहीं बल्कि इस पूरे विधान भवन के आप संरक्षक हैं। इस पूरे विधान सभा का एक-एक कक्ष आपके अंडर में आता है। कौन सी पार्टी का ऑफिस किस कक्ष में रहे, यह आप निर्धारित करते हैं। किस विभाग का किस कमरे में कार्यालय रहे, यह आप आवंटित करते हैं। मेरे ख्याल से असीजा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैं उस पर बल देते हुए कहता हूँ कि यह सरासर इस विधान सभा की अवमानना है। अवमानना से कम इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है।(मेजों की थपथपाहट) मेरा तो आपसे यही अनुरोध है अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से एक पैरेलल सदन चलाने का प्रयास किया गया उसकी सूचना न तो उन्होंने आपको दी, बिना आपको सूचित किये कैसे एक पैरेलल विधान सभा सेन्ट्रल हाल में चल गई। यह आपका ही नहीं बल्कि यह पूरी विधान सभा की अवमानना है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है अध्यक्ष जी और इस पर हम लोग आपकी व्यवस्था चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मथुरा पाल जी के निधन पर जब सम्मानित सदन शोक संवेदना व्यक्त कर रहा था उस समय सम्पूर्ण विपक्ष सदन के बाहर था और बाहर जाकर नौटंकी के माध्यम से जो इन्होंने समानान्तर सदन चलाने की कोशिश की है इस पर कठोरतम् कार्यवाही की जाय और मैं सदन से कहूँगा कि मथुरा पाल के निधन के समय जो शोक संवेदना व्यक्त की जा रही थी उसमें यह लोग शामिल नहीं हुए। इनकी घोर निन्दा की जाती है इस सदन द्वारा। यह निन्दा की जाय।

***श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को वॉक-आउट करने का पूरा अधिकार है। यह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि उनको जो समय उपलब्ध है वह उसका फायदा उठायें या न उठायें लेकिन इस विधान सभा परिसर के अंदर एक पैरेलल, एक मॉक या मूक क्या शब्द प्रयोग किया जाय, एक काल्पनिक विधान सभा बना करके और अफसोस की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जब यहां पर अपनी बात नहीं कह पाये तो वहां पर विपक्ष के नेता बन गए। यह सीनियर लोग थे जिन्होंने लोकतंत्र के अन्दर संसदीय परम्पराओं की हत्या की। माननीय अध्यक्ष जी आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए था। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रिसिंपल सेक्रेट्री जी बैठे हुए हैं बिना इनकी अनुमति के अगर उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है तो इनकी तरफ से कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अगर इन्होंने नहीं किया तो आपको फिर उनको यह सिखाना होगा कि भविष्य में लोकतंत्र के इतिहास को कलंकित करने का कोई काम न करें और उन्हें जो दंड आपके नियमों के अर्न्तगत हो, आप जो उचित समझते हों, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए वरना यह भविष्य में, जिस तरह से इन्होंने विधान सभा बना ली, कल यह थाने बनाने का प्रयास करेंगे, परसों कचहरी बनाने का प्रयास करेंगे, यह क्या तमाशा है और इसमें सीनियर लोग बैठे हुए थे, आजम खां साहब बैठे हुए थे,लालजी वर्मा बैठे हुए थे, लल्लू जी बैठे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए थे, यह अशोभनीय नहीं, यह शर्मनाक भी है, इसकी सदन को निन्दा करनी चाहिए, और सारे सदन को उनको दंडित करने की मांग करनी चाहिए यही आपसे मेरी प्रार्थना है।

(मेजें थपथपाई गईं)

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय अभी व्यवस्था के माध्यम से कई माननीय सदस्यों ने उठाया वह वास्तव में गम्भीर है। 22 तारीख को सुबह इस सदन के एक सम्मानित सदस्य श्री मथुरा प्रसाद पाल का निधन होता है और हम लोग मान्यवर, वहां पर अफसोस जाहिर करने भी जाते हैं। सदन में पहले से ही यह सूचना आ जाती है कि निधन का निदेश होगा 24 तारीख को, मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जिस दिन निधन का निदेश हो उस दिन सामान्यतया कोई कार्यवाही नहीं होती है सदन का, कोई और बिजनेस नहीं होता है। मान्यवर, ठीक उसी परम्परा का निर्वाह करते हुए आपकी तरफ से यहां पर एक कार्यसूची जारी हुई जिसमें केवल एकसूत्री कार्यक्रम था, उस दिन सदन में केवल शोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संवेदना होनी थी। इस बात को कहने का आशय मेरा यह है मान्यवर, कि पूरी तरह से परम्पराओं के अनुरूप यह जानकारी थी कि आज यहां पर सदन में निधन का निदेश लिया जाएगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी। पहले से जानकारी होना, उसके बाद सुबह एजेन्डा प्राप्त हो जाना, आपके कार्यालय से, प्रमुख सचिव के कार्यालय से उसके ऊपर एक कार्यमंत्रणा समिति का आयोजन किया जाना, कार्यमंत्रणा समिति में भी, विपक्ष के लोगों ने बहिष्कार किया नहीं आए मान्यवर। सामान्यतया होता यह है कि सरकार के किसी निर्णय से, किसी आचरण से, किसी व्यवहार से अगर विपक्ष असन्तुष्ट होता है तो वह अपना असंतोष कई तरह से जाहिर करता है,लेकिन अभी तक की यह परम्परा नहीं रही कि अध्यक्ष पीठ से, या माननीय अध्यक्ष जी कार्यमंत्रणा को आहूत करें, और कार्यमंत्रणा समिति में विपक्ष के लोग ना जाएं, ऐसा होता नहीं है मान्यवर, सामान्यतया नहीं होता है, यह भी परम्परा के खिलाफ है मान्यवर, उसके बाद जब 11 बजे सदन बैठा तो केवल एक सूत्री कार्यक्रम था कि हमारे दिवंगत नेता को श्रद्धान्जलि अर्पित करने का, और दिवंगत नेता को इस सदन के माध्यम से श्रद्धान्जलि अर्पित की गई। हम लोग उस संबंध में शोक प्रस्ताव भी लाए और आपसे यह अनुरोध किया कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुँचा देंगे। मान्यवर, हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज में बड़ी-बड़ी खानदानी बुराइयां भी हैं। बड़ी-बड़ी पारिवारिक रंजिशों को लांघकर भी हम चाहे गांव में हों चाहे शहर में हम अपनी तमाम बुराइयों को उस वक्त भूल जाते हैं जब कोई इस प्रकार की घटना होती है। जब कोई इस प्रकार का समाचार होता है कितने ही विरोधी क्यों न हों गांव में परम्परागत तरीके से बहुत जगह पार्टीबन्दी होती है झगड़े भी होते हैं लड़ाइयां भी होती हैं खानदानी दुश्मनी होती है लेकिन उस वक्त भी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं यह हमारी परम्परा रही है यह हमारी ही नहीं मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसी परम्परा है जिसका निर्वाह लोग स्वाभविक तरीके से करते हैं बिना किसी के याद दिलाए बिना किसी के कहे यहां पर जो विपक्ष का आचरण है पहली बात तो कोई ऐसा विषय नहीं था जिसके ऊपर सदन का बहिष्कार होता नेता सदन ने अपनी बात रखी थी बजट के मुद्दे पर और विपक्ष एक भी बात यह नहीं बता पाया कि कौन सी बात असंसदीय है किस विषय पर किस शब्द पर उनको आपत्ति है। ज्ञापन दिया गया अखबारों में दिया गया विपक्ष की तरफ से यह बताया गया कि हमको कुचलना चाहते हैं जेल में डालना चाहते हैं बरबाद करना चाहते हैं यह तो सब बयान आया लेकिन मान्यवर क्या कह दिया ऐसा जिसकी वजह से पूरा विपक्ष बाहर उसी में समझते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया यहां सदन में चुनकर इसलिए आए कि अपनी बात रखें वाद- विवाद में हिस्सा लें चर्चा में हिस्सा लें क्षेत्र की जनता ने जो उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास को पूरा करते हुए यहां पर सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएं बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करके या सेन्ट्रल हाल में बैठकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके या मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए यहां पर सदन में नहीं भेजा गया है सदन में इसलिए भेजा गया कि अगर वह सत्ता में रहें तो अपना रोल अदा करें और विपक्ष में रहें तो अपना रोल अदा करें। यही परम्परा है सदियों से चली आ रही इस परम्परा को भी तार-तार किया सबसे बड़ी बात यह है कि सेन्ट्रल हाल इसलिए नहीं है विधान सभा में उसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही हो आप सर्वसम्मति से निर्वाचित इस सम्मानित पीठ के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष के साथ साथ आपकी विद्वता पर आपके व्यक्तित्व पर आपके सदाशयता पर आप बराबर से विपक्ष को पूरा महत्व देते रहे हैं उनको सुनते आए हैं जितनी देर चाहा नेता बसपा ने

भी बोला और जितनी देर चाहा नेता कांग्रेस ने बोला। अन्य के लिए भी आपने पांच से सात मिनट का समय निर्धारित किया आप चाहें तो कार्यवाही उठाकर देख लें बजट में सभी लोगों ने जितना-जितना चाहा उतना बोल लिया तो यह आपकी सदाशयता का ही परिणाम था और आप जब उस पीठ पर विराजमान हैं तो कम से कम उनको इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था कि इस समय सदन का एक सम्मानित सदस्य हमसे विदा हुआ है और ऐसे मौके पर कम से कम हम साथ बैठकर हँस बोल न सकें तो रो तो लें कम से कम साथ में। विलाप तो साथ में कर लें निधन के निदेश में तो शामिल हो जाएं लेकिन मान्यवर, उन्होंने इस वक्त भी उस भूमिका का निर्वाह नहीं किया जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती थी। मैंने सोचा था मैंने कहा भी था मैंने पहले भी कहा था जब 24 तारीख को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होने को थी तो मैंने कहा था कि कम से कम आज तो यह लोग आ ही जाएंगे हम उम्मीद नहीं करते थे कि इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी जब समानान्तर सदन चलाकर इसी सेन्ट्रल हाल में एक अध्यक्ष विधान सभा बनता है एक विपक्षी बनता है एक नेता सदन बनता है। मैंने तो अखबारों में देखा उस वक्त वह हँस रहे थे। पता नहीं यह परम्परा कहां से लाए यह किसने सिखाया कौन इसका प्रणेता है मान्यवर, यह सदन की जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा यह सदन की पूरी तरह से अवमानना बनती है। सरासर अवमानना है एक हाउस के होते हुए निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्धारित समय पर सूचना के बाद एक विषय पर यहां पर शोक संवेदना व्यक्त की जाती है और मान्यवर, उसी वक्त पैरेलल सदन चलाकर विपक्ष के लोग प्रदेश को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। जिन-जिन मा0 सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये, मैं मा0 सदस्यों की भावना का आदर करता हूं। यह पूरी तरह से इस सदन की अवमानना है, इसलिये इसको गम्भीरता से जरूर लिया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिये। उनसे पूछा जाना चाहिये कि आखिरकार एक निर्वाचित सदन के होते हुये इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुयी, क्या मजबूरी थी, यहां पर क्यों नहीं आये और यहां पर क्यों संवेदना व्यक्त नहीं की? मान्यवर, इसकी क्या वजह थी, यह उनसे पूछा जाना चाहिये। यह सदन की अवमानना का प्रश्न है और हम आपसे इस पर व्यवस्था देने का अनुरोध करते हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री मनीष असीजा जी, मा0 श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी, मा0 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, मा0 श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी और आप लोगों ने व्यवस्था के प्रश्न के रूप में एक गम्भीर विषय की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी विस्तार से इसी से सम्बन्धित अपना मत व्यक्त किया है। यह ठीक है कि सदन में सारी दुनिया के जनतांत्रिक देशों में पक्ष होता है, विपक्ष होता है, सहमतियां होती हैं, असहमतियां होती हैं, तर्क होता है, प्रतितर्क होता है और तीखे वाद-विवाद भी होते हैं। सहमति और असहमति दोनों जिस बिन्दु पर मिलते हैं वहीं जनतंत्र मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश के इस आदरणीय सदन में भी विपक्ष अपने ढंग से अपनी बात कह रहा था, उसे कहने का अधिकार है और सरकार स्पष्टीकरण दे रही थी। सरकार को अपनी नीतियां इस आदरणीय सदन में रखने का और राज्य को अपनी नीति और कार्यक्रम के अनुसार चलाने का उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता ने ही जनादेश दिया है। यह जनादेश विपक्ष को इसलिये मिला है कि आप भारत के संविधान और इस सदन की प्रक्रिया नियमावली की

मर्यादा में रहते हुये आलोचना करें और इसी तरह सत्ता पक्ष को उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता का जनादेश मिला हुआ है कि आप भारत के संविधान और जनाकांक्षाओं और अपनी नीति और कार्यक्रम के अनुसार सरकार चलाएं। इन दोनों के बीच में तर्क-प्रतितर्क स्वाभाविक है। मैंने कई बार कहा है कि विपक्ष को वैकल्पिक नीतियों के साथ ही आना चाहिये। सत्ता पक्ष को अपनी नीति और कार्यक्रम को लागू करने का अधिकार विधि निर्वाचित व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता के जनादेश से मिलता है। दुनिया में संसदीय परिपाटी पर तमाम बहसें होती हैं। कई तरह की शासन प्रणालियां हैं। इस संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर किसी वजह से हम सदन से नाराज होते हैं तो उसका विकल्प भी सदन ही है। हम सदन को किसी कारणवश अपने उपयुक्त नहीं पाते तो उसका विकल्प भी सदन ही है। हमारी इस संसदीय प्रणाली में कोई त्रुटियां हो सकती हैं तो कोई बाहर की शक्ति आकर इस सदन में होने वाली कोई त्रुटि, इस सदन में आया कोई विचार, उसको ठीक करने का, परिमार्जित करने का, सुसंस्कृत करने का, लोकोपयोगी बनाने का और लोकमंगल का अधिष्ठान बनाने का उपाय भी इस सदन के भीतर ही है। अर्थात् यह आदरणीय सदन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के स्पंदन का, जनभावनाओं का भाग्यविधाता है और यहां से किसी नीति व कार्यक्रम के अन्तर्गत बाहर चले जाना यद्यपि यह दायित्वों से भागना है, लेकिन बाहर चले जाना यह संसदीय परिपाटी का भाग रहा है। अपनी जगह पर खड़े होकर विषय उठाना यह संसदीय परिपाटी का मर्यादित भाग है लेकिन जिस तरह आप लोगों ने सूचना दी, आदरणीय सदस्यों ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन के सामने। मुझे स्मरण आता है कि मैं जब पहली बार वर्ष 1985 में यहां आया था तब से अगर मैं सड़क से भी निकलता हूं तो विधान सभा के गुम्बद को नमस्कार करता हूं। हममें से अधिकांश सदस्य जो पुराने हैं और जो नये हैं वह भी ऐसा करेंगे, करने लगे तो ठीक रहेगा कि अगर हम सड़क से भी निकले और विधान सभा का गुम्बद देखा तो दूर से ही हाथ जोड़कर इस गुम्बद को नमस्कार करें। यह जनतंत्र का मन्दिर है और जितनी बार हम यहां प्रवेश करते हैं, हम सब सदस्य जब-जब प्रवेश करते हैं तो सिर झुकाते हैं। इस मन्दिर का सदस्य बनने के लिए, इस मन्दिर का उपासक, इस मन्दिर का निराजनकर्ता बनने के लिए हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में न जाने क्या-क्या करते हैं। हम तरह-तरह का नमस्कार करते हैं, साष्टांग दण्डवत करते हैं, कानाफूसी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, अभियान करते हैं। किस लिये करते हैं, इसलिये करते हैं कि इस आदरणीय सदन में हमको एक कुर्सी मिल जाये और हम उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता की सेवा ठीक तरीके से कर सके। इसी के लिए तो हम चुनाव लड़ते हैं और वहां से चुनाव लड़कर यहां आते हैं और फिर जिसके लिए आये थे उससे पृथक हो जाते हैं। जिस तरह का समानान्तर सदन बनाया गया यह वैसी ही बात है कि जैसे कोई मन्दिर है, मण्डप है और उसी का पुजारी, उसी का सदस्य अलग से एक हास्यास्पद मन्दिर खड़ा करे और उस दिन खड़ा करे जिस दिन उस मन्दिर के और हमारे एक महत्वपूर्ण परिजन का निधन हो गया हो। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी ओर से दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूं और जो विषय आप लोगों ने उठाया है उसके नीर-झीर विवेचन में आगे समय लगेगा। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि जिसके बारे में कोई बात कही गई है उसका उत्तर लेना, उसका भी पक्ष सुनना यह अति आवश्यक है। इसलिये मैं यह व्यवस्था देता हूं कि इस विषय पर हम लम्बा विचार-विमर्श करेंगे और जो माननीय सदस्य इस तरह के आयोजन में, समानान्तर सदन और वह भी सदन के परिसर में चलाने में सम्मिलित रहे हैं उनको अवसर देंगे। उनको नोटिस देंगे, उनसे पूछेंगे कि

इसकी अपरिहार्यता क्या है और उनसे जवाब पाने के बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ज्यादा ठीक होगा। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से हमारी इतनी ही व्यवस्था है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, मान्यवर। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02/2008 (स्पष्टीकरण, ज्ञापन सहित)†

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

मान्यवर, मैं अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-2017††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-2017 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2013-2014†††

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2013-14 को दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं हैं। अब मद संख्या-7

जनपद उन्नाव एवं रायबरेली में शारदा नदी से उद्भुत शारदा मुख्य नहर, हरदोई शाखा को चौड़ा करके इससे जुड़ने वाली नहरों में टेल तक पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री विनोद लोधी आदि निवासीगण जनपद-उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा जनपद उन्नाव एवं रायबरेली में शारदा नदी से उद्भुत शारदा मुख्य नहर, हरदोई शाखा को चौड़ा करके इससे जुड़ने वाली नहरों में टेल तक

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गई।

††† छापी नहीं गई।

पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री विनोद लोधी व श्री आशीष शुक्ला निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर एवं बांगरमऊ जनपद उन्नाव की जर्जर विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता आदि निवासीगण जनपद-उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर, पुरवा एवं बांगरमऊ जनपद उन्नाव की जर्जर विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला, श्री आशीष शुक्ला व श्री आनन्द अवस्थी निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड साण्डी की ग्राम सभा-छितरामऊ में गर्रा नदी पर निर्मित पुल की जनहित में एप्रोच बनवाने विषयक श्री देवेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विकास खण्ड साण्डी की ग्रामसभा-छितरामऊ में गर्रा नदी पर निर्मित पुल की जनहित में एप्रोच बनवाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व श्री विशेश्वर सिंह निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड मुख्यालय भरखनी की ग्राम भरखनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कराये जाने विषयक श्री वेदपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड मुख्यालय भरखनी की ग्राम भरखनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वेदपाल सिंह व श्री कन्हई लाल शर्मा आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर की तहसील मुख्यालय के ग्राम सवायजपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू कराने के सम्बन्ध में श्री मदन पाल सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर की तहसील मुख्यालय के ग्राम सवायजपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू कराने के सम्बन्ध में

---

† छापा नहीं गया।

श्री मदन पाल सिंह व श्री सौरभ प्रताप सिंह निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम नरभा में नाले पर सेतु पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम नरभा में नाले पर सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह व श्री राहुल सिंह निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम बावरपुर, रन्धीरपुर मार्ग में गरई नदी पर सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश त्रिवेदी आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत ग्राम बावरपुर, रन्धीरपुर मार्ग में गरई नदी पर सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्क कार्य जनहित में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश त्रिवेदी व श्री मुन्नू लाल मिश्रा निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरपालपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम श्यामपुर, सूरजूपुर दुर्जना के मध्य लघु सेतु का निर्माण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरपालपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम श्यामपुर, सुरजूपुर दुर्जना के मध्य लघु सेतु का निर्माण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व श्री विजय पाल सिंह निवासीगण जनपद हारदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा गाजीपुर में दलित बस्ती के पास नेवाड़ी ताल पर ड्रेन पर पुल के निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश सिंह प्रधान आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा गाजीपुर में दलित बस्ती के पास नेवाड़ी ताल पर ड्रेन

---

† छापा नहीं गया।

पर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह प्रधान व श्री राम सुमेर निर्मल समाजसेवी निसासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा नूरपुर कांसा में बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने विषयक डा0 पवन चौहान आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा नूरपुर कांसा में बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 पवन चौहान समाजसेवी व श्री लल्लन प्रधान निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा बहरामपुर और लिलौली के मध्य बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुनेश्वर वर्मा, समाजसेवी आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम सभा बहरामपुर और लिलौली के मध्य बकुलाही नदी पर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेश्वर वर्मा समाजसेवी व श्रीमती अनीता गौतम समाजसेविका निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत सई नदी पर ग्राम सभा बहुचरा और ग्राम सभा राजापुर (रामपुरप्रान) के बीच पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशीलाल प्रजापति आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत सई नदी पर ग्राम सभा बहुचरा और ग्राम सभा राजापुर (रामपुरप्रान) के बीच पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशीलाल प्रजापति व श्री मदन सिंह पूर्व प्रधान निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड संडवा चन्द्रिका के ग्राम दादूपुर रनसिंह में सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के विषयक श्री हरीराम पाल समाजसेवी आदि निवासीगण जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड संडवा चन्द्रिका के ग्राम दांदूपुर रनसिंह में सई नदी पर पुल निर्माण किये

---

† छापा नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री हरीराम पाल समाजसेवी व श्री उमा शंकर वर्मा समाजसेवी निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के अन्तर्गत मखदूम में स्टेडियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहताश सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के अंतर्गत मखदूम में स्टेडियम निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रोहताश सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह व श्री श्यामवीर सिंह पुत्र श्री पदम सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा में बलदेव क्षेत्र में महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों की नई सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मल्ल सिंह छौंकर पुत्र श्री राम खिलाड़ी आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा में बलदेव क्षेत्र में महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों की नई सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में श्री मल्ल सिंह छौंकर पुत्र श्री राम खिलाड़ी व श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री बुद्धाराम निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा में कस्बा राया में से निकल रहे प्रदेश के मार्ग संख्या-33, जनपद-बरेली वाया मथुरा-हाथरस-अलीगढ़-कासगंज-बरेली आदि जनपदों को जोड़ने वाले मार्गों में राया कस्बे में बाईपास निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल रावत पुत्र श्री हिम्मत सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा में कस्बा राया में से निकल रहे प्रदेश के मार्ग संख्या-33 जयपुर बरेली वाया मथुरा-हाथरस-अलीगढ़-कासगंज-बरेली आदि जनपदों को जोड़ने वाले मार्ग में राया कस्बे में बाईपास निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अनिल रावत पुत्र श्री हिम्मत सिंह व श्री वीरपाल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा के बलदेव ब्लाक के अन्तर्गत नोएडा आगरा एक्सप्रेस-वे में से आवागमन हेतु कट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह छौंकर पुत्र श्री ओमवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा में बलदेव ब्लाक के अंतर्गत नोएडा आगरा एक्सप्रेस-वे में से बलदेव में आवागमन हेतु कट दिये जाने के संबंध में श्री अजीत सिंह छौकर

† छापी नहीं गयी।

पुत्र श्री ओमवीर सिंह व श्री श्याम सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा में बलदेव ब्लाक में सरकारी कन्या डिग्री इण्टर कालेज निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में श्री सुरेश भारद्वाज आदि निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से बलदेव ब्लाक में सरकारी कन्या डिग्री इण्टर कालेज निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश भारद्वाज व श्री मदन मोहन पाण्डेय निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12, 13,14 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-15।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या विषय है?

(न्याय मंत्री मा0 श्री बृजेश पाठक जी के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

पहले आप विधेयक प्रस्तुत कर लें, हम बाद में बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 †

विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री बृजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

† दिनांक 17 अगस्त, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनिमयन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 †

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

† छापी नहीं गयी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मजदूरी संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 †

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन)(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

† छापी नहीं गयी।

† दिनांक 17 अगस्त, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन)(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 †

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017†

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

---

† छापी नहीं गयी।

† दिनांक 17 अगस्त, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से समान पारिश्रमिक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 †

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मोटर परिवहन कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 †

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

---

† छापी नहीं गयी।

† दिनांक 17 अगस्त, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017†

महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पयर्टन मंत्री (श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, गृह और सामान्य प्रशासन के ऊपर हमने इसीलिए यह छोड़ दिया था उस दिन कि सदन में कई बार विपक्षी दलों ने यह मुद्दा बनाया था कि कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कानून-व्यवस्था के ऊपर उनको अपनी बात रखने का मौका मिले मान्यवर और इसीलिए हमने यह मौका भी दिया था विपक्ष को कि वह अपनी बात सदन में आकर रखें, आलोचना भी करें और सुझाव भी दें, लेकिन मान्यवर, जब उन्होंने यही तय कर लिया है कि उनको आना नहीं है, यह भी कहा गया कि किसी ने बात नहीं की। मान्यवर, मैं उस वक्त जब मंत्रियों के वक्तव्य के समय आपने पुकारा था तो मैं इसीलिए खड़ा होना चाहता था कि मैं बता दूँ, मैंने नेता विरोधी दल को फोन किया, तो उनके सहायक ने उठाया तो कहा साहब घर चले गये, दो घण्टे के बाद जब घर पर फोन किया तो उन्होंने कहा कि घर पर सो रहे हैं, दो-तीन बार में फोन मिला, तो यह पता चला कि नेता

---

† दिनांक 17 अगस्त, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विरोधी दल सो रहे हैं, तो हमने उनको मैसेज छोड़ा कि भाई जब सो कर उठें तो कम से कम उन्हें बता देना कि मेरा फोन आया था, बात करना चाहते हैं। 24 तारीख को यहां पर लिफ्ट में मिले और हमने उनसे कहा कि यह तो सामान्य शिष्टाचार है कि अगर कोई कॉमन मैन भी फोन करता है तो भी उसको रिस्पान्स किया जाता है और मैंने तो अपना राजनैतिक ओहदा भी बताया सरकारी पक्ष भी बताया।

श्री अध्यक्ष-

आपने मनाया बहुत।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी यह कोशिश थी कि जो काम यह सदन के बाहर करते हैं, वह सदन में आकर करें।

श्री अध्यक्ष-

हालांकि विषयांतर होगा,एक फिल्म यल्गार आई थी, उसका एक गाना याद आ गया, 'तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात और थी, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी'।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बहुत सही लाइन आपने कोट की और आपकी साहित्यिक अभिरूचि और विद्धता इसी बात से परिलक्षित होती है कि आप सही समय पर सही बात कह देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। हमने कहा घर पर हमने नहीं बुलाया था, हमने आपको सदन में चर्चा के लिए आमंत्रित करने की बात कही थी कि भाई अब बहुत गुस्सा हो गया। अब कम से कम क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास आपके प्रति व्यक्त किया था उस विश्वास को ठेस मत पहुंचाइए और जो भी बात कहना है आप सदन में आकर कहिए। हमने गृह और सामान्य प्रशासन का बजट इसीलिए रोक रखा कि लोग यह न कहें कि भाई देखिये जो सरकार के बारे में हम इतने दिनों से कह रहे थे और सरकार उस विषय के ऊपर भी बजट पास कराकर चले गये वर्ना अगर हमको यह मालूम होता कि यह लोग नहीं आयेंगे तो शायद इसको आगे नहीं बढ़ाते लेकिन फिर भी हमने एक मौका दिया। मान्यवर, फिर दूसरे नेता से बात हुई जो कभी इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। हमने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आये, कम से कम आपको तो सपा और बसपा जो है, फिलहाल इलू-इलू हो रहा है लेकिन दोनों के विचार तो अलग-अलग है तो कम से कम आप अलग से फैसला करें तो बोले आपने अखबार में दे दिया कि वे भूल सुधार कर लें तो हमने कहा कि अखबार की बात का संज्ञान कहां लेते हैं और हमने तो सदन में यह बात कही थी कि कम से कम अब यह अहसास करें क्योंकि कोई ऐसा विषय नहीं था मान्यवर रूठा-राठी घण्टे दो घण्टे की, एक-आधा दिन की यह तो ठीक है लेकिन इस तरह से बिना बात के, यह भी विधानसभा में एक नया इतिहास बना कि बिना कोई कारण के अपोजिशन ने सामूहिक रूप से यह फैसला कर लिया

कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे। जनता ने जो जिम्मेदारी सौपी है यह उससे मुंह मोड़ने का परिचायक है। सदन की कार्यवाही से निरन्तर गैर हाजिर हैं। खैर मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं गृह और सामान्य के ऊपर अनुदान मांगों को प्रस्तुतीकरण भी करता हूं और उसके सम्बन्ध में 10 मिनट की बात भी रखूंगा।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61, 91, 80,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,10,00,36,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, वैसे तो माननीय नेता सदन अर्थात माननीय मुख्यमंत्री जी कल इस सदन में अपना जवाब इस सम्बन्ध में देंगे लेकिन गृह विभाग का बजट रखा गया है मान्यवर, इसमें से दो-तीन बातें हम विशेष रूप से आपकी अनुज्ञा से कहना चाहते हैं। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है तो पूरी सदाशयता के साथ मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रि-मण्डल ने एक प्रयास शुरु किया कि प्रदेश की बिगड़ी व्यवस्था को, खासतौर से बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए लेकिन मान्यवर आप सहमत होंगे कि जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा हुआ था, जिस प्रकार से पिछली सरकार में अपराधियों को लगातार सरकार का संरक्षण देकर माहौल बिगाड़ा गया था, उसे सुधारना एक दिन, एक महीने का काम नहीं है। माहौल जब एक बार बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने में वक्त लगता है। मान्यवर, उसमें समय लगता है लेकिन हमारी सरकार की नीयत और मंशा ठीक है। मा0 योगी जी की नीयत और मंशा ठीक है। वह सुधारना चाहते हैं, वह प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं। आम आदमी की जिन्दगी में बदलाव लाना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए यह तमाम कायनात बनी है उन निर्दोष लोगों को, असेवित लोगों को, उन जरूरतमन्द लोगों की जिन्दगी में बदलाव आए, उनके जीवन में खुशी आए। इसके लिए वह निरन्तर प्रयासरत हैं।

मान्यवर, वैसे भी जब कोई घर से संन्यासी निकलता है तो उसके घर वाले कभी अभिनन्दन नहीं करते। उसका अभिनन्दन समाज करता है कि जो यह तय करे कि हमको अपने लिए नहीं जीना है, अपने समाज के लिए जीना है। देश और राष्ट्र के लिए जीना है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी उसी परम्परा के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और वह प्रदेश की 22 करोड़ जनता के भाग्य का, उनके जीवन में सुधार का और सामान्य आदमी के जीवन में बदलाव लाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसी परम्परा को वह आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लगातार जो फैसले किए हैं उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा और बात तो वह ही करेंगे लेकिन बहुत सी चीजें जो यहाँ इस सदन में उठाई गईं। इस सदन में कई घटनाएँ उठाई गईं। जनपदों की घटनाएँ उठाई गईं। मान्यवर, आपने ध्यान आकर्षण किया लेकिन उसका जवाब सदन में हमारी तरफ से नहीं आ पाया इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी बात तो आई कि आज घटना यहाँ हो गई, वहाँ हो गई लेकिन हमारी बात पूरी तरीके से सदन में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि ध्यान आकर्षण में जवाब उनके घर पर जाता है। सदन में जिन बातों के ऊपर उन्होंने चर्चा की उसमें जो कार्रवाई हुई थी, जिस कार्रवाई की सूचना मेरे पास उस समय थी तो उस वक्त की सूचना हमने सदन को दी थी लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी सूचना आज सदन को देना बहुत ज्यादा उपयुक्त होगा। हमारे सदस्य भी, बहुत से लोग उससे भिज्ञ भी हो जाएँगे और कम से कम जानकारी भी मिल जाएगी। तब विपक्ष का एक पक्ष तो आया था कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यह बात तो आई लेकिन कानून व्यवस्था हमेशा खराब तब होती है जब अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण मिलता है और पिछली सरकार में अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण बेजोड़ मिला, बिना किसी रुकावट के मिला। कोई वाहन चोरी होता तो लोग कहते थे कि चले जाओ, एटा में चले जाओ। मान्यवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता और जब घड़ी देखते कि चार-पाँच घण्टे हो गए। बोले अब तो इंजन, चेचिस और नम्बर सब कुछ बदल गया होगा, रंग भी बदल गया होगा और अब तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मान्यवर, हमने उन घटनाओं का पर्दाफाश भी किया है। हम आपके सामने आज तक का वह आँकड़ा भी रखेंगे कि हमारी स्थिति कहाँ है, प्रदेश की स्थिति कहां है। मान्यवर, ये लोग जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते रहे तो उसके ऊपर भी हम आपको बताएँगे कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, दूसरे प्रदेशों की तुलना में भी हम कहाँ पर खड़े हैं? मान्यवर, जिस दिन से यह सरकार आई है, योगी जी की सरकार किसी अपराधी को, किसी आपराधिक गतिविधि को कोई संरक्षण, संवर्धन या किसी प्रकार से उनकी रक्षा करने में न तो विश्वास रखती है न उसका क्रियाकलाप है और मान्यवर, न ही हमने व्यवहार में ऐसा कहीं किया है। हमने अपराधियों को पकड़ने में, उनको नेस्तानाबूत करने में, जो बरसों पुराने अपराधी हैं उनको पकड़कर जेल में दाखिल करने का काम किया है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से 4-5 बातें विशेष रूप से सदन को अवगत कराना चाहते हैं। मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना, थाना नई मण्डी, नगर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत लूट। दिनांक 9-7-2017 को भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के मैनेजर कृष्ण कुमार अपने साथी के साथ मोटर साइकिल से एच0डी0एफ0सी0 बैंक रुपये जमा करने जा रहे थे कि रास्ते में तीन अज्ञात बदमाश उनसे 9 लाख 84 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। जिसका मुकदमा अपराध संख्या- 707/17 धारा-392

आई0पी0सी0 नई मण्डी पर पंजीकृत है। मान्यवर, विवेचना से अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए और उक्त लूटे गए माल का 8 लाख रूपया बरामद किया गया। मान्यवर, 9 लाख 84 हजार रूपये में से 8 लाख रूपये बरामद किया गया। दूसरी घटना वाराणसी की है जो इन्होंने उठाई थी वह थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत डकैती की थी दिनांक 08-04-17 को सर्राफा संजय अग्रवाल की थाना चौक पर स्थित दुकान पर 7 अज्ञात बदमाशों के द्वारा असलहे के बल पर लगभग 10-15 किलोग्राम सोना लूट लिये जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना चौक जनपद वाराणसी पर मुकद्मा अपराध संख्या-97/17 धारा-395, 397 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

(इस समय 12 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए)

विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से उक्त लूटे गए माल का एक किलोग्राम सोना और कीमत लगभग 34 लाख रूपये बरामद किया गया। तीसरी घटना मान्यवर, बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्रान्तर्गत लूट की है। दिनांक 03-06-17 को श्री अभिलाष अग्रवाल व कर्मचारी राम चन्द्र, इमरान मलिक 08 किलो सोना लखनऊ से लेकर बरेली आ रहे थे। ग्राम- टिसुवां के पास 05 बदमाशों द्वारा उक्त 08 किलो सोना लूट लिये जाने के सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली मुकद्मा अपराध संख्या-177/17 धारा-395 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से लूटा गया सम्पूर्ण माल 08 किलोग्राम सोना कीमत लगभग 2.5 करोड़ व 5.52 लाख रूपये बरामद किया गया। मान्यवर, पूरा का पूरा 8 किलो सोना बरामद किया गया। मान्यवर, इस प्रदेश की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमने यह भी कहा है कि उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन लोगों ने 8 किलो सोने और सम्पूर्ण बरामदगी इसमें की। मान्यवर, अपराध तो हर सरकार में हुए और हर सरकार में होते हैं लेकिन मान्यवर, इतनी सदाशयता से, इतनी जिम्मेदारी से, इतनी सतक्रता से उनके ऊपर कड़ाई करना, उन केसेस् को वक्रऑउट करना और विवेचना में अभियुक्तगणों को जेल भेजना और मान्यवर, बकायदा सामान की रिकवरी करना, ये इस सरकार की प्राथमिकता रही है। जनपद हाथरस में थाना सिकन्दराराऊ क्षेत्रान्तर्गत में लूट और हत्या की घटना हुई। दिनांक 11-05-17 को होजरी व्यापारी मनोज वार्ष्णेय निवासी नौरंगाबाद पश्चिमी के घर में उनकी पत्नी रेनू उर्फ रिमझिम वार्ष्णेण को जहरीला पदार्थ खिलाकर 3 लाख 50 हजार नकद तथा सोने एवं चांदी के जेवरात लूट लिये गए थे जिसके सम्बन्ध में मुकद्मा अपराध संख्या-278/17 धारा-302, 394, 452 भारतीय दण्ड संहिता सिकन्दराराऊ में पंजीकृत हुआ। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से लूटे हुए माल में से 3 लाख 10 हजार 400 रूपये तथा 246 ग्राम सोना बरामद किया गया। यह बरामद हो गया है। जनपद गोरखपुर में 14-03-17 को रेजीयंट कम्पनी के कैशियर को रिलायन्स पेट्रोल पम्प का रूपया कैशवेन द्वारा ले जाते समय 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा कैशियर व गार्ड को धमकाकर वैन में रखे 98 लाख रूपये लूट लिये गए जिसके सम्बन्ध में मुकद्मा अपराध संख्या-183/17 धारा 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता थाना खोराबाद पर पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना से 5 गिरफ्तार अभियुक्तगण से उक्त लूटे गए माल में से 31 लाख रूपया बरामद किया गया। जनपथ मथुरा में 15-05-17 को मयंक चैस ज्वैलर्स की दुकान पर मौजूद सर्राफा व्यापारी मेघ अग्रवाल और विकास से 06 अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकान में घुसकर मेघ अग्रवाल और विकास की हत्या कर लगभग 1.5 करोड़ रुपये के जेवरात लूट लिये गए। इसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली

जनपद-मथुरा पर मुकदमा अपराध संख्या-513/17 धारा-395, 397 भारतीय दण्ड संहिता बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से उक्त माल में से लगभग 01 करोड़ रूपये के जेवरात बरामद किया गया। मान्यवर, 3 घटनाओं को उल्लेख हम और करेंगे। जनपद मुरादाबाद में दिनांक 22-07-17 को सर्राफा व्यापारी श्री राजीव अग्रवाल के घर में घुसकर 6 अज्ञात बदमाशों द्वारा डरा-धमकाकर सोने-चाँदी के जेवरात व 50 हजार रूपया नकद एवं तीन मोबाइल लूट लिये जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना-सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद पर पंजीकृत मुकद्मा अपराध संख्या-472/17 धारा-395 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से उक्त माल में से लगभग 58 किलोग्राम सोने और चांदी के जेवरात कीमत 1.30 करोड़ के बरामद किये गये हैं। जनपद बुलन्दशहर, दिनांक 20-7-2017 को प्रधान डाकघर के चौकीदार की रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर 6.30 लाख रूपया लूट लिये जाने के संबंध में थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 65/17 धारा 460 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से उक्त माल में से 04.60 लाख रूपये बरामद किये गये।

(इस समय 12 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जनपद गाजियाबाद, थाना सिहानीगेट, दिनांक 28-3-2017 को सर्राफा व्यापारी मुकेश जैन से चौकी पटेलनगर के पास 7-8 बदमाशों द्वारा 11 लाख 75 हजार रूपया नगद व 35 किलोग्राम चॉदी लूट लिये जाने के संबंध में थाना पिहानी गेट जनपद गाजियाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 413/17 धारा 395/428 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण उक्त माल में से 13.50 किलोग्राम चाँदी बरामद की गयी। जनपद हापुड़, थाना पिलखुआ दिनांक 21-6-2017 को सतीश चन्द्र गोयल निवासी खेड़ागेट पिलखुआ अपने घर पर रात्रि में सोये हुए थे तभी 05 बदमाश घर में घुस आये सतीश चन्द्र गोयल की पत्नी के हाथ पैर बांध कर सोने चॉदी के जेवर व 15 लाख रूपया नगद लूट लिये जाने की घटना के संबंध में थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ पर मु0अ0सं0 609/17 धारा-395 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से गिरफ्तार अभियुक्तगण से उक्त माल मे।से 12 लाख 80 हजार रूपया बरामद किया गया है।

मान्यवर, अगर इसमें से देखें तो सर्वाधिक जोर 16-3-2017 से लेकर अब तक की रिकवरी में लगभग 63.44 प्रतिशत की बरामदगी हुई है यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह सरकार पूरी तरह से सचेत है इन घटनाओं के प्रति हमने बहुत सख्ती कर रखी है ऊपर से बहुत ज्यादा सख्ती है लेकिन नीचे आने में थोड़ा समय लगेगा और पूरी तरीके से यह सरकार, पूरी सरकार के ऊपर के अधिकारी मान्यवर, इस बात का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुँचायें। मान्यवर, पुलिस के व्यवहार की शिकायत बहुत की जाती है, एक लुंजपुंज व्यवस्था 100 नम्बर के माध्यम से हमको दी गयी थी उसमें हमने सुधार करने की बात की है। उसकी भी शिकायत बहुत है मान्यवर, हमने ट्रेनिंग के माध्यम से और हर प्रकार से ऊपर के अधिकारियों को निर्देश देकर समय-समय पर शासनादेश देकर, हमने कहा है जब से नई सरकार आई है एक निर्दोष आदमी, एक निरीह आदमी, एक असेवित व्यक्ति एक गरीब और कमजोर आदमी जिसके लिए यह थाना कचहरी सब बना है, कम से कम उसके साथ दुर्व्यवहार न हो, उसको न्याय मिले और उसको

कम से कम और कुछ न हो तो थाने में कम से कम उसको सताया न जाय उसको परेशान न किया जाय। यही व्यवस्था हमने 100 नम्बर में भी की है अभी तक की स्थिति यह थी कि जो शिकायतकर्ता था उसको भी पुलिस पकड़कर ले जाती थी और जिसके खिलाफ शिकायत होती थी उसको भी पुलिस पकड़कर ले जाती थी। अब शिकायतकर्ता को पुलिस पकड़कर नहीं ले जायेगी। अगर वह चाहे अपनी खुशी से तो रिपोर्ट लिखाने जाय, चाहे न जाय। 107/16 में जो सी0आर0पी0सी0 का सेक्शन है इसमें जो शिकायतकर्ता होता था, जो कमजोर होता था, जो पिटता था उसे भी पुलिस बन्द करती थी और जो मारता था उसे भी पुलिस बन्द करती थी। मान्यवर, अब यह व्यवस्था नहीं होगी, अब यह स्थिति नहीं होगी अब जो कमजोर है, जो सताया गया है, जो पीड़ितपक्ष है, जो रिपोर्ट करता है, जो शिकायत करता है जो कम्पलेन्ट है वह नहीं बन्द किया जायेगा। केवल हमलावर जो आक्रामक है, जो परेशान करता है, सताता है उसी के खिलाफ 107/16 में कार्यवाही होगी, जब तक यह साबित न हो जाय कि मारपीट दोनों तरफ से हुई मारपीट में दोनो ने बराबर का हिस्सा लिया तब तक उस व्यक्ति को जो शिकायतकर्ता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा यह बेसिक बदलाव है। जो 100 नम्बर की गाड़ी है खास तौर से इस बात की शिकायत मिलती थी कि जो शिकायतकर्ता था उसको भी पुलिस पकड़कर ले जा रही है अब व्यवस्था यह हो गयी है। हमने निर्देश जारी कर दिया है पुलिस के संबंध में। कल ही खासतौर से हमारे पुलिस महानिदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है मान्यवर, इसमें हम दो बातें खासतौर से पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहते हैं। पुलिसकर्मियों को जनता के साथ किस प्रकार का मर्यादित व्यवहार करना चाहिये यह 25 जुलाई को एक निर्देश जारी किया गया है डी0जी0 परिपत्र संख्या-19/2017 पुलिसकर्मियों को जनता के साथ किस प्रकार का मर्यादित व्यवहार करना चाहिये इसका निचले स्तर पर सम्यक् ज्ञान होना आवश्यक है, इस हेतु पुलिस कर्मियों को निकटता से प्रशिक्षित किया जाय। पुलिस के मर्यादित आचरण के संबंध में प्रशिक्षण मुख्यालय से पुलिस आचरण 2015 की पुस्तिका एवं पुलिस प्रशिक्षण सिद्धान्त के पैम्पलेट आप सभी को प्रेषित किये गये थे, जनपद में नियुक्त पुलिसकर्मियों को इस संबंध में विस्तार से अवगत करायें तथा उन्हें सामान्य नागरिकों के साथ मर्यादित व्यवहार करने हेतु लगातार प्रशिक्षित किया जाय और आवश्यकतानुसार पुलिस आचरण 2015 की पुस्तिका को पर्याप्त संख्या में छपवाकर थाने स्तर तक भेजा जाय ताकि थाने स्तर पर नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी हो सके। मान्यवर, हम यह भी करने जा रहे हैं कि थानों में इस बात का बोर्ड लगे कि किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी जरूरतमंद आदमी को खासतौर से जो पीड़ित है, परेशान है, गमजदा है उसको मान्यवर, किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाय। यह व्यवहार में परिवर्तन मान्यवर जरूर आयेगा। मान्यवर, जैसा कि मैनें कहा कि अपराधों के सिलसिले में, जब से हमारी सरकार आई है तब से इस बात के निर्देश कड़ाई से दिये गये हैं कि किसी भी हालत में किसी का मुकदमा ऐसा न हो कि लिखा न जाय। शतप्रतिशत मुकदमों का पंजीकरण हो रहा है और पुलिस सुधार आयोग में भी इस बात को कहा गया था कि हमारी न तो अपराध छिपाने में कोई रूचि है और न उसको मिनमाइज करने में। मान्यवर, किसी भी तरीके से निर्दोष लोगों की सहायता करने में और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में योगी जी की सरकार विश्वास करती है। मान्यवर, बहुत इन्होंने कहा कि अपराध बढ़ गये हैं। तीन चार आकड़ों के माध्यम से मैं

आपसे कहना चाहता हूं कि इसी अवधि 2016 में 1512 हत्यायें हुयी थीं, जब इनकी सरकार थी, जो यहां से चले गये। लेकिन 2017 में 1434 हुयीं इसमें 5.16 प्रतिशत की गिरावट है। दहेज मृत्यु में भी गिरावट है अनुसूचित जाति जनजाति में भी 16.67 प्रतिशत की गिरावट है इनके जमाने में हत्या हुयी थी 78 और इस वक्त हुयी हैं 65। मान्यवर, आगजनी अनुसूचित जाति जनजाति में इनके जमाने में हुयी थी 15 और हमारे जमाने में 13। इसी प्रकार इसी अवधि में डकैती, लूट तथा हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध क्रमशः 87.30 प्रतिशत, 87.42 प्रतिशत तथा 73.7 प्रतिशत मामलों में कार्यवाही की गयी तथा डकैती एवं लूट का सफल अनावरण करते हुये हमने 63.44 प्रतिशत सम्पत्ति बरामद की है। मान्यवर, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का जो आकड़ा हैं हम आपके सामने वह भी रखना चाहते हैं। अगर वह आज यहां होते तो सुनते और कम से कम चर्चा में भाग लेते तो उनका भी नाम अखबारों में छपता, जिस अखबार की छपास की वजह से वहां सेन्ट्रल हाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। केवल छपास की वजह से, छपास की बीमारी इनको बहुत ज्यादा है। मान्यवर, यह अपराध दर प्रति लाख आबादी पर अपराध के दृष्टिकोण से, यदि उत्तर प्रदेश में घटित अपराधों की तुलनात्मक समीक्षा उन राज्यों से की जाय जहां उत्तर प्रदेश से अधिक घटित अपराध पंजीकृत हो रहे हैं तो स्थिति निम्न प्रकार पायी जाती है। आई0पी0सी0 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक लाख की आबादी पर हैं यह नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। 234.2 सम्पूर्ण भारत में आई0पी0सी0 के संज्ञेय अपराध और उत्तर प्रदेश में 112.1 और केरल में हैं 723.2, महाराष्ट्र में हैं 231.2 और मध्य प्रदेश में हैं 348.3। यह हम इसलिये बता रहे हैं कि हम सबसे नीचे के पायदान पर खड़े हैं सबसे नीचे के पायदान पर और रिकवरी में हम सबसे आगे हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्होंने कई जगह पर नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का जिक्र किया है। शरीर सम्बन्धी अपराध में सम्पूर्ण भारत वर्ष का आंकड़ा 68.1 है और उत्तर प्रदेश का 31.9, केरल में 92.6, महाराष्ट्र में 55.4, मध्य प्रदेश में 89.1 है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक राज्य हमने दक्षिण भारत का लिया, एक महाराष्ट्र का लिया और एक मध्य प्रदेश ले लिया क्योंकि हम पूरे देश के साथ अपनी स्थिति रखना चाहते हैं कि हमारी स्थिति कहां पर है। मान्यवर, जघन्य अपराध में भी नीचे हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भी हम नीचे हैं, देश का आंकड़ा है 53.9, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है 34.8, केरल का आंकड़ा है 53.4, महाराष्ट्र में है 54.8 और मध्य प्रदेश में है 65.5। मान्यवर, बाल अपराध में 21.1 है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में है 12.9, केरल में है 25.5, महाराष्ट्र में है 36.8 और मध्य प्रदेश में है 42.8। अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध पूरे देश में है 22.3, उत्तर प्रदेश में है 20.2, केरल में है 24.7, मध्य प्रदेश में है 36.9 और महाराष्ट्र में है 13.7। मान्यवर, ये नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के बारे में हमने कुछ बातें आपके समक्ष रखीं। इसके साथ ही चाहे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, चाहे एण्टी रोमियो अभियान चलाना हो, हर प्रकार से हमारी सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दें और जो स्थिति बहुत विकृत हो चुकी थी समाज में अपराधों के मामले में, उसको हम सख्ती से रोकें। मान्यवर, अवैध बूचड़खानों को बन्द करने के सम्बन्ध में सदन में काफी बातें आ चुकी हैं, इन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं लेकिन जो अवैध तरीके से बूचड़खाने चल रहे थे उसको बन्द करने की

कार्रवाई हमने की है, 41 स्लाटर हाउस जो नियमानुसार चल रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है और उनको कोई परेशान भी नहीं कर रहा है लेकिन जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 का निर्देश था, उसके तहत् कार्रवाई की गई है। मान्यवर, एण्टी रोमियो स्क्वायड 22-03-2017 को एक आदेश के तहत् बनाया गया, जिसमें अभी तक चेकिंग की गई 3 लाख 43 हजार 345, चेक किये गये व्यक्तियों की संख्या 11 लाख 21 हजार 338 है, पंजीकृत अभियोग हुए 763 और व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई वह है 1580। जो जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जो शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, अवैध कब्जे के चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल 5 हजार 395 हेक्टेयर, अतिक्रमणकर्ताओं की कुल संख्या 24 हजार 831, विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या 2 हजार 52, कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या 325 और अवैध कब्जे से रिक्त कराई गई भूमि का क्षेत्रफल 1020 हेक्टेयर है। मान्यवर, हर क्षेत्र में इस बात का प्रयास हुआ है कि हम लोगों को राहत दें और इसी दिशा में मान्यवर, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात जो पुलिस की नई नियुक्ति के सम्बन्ध में है उसे बताकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। मान्यवर, योगी जी की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि 9.00 बजे से 11.00 बजे तक प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालयों में बैठकर जनता की शिकायतें सुनेंगे और उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मान्यवर, वर्तमान में जो हमारे पास सब इंस्पेक्टर हैं 3307, उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर जिसमें 600 महिला तथा 2400 पुरूष अभ्यर्थी सहित 3000 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, 210 प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 तथा 97 फायर सर्विस सेकेण्ड आफिसर (एफ0एस0ओ0) की भर्ती गतिमान है जिसका अन्तिम परिणाम दिसम्बर, 2017 तक घोषित किये जाने का लक्ष्य है। इसके साथ-साथ चालू वर्ष के प्रारम्भ में आगामी चार वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष 30000 आरक्षी तथा 2000 उप निरीक्षकों की भर्ती करते हुए इन संवर्गों के स्वीकृत नियतन को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया तथा इस आशय की वचनबद्धता माननीय उच्चतम न्यायालय को भी दी गयी है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी तथा पक्षपात रहित हो इसके लिए आरक्षियों की नियमावली में परीक्षा का प्राविधान सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मान्यवर, चाहे पुलिस का आधुनिकीकरण हो, उनमें रिक्त पदों की भर्ती का मामला हो, हर तरह से यह सरकार संवेदनशील है और हम पूरी तरीके से यह चाहते हैं कि प्रदेश में अमन-चैन कायम रहे, शांति कायम रहे और लोगों को इस बात का अहसास भी हो और हम इसमें सबका सहयोग भी चाहते हैं लेकिन जो माहौल बिगड़ा हुआ है, वर्षों से जो खराब व्यवस्था हमको विरासत में मिली है उसको संभालने में, उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हमारी नियत अच्छी है, मंशा अच्छी है, सुधार चाहते हैं। किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को नहीं मिलेगा जो अपराधी हैं, आपराधिक तत्व हैं या किसी प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देते हैं उनको किसी प्रकार से सरकार का, सरकारी व्यक्ति का या सरकार में रहने वाले लोगों का किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि प्रदेश में शांति और अमन-चैन कायम रहे। आम आदमी को पूरी तरीके से अपना विकास करने का अवसर मिले। आज के इस अवसर पर इतना ही पर्याप्त होगा। मैं समझता हूं नियम-51 के बाद कोई और विषय शेष नहीं है, हम सभी लोगों से अपने वक्तव्य के साथ कहेंगे और

इशारा उधर (प्रेस गैलरी की तरफ) भी है, सभी लोगों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन ग्रहण करके जांय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

हमारी तरफ से एक निवेदन सुन लीजिए। माननीय सिरोही जी या मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ऐसे मा0 सदस्यों की सूची मेरी सहायता के लिए भेज दें जो अभी तक बिल्कुल नहीं बोले हैं, मैं उनको आज 5-5 मिनट बोलवा दूं।

***श्री रघुराज प्रताप सिंह-**

श्रीमन्, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान की। मैं बहुत ध्यान से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का विस्तृत उद्बोधन सुन रहा था। गत 20-25 वर्षों से गृह और सामान्य प्रशासन पर जो कोई मंत्री बयान देते हैं, बोलते हैं उससे कहीं भी आपका यह भाषण भिन्न नहीं था। आप ध्यान करें कि आपके पहले जो इस कुर्सी पर बैठते थे वह भी इसी तरह के आंकड़े दिखाते थे कि यह फलां आंकड़ा है, यह फलां आकड़ा है। यह अधिकारियों का काम है कि आपको इन सब आंकड़ों में जो आंकड़े आपको सूट करें वह आंकड़े आपको दिखाये जाते हैं और आप उनको सदन में पढ़ते हैं। श्रीमन्, इसके पहले जो सरकारें थीं चाहे वह समाजवादी पार्टी की थी, चाहे उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी वह भी पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। उन्होंने भी ऐसे ही भाषण दिये थे लेकिन उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि जनता संतुष्ट नहीं हुई। अधिकारी या पुलिस प्रशासन या सरकार का रवैया ऐसा रहा कि उन सरकारों को जाना पड़ा। यह मान्यवर, हमारा सुझाव है। अधिकारी और राजनेता एक वाहन के दो पहिये हैं और दोनों पहिये, एक साथ, एक गति से चलेंगे तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और इस सरकार में यह दिख रहा है कि अधिकारी अधिक शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों में, उनके प्रभावों में कटौती की जा रही है इस बात से जरा संभलिये इस पर ध्यान दीजिये। सुझाव देना मेरा काम है, मानना न मानना आपका है। श्रीमन्, जब भी सरकारें अधिकारियों के भरोसे चली, तो उन पार्टियों को, उन दलों को, उन सरकारों को नुकसान हुआ है। यहां जो निर्वाचित सदस्य आये है वह भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहां पर हम दो सदस्य निर्दलीय बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है? उनका एजेन्डा क्या है ? इस बात को ले करके आप सब लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में गये हैं। और स्वाभाविक बात है कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो वह मतदाता, वह कार्यकर्ता जिन्होंने आपको निर्वाचित किया है वह आपसे और अधिक अपेक्षा और अधिक उम्मीदें रखते हैं। और आपका असली लिटमस टेस्ट तब होगा जब आप 5 साल बाद पुनः उस क्षेत्र में जायेंगें। तब यह आंकड़े आप वहां पढ़कर सुनायेंगें तो कोई नहीं मानेगा। वहां का आपका कार्यकर्ता, वहां का आपका समर्थक, वह आपसे सवाल करेगा, वह आपसे पूछेगा कि इन पांच वर्षों में हमको जो उम्मीद थी आपकी सरकार से वह आप पूरी कर सके या नहीं कर सके। श्रीमन्, जितना माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने समय लिया मैं उसका दसवां हिस्सा, उसका दशवांश भी नहीं लूंगा। लेकिन कष्ट इस बात का है कि आपके भाषण में कोई नयापन नहीं रहा। साल दर साल हम लोग बजट भाषण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनते आ रहे हैं गृह पर, सामान्य प्रशासन पर, आपने जो बोला कोई नई बात नहीं बोली। जो नये माननीय सदस्य हैं, उनको लग रहा होगा कि इससे कोई मतलब नहीं कि कहां केरल में 83 प्रतिशत है हमारा 35 प्रतिशत है। यह आप किसको बतायेंगें जाकर ? अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। यह मानकर श्रीमन् नहीं चला जा सकता कि कानून व्यवस्था की स्थिति, सामान्य प्रशासन या सरकार की स्थिति एकदम सब अमन चैन है, सब दूध घी-भात खा रहे हैं। कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अगर हम अभी से यह मानकर चल रहे है तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए श्रीमन्, एक बार पुनः इस बात को बल देंगें और लोग आपसे भी कहते हैं और आपसे भी कहते होंगें कि इस हां और ना लाबी में जो माननीय विधायक आपके दल के बैठते हैं वह इस बात से क्षुब्ध हैं, इस बात से दुःखी हैं कि उनके अपने अपने क्षेत्रों में अधिकारियों की तो चलती है लेकिन विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके प्रभावों को सीमित किया जा रहा है। मान्यवर, अगर हमारी बात अचछी लगे, उचित लगे तो इस पर अवश्य ध्यान दें। श्रीमन्, आपने समय दिया बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत प्रणाम।

(दो तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तो बोले हैं, जो अभी तक न बोले हैं वह बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

***श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट अपने आप में पूरा परिपूर्ण है। मुझे ज्यादा इस पर नहीं कहना है। केवल एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। पिछले 15 से 20 वर्षों में बहुत सारी नई तहसीलें बन गईं, बहुत सारे नये जिले बन गये। जिलों का परिसीमन हो गया, तहसीलों का परिसीमन हो गया लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में थानों का कोई परिसीमन नहीं हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही तीन-चार थाने ऐसे हैं जिनमें कुछ गांव दूसरे जनपद के हैं। कुछ गांव मेरी तहसील के दूसरे जनपद में हैं। जैसे एक गांव सिजनी है, तहसील तिलोही है, जनपद अमेठी है लेकिन थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली है। यह परेशानी केवल तिलोही मेरी विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं मेरे ख्याल से प्रदेश के बहुत सारे विधान सभा क्षेत्रों में दिक्कतें आ रही है। मेरा केवल एक आग्रह है कि अगर थानों का भी परिसीमन हो जाय तो उससे कार्य में बहुत सुगमता आयेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अगर इसी तरह माननीय सदस्य बोलें इतने संक्षेप में तो आनन्द आ जाय।

श्री भूपेश चौबे-

मान्यवर, यह बजट पूर्ण है। सबके साथ सबके विकास के साथ है। यह आज जो गृह विभाग के बजट पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया है उसमें मैं आग्रह करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा जनपद सोनभद्र है चार राज्यों से जुड़ा हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छत्तीसगढ़ और झारखंड नक्सल प्रभावी होने के कारण हमारे बार्डर उससे प्रभावित रहते हैं। नक्सलवादी गतिविधियों से काफी प्रभावित हमारा जिला रहता है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि सोनभद्र जनपद के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कुछ व्यवस्था देने के लिए छोटी-छोटी चौकियां बनाई गईं।

श्री अध्यक्ष-

लम्बा ना बोलिएगा ताकि सब लोग बोल लें।

श्री भूपेश चौबे-

एक-एक चौकी एक-एक गांव की बने, तो उसके नाते पुलिस की जो अपनी गतिविधियां हैं जिसके नाते गांव की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो पुलिस का स्वभाव है जो वसूली जैसी चीजें हैं, जिस पर मंत्री जी ने ध्यान आकृष्ट कराया, 100 नम्बर की गतिविधियों में सुधार, ऐसी जो पुलिस की गतिविधियां चट्टी चौराहे पर मोटर साइकिल की चेकिंग के नाम पर जो वसूली करते हैं उस पर भी कोई न कोई व्यवस्था बनाई जाए। और जो यह कठिनाई हो रही है नक्सल प्रभावी जिला होने के नाते, बार्डर एरिया पर सड़कों का निर्माण, हमारे जनपद में अर्न्तप्रान्तीय बैठकें भी होती हैं। तो मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से उन बैठकों में, बगल के राज्यों के पुलिस अधीक्षक आते हैं उसमें किसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों का भी इन्वाल्वमेंट हो, अर्न्तजनपदीय जनप्रतिनिधि और अपने प्रदेश के भी जनप्रतिनिधि यह नक्सल प्रभावित इलाकों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं नक्सल का कैसे उन्मूलन कर सकते हैं उसमें जनप्रतिनिधियों को भी इन्वाल्व किया जाए। इस सदन के माध्यम से मैं यह आग्रह करता हूं।

***श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी इस संबंध में विस्तार से रख रहे थे कि किस प्रदेश का कितना आंकड़ा है, हमारे निर्दलीय विधायक हम लोग विश्वविद्यालय में भी साथ थे राजा भईया ने कहा, कि कोई प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ रहे हैं कोई अलग से नहीं है हर सरकार ऐसे ही रखती है इसका कोई अर्थ नहीं है मैं अपने मित्र विधायक जी से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सारे विधायकों की मंडलीय समीक्षा बैठक स्वंय करते हैं और हम लोगों से राय मशविरा ले ली जाती है अधिकारियों का किस जिले में क्या संदेश जा रहा है तो हम अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को स्वंय दे देते हैं हमारे विधायक कोई कष्ट में नहीं है और सारे प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। इसकी चिन्ता माननीय निर्दलीय विधायकों को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सुझाव देना है तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अकेले कमरे में जाकर दे देंगे। सदन में इस तरह से सुझाव देना मेरे ख्याल में उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या आप उनको बोलने नहीं देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की बात कही गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशालायें जो हैं इनकी विश्वसनीयता पर ध्यान दिया जाए ऐसी रिपोर्ट यह न दें जिससे समाज में इनकी छवि गिरे दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस के पास आज भी वही अंग्रेजों के जमाने की रायफल है जबकि आज स्नाइपर्स जैसे दूर वार करने वाले हथियार अपराधियों के पास हैं इसलिए पुलिस को आधुनिक हथियार से सुसज्जित किया जाए।तीसरी बात मैं पश्चिम विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं लखनऊ पश्चिम, वहां पर दुबग्गा रोड से सीतापुर को जोड़ने वाली जो बाई पास रोड है वह 14 किलोमीटर की है उस पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके फलस्वरुप एक लड़की को टैम्पो पर उठा करके और उसको मारकर फेंक दिया गया जिसकी बात मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बताई है। दुबग्गा के चौराहे पर एक छोटी सी गुमटी नुमा पुलिस सहायता केन्द्र है लेकिन 14 कि0मी0 तक कोई स्थान नहीं है जबकि वहां घैला पुल है वहां दो थाने लगते हैं एक ट्रांसगोमती के सी0ओ0 का इलाका है एक हमारी तरफ का इलाका लगता है कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी के साथ एक बात और जोडूंगा वहां पर एक जागर्स पार्क है बनाने वालों ने ऐसा बनाया होगा कि यह आदर्श पार्क हो लोग यहां पर टहलने आएंगे घूमने आएंगे लेकिन पुलिस की व्यवस्था वहां पर न होने के कारण मैं मांग करता हूं कि वहां पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए वहां पार्क के अन्दर जो कुछ होता है लोग।

श्री अध्यक्ष-

पक्षी प्रतिपक्षी दोनों रहते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

लोग बाहर से झाड़ियों से लोग देखते हैं मैं इतना ही इशारा करना चाहूंगा पुलिस की अव्यवस्था के कारण यह हम लोगों के लिए यह कलंक का टीका है मैं पुलिस की व्यवस्था कराने का निवेदन कर रहा हूं।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी आपने गृह विभाग के बजट पर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट का विषय सारे सदन के सामने रखा है निश्चित रूप से वह बहुत अच्छा सारगर्भित, प्रदेश में विश्वास का माहौल जो समाज चाहता है वह वातावरण बनाने का आपका प्रयास है। कोई भी सरकार जिससे जनता अपेक्षा करती है उसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य यह दो चीजें ऐसे विषय हैं जो सीधे-सीधे सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा की चर्चा मैं यहां करूंगा माननीय अध्यक्ष जी आप वेदों के ज्ञाता हैं एक मंत्र वेदों में आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भाग्भवेत। सब लोग सुखी हों सब निरोगी हों उसी का यह भाव है। सुखी तब होंगे जब सुरक्षा का वातावरण प्रदेश के अन्दर होगा माननीय मुख्य मंत्री जी के शपथ लेने के साथ ही।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव क्या है। सुझाव दे दीजिए।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

मान्यवर, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। विपक्ष इस समय है नहीं इसलिए वह समय हम ही लोगों को दे दीजिए। मान्यवर, सुरक्षा की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री जी के शपथ लेने

के बाद प्रदेश में बिना कुछ कहे एक ऐसा वातावरण प्रदेश के अन्दर पैदा हुआ कि बदमाश भाग गए बिलों के अन्दर घुस गए। अपने-अपने पिजड़ों में घुस गए। सपा शासन की गुण्डई का मैं स्वयं इस बात का उदाहरण हूं मैं 2016 में मुजफ्फरनगर से उप चुनाव जीतकर आया हूं यह पूरे प्रदेश में ऐसी सीट थी कि वहां से समाजवादी पार्टी मंत्री होने के बावजूद उनकी सीट खाली होने के बाद वहां से जीतने का मुझे जनता ने अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना चुनाव न बताकर पुलिस पर बोलिए।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

समाजवादी पार्टी के समय में ऐसा वातावरण था कि सब लोग दुःखी थे थानों में मुकदमे कायम नहीं होते थे प्रदेश में बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आया है कि सभी के मुकदमें कायम हो रहे हैं एण्टी रोमियो स्क्वाड गठित होने के बाद जो गुण्डे माफिया स्कूलों कालेजों के पास मंडराते थे वे लोग स्वयं नदारत हैं एण्टी भू-माफिया सेल का गठन हुआ है उसके कारण भी लोग सरकारी जमीन छोड़ रहे हैं या जमीन छोड़ने की कगार पर हैं प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम पर लगा है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को किसी प्रकार से हम छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से प्रदेश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ है। हमारे माननीय विधायक रघुराज जी ने यह विषय रखा कि जो प्रदेश के विधायक हैं जिले के अन्दर उनकी बात में वजन नहीं है या उनकी सुनी नहीं जा रही है मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि थानों का अभी विस्तार नहीं हुआ है मुजफ्फरनगर जनपद में तीन थानों की आवश्यकता है उस निवेदन को मान्यवर, स्वीकार करें तीन थानों का विस्तार अगर और होगा तो कानून व्यवस्था और अधिक अच्छी होगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप लोग कृपया बैठ जायें। मा0 दल बहादुर जी, अभी आपको सुन लेंगे।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये मैं प्रदेश में सामान्य प्रशासन की व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेषकर पुलिस के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी जो बातें हुयी हैं, वास्तव में पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस का मनोबल पिछले कई वर्षों में इतना बिगड़ा है जैसाकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वह कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ठीक नहीं हो सकता। हमारी पार्टी का हमेशा से संकल्प रहा है कि हम जब भी सत्ता में आते हैं तो हम यह कहते हैं कि हम पुलिस के क्रियाकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम करेंगे। कई बार ऐसी बातें परिलक्षित होती हैं, बड़े भाई रघुराज प्रताप सिंह जी अभी कह रहे

थे, नहीं सुनी जाती हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारी पार्टी की यह नीति ही है कि हम कानून-व्यवस्था के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अपेक्षा भी यह है कि पुलिस को पीड़ित-प्रताड़ित जनता के साथ न्याय करना चाहिये। चूंकि वह आदत छूट गयी थी इसलिये उसको पटरी पर लाने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, यह एक बड़ी समस्या है जिस पर आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ध्यान देंगे। पिछली सरकार के समय में मा0 सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया कि जो इंस्पेक्टर होंगे वही थानों के अध्यक्ष होंगे। 2010 बैच में भर्ती हुये जो सब इंस्पेक्टर थे आनन-फानन में उनमें से प्रमोशन किये गये और भेदभाव करते हुये कुछ जाति विशेष के एस0आई0 तो प्रमोट हो गये और वह थानाध्यक्ष नियुक्त हो गये, लेकिन उन्हीं में से सम्भवतः 58 की संख्या ऐसी है जिनका अकारण प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन इस नाते नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की सरकारों के विभिन्न विधायकों या नेताओं ने किसी न किसी कारण से नाराज होकर उनकी छोटी-मोटी शिकायत कर दी थी। चूंकि थानाध्यक्षों की कमी है इसलिये आपसे मेरा अनुरोध है कि जो प्रमोशन लम्बित हैं वह प्रमोशन निपटाए जायें ताकि थानों में इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति हो सके।

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने इसी सदन में 100 नम्बर के बारे में सुना था कि शायद हमारे प्रमुख सचिव ने नीति आयोग के सामने 100 नम्बर की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन मैं निःसंकोच इस सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने यह व्यवस्था शायद यह सोचकर की होगी कि पुलिस रिस्पांस अच्छा करे, लेकिन यह व्यवस्था न तो पूरी तैयारी से हुयी और न ही पूरी ट्रेनिंग हुयी थी। मैं यह कई बार कह चुका हूं कि 100 नम्बर यमराज बन गया है कि यदि गये तो लेकर जायेंगे ही सास-बहू का झगड़ा, भाई-भाई का झगड़ा, बाप-बेटे का झगड़ा, कई बार छोटी-छोटी बातें होती हैं, क्रिकेट के खेल का झगड़ा और गलती से कोई 100 नम्बर डायल कर देता है और 100 नम्बर की गाड़ी वहां पहुंचती है तो वहां की समस्या का बिना कोई विश्लेषण किये हुये वह दोनों पक्षों को टांगती है, गाड़ी में बैठाती है। आज मुझे प्रसन्नता हुयी है, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि पीड़ित व्यक्ति को या शिकायतकर्ता को नहीं उठाया जायेगा। इसका कड़ाई से अनुपालन होना चाहिये, क्योंकि उसके नाते जो दुःखी व्यक्ति होता है उसको और दुःख होता है कि मैंने शिकायत की थी मुझे भी ले गये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी टोल फ्री नम्बर पर जनता शिकायत करती है, बिजली से संबंधित शिकायत 1912 पर करती है, लेकिन पुलिस से अगर कोई पीड़ित है, पुलिस की शिकायत अगर कहीं करनी है, थानाध्यक्ष की शिकायत अगर पुलिस अधीक्षक से करनी है तो वह पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष को बताता है कि फलां व्यक्ति तुम्हारी शिकायत करने आता है तो उस व्यक्ति की शामत आ जाती है। इसलिये मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि जनता के लिये कोई एक टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराया जाये जिससे अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कार्यप्रणाली से, पुलिस के व्यवहार से दुखी हो तो वह उस टोल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जिसको पुलिस विभाग से इतर कुछ लोग उस शिकायत को सुनें और सरकार तक पहुंचायें ताकि हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी तक वह बातें आयें। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकृष्ण भार्गव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख, नैमिषारण्य, जिला सीतापुर से विधायक चुनकर आया हूं। पहली बार वर्ष 1985 में चुनकर आया था। कानून-व्यवस्था में पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत सुधार आया है, लेकिन अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन में ऊपर बैठे हुये अधिकारी तो ठीक हैं, लेकिन नीचे और सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह का हमारे यहां नैमिषारण का क्षेत्र है। सदना थाने की दूरी चालीस किलोमीटर के ऐवरेज में है और रोज लाखों लोग यहां आते हैं। अमावस्या के दिन दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस लाख लोग आते हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो गृह मंत्री जी का बजट पेश कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि नैमिषारण में थाना बनाने की आवश्यकता है। यह हरदोई जिले का बार्डर भी लगता है इसलिये नैमिषारण में एक थाना बनाने का कष्ट करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

***श्री दल बहादुर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत दिनों के बाद हुई, आपको बहुत धन्यवाद। मैं बजट का समर्थन करते हुए केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि मनोबल तोड़ने एवं मनोबल बढ़ाने की प्रक्रिया इस देश में रही है। जो पुलिस के अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको इस बजट में पुरस्कार देने की एक व्यवस्था होनी चाहिये और जो गलत काम करते हैं उनको नीचा दिखाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। आपसे यही मेरा अनुरोध है कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको पुरस्कार देने का काम किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शशांक त्रिवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको प्रणाम और सभी को प्रणाम। मैं महोली विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और पहली बार निर्वाचित हुआ हूं। आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि सभी को जानकारी है कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी की जो गोरक्ष पीठ है उसका मूल मंत्र है ''जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे, सो हरि का होई''। इस बजट में भी हम लोगों ने यही ध्यान रखा है कि 'सबका साथ, सबका विकास।' गृह विभाग के बजट पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि महोली विधान सभा क्षेत्र में तहसील का सृजन हो चुका है लेकिन अभी तक सी0ओ0 पद का सृजन नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर एक सी0ओ0 पद का सृजन किया जाये। जैसे दो थानों का विवाद होता है वैसे ही यहां पर सी0ओ0 का विवाद हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि वहां पर सी0ओ0 पद का सृजन किया जाये। अंत में मैं एक शेर से अपनी बात समाप्त करता हूं :-

''प्रदेश की खातिर बस जुनून चाहिये,
जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिये,
यह आसमां भी आयेगा जमीन पर,
बस इरादों में हमारे मुख्य मंत्री जी जैसी गूंज चाहिये।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री पल्टूराम-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि मैं पहली बार विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। बलरामपुर वह धरती है जिस धरती पर माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी को लोक सभा में भेजने के लिए वहां के निवासियों को गौरव प्राप्त हुआ था। मान्यवर, गृह विभाग के ऊपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुये एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मत पूछो दर्द की हालत क्या है, एक जगह हो तो बता दूं कि दर्द कहां है। अभी दर्द है माननीय सदस्यों के अंदर और खासकर पुलिस विभाग को लेकर है। मैं सिर्फ इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती गरिमा सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको और इस सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री जी जब से आये हैं तब से उन्होंने बहुत तेजी से अपने शासन का सुधार किया है। उनकी कार्यशैली भी बहुत ही प्रशंसनीय रही है। इतने कम समय में इतना अधिक सुधार उन्होंने किया है जो कि हम देख सकते हैं। मान्यवर, आप से मेरा एक ही निवेदन है कि मैं थोड़ा सा शिक्षा प्रणाली पर बोलना चाहती हूँ। मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं शिक्षा प्रणाली पर कुछ कह सकूं।

श्री अध्यक्ष-

मगर आज तो पुलिस पर बोलना है। पुलिस पर आप कोई सुझाव देना चाहें तो दे दें और जो शिक्षा प्रणाली है उस पर आप लिखकर मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को दे दें और उसकी एक कॉपी मुझे दे दें।

श्रीमती गरिमा सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आप तो देख ही रहे हैं कि पुलिस पर कितना सुधार हो गया है। पुलिस पर भी शासन हो गया है। अपनी मनमानी न करने का। मा0 अध्यक्ष जी, जो पुलिस मनमानी करती रही है उसके प्रति भी उन्होंने बहुत आज्ञाएं दी हैं जिसकी वजह से काफी सुधार समाज में हुआ है, धन्यवाद।

श्री विपिन कुमार 'डेविड'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रथम बार मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है और मैं सदन में आकर बहुत गौरान्वित हूँ क्योंकि सदन में पूर्व विधायक मेरे पिता जी स्व0 गंगा प्रसाद (1957-1980) 25 साल तक लगातार विधायक रहे हैं और मेरे बड़े भाई भी रहे हैं। मान्यवर, मैं आप सबको नमन करते हुए गृह विभाग पर जो बजट रखा गया है उस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारी जनता पिछली सरकार के अंदर आक्रोशित रही तो उसमें सिर्फ राजनीतिक कारक ही नहीं रहा उसमें प्रशासन भी उतना ही कारक था। मान्यवर, राजनीतिक कारक को तो जनता ने परिपूर्ण कर दिया और प्रशासन में सुधार के लिए हम लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जवाबदेह हैं। जिसके लिए हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी, हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इसके लिए मैं साधूवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ मैं कुछ विषय यहां रखना चाहता हूँ। मान्यवर, यह पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से है। इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। कोई भी इज्जतदार व्यक्ति, यदि उसके विपक्ष में दुर्भावना रखने वाला कोई भी संपन्न व्यक्ति उसके ऊपर अगर एफ0आई0आर0 कर देता है, तो उस झूठी एफ0आई0आर0 के बदले में पुलिस जिस तरह से कार्यवाही करती है तो उसके स्वाभिमान को, उसकी इज्जत को ठेंस पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पुलिस महकमे को दो भागों में बांट देना चाहिए। मान्यवर, जिस तरीके से हमने शिक्षा विभाग के अंदर बच्चों की ड्रेस बदली हैं। उसी तरह से मेरा आग्रह है कि पुलिस विभाग की जो खाकी वर्दी है उसका बदलाव एक सिविल ड्रेस की तरह कर दिया जाय जिससे एफ0आई0आर0 के बाद उसमें जांच करने का जो अधिकार हो तो वह एक सिविल इन्वेस्टिगेशन फोर्स के रूप में होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति यदि दोषी हो जाता है तो लॉ-इन्फोर्समेंट बॉडी उसमें आनी चाहिए। मान्यवर, ऐसा मेरा सुझाव है। मान्यवर, इसके अलावा मैंने थानों में देखा है कि हमारी आम जनता जब थानों में जाती है तो वह पेड़ की नीचे या थानों में बहुत किनारे बैठी होती है। उसको जो सम्मान मिलना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको वह सम्मान मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है। मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन के साथ एक विचार देना चाहता हूँ कि थानों के अंदर 'जनता कुर्सी' जरूर होनी चाहिए। जिससे आम-फरियादी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठकर थाना अध्यक्ष की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके जिससे उसको लगे कि यह सरकार हमारी है और यह हमारा अधिकार है। श्रीमन्, हम सब में झगड़े होते हैं। दो परिवारों में झगड़े होते हैं। बंटवारों के झगड़े हो। दो भाईयों के झगड़े हों। दो बहनों के झगड़े हों। इन सभी प्रकार के झगड़ों को काउंसलिंग करके थाना स्तर पर ही निपटानें का प्रयास होना चाहिए न कि उन्हें लूटने का। हम सभी को इसमें प्रयास करना चाहिए। बाकी हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है मैं सभी को साधूवाद देना चाहता हूँ।

डा0 मंजू शिवाच-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, थाने में अधिकतर इतने ज्यादा केस आते हैं कि पुलिस के ऊपर बहुत लोड हो जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, जो सिविल पुलिसिंग है। ट्रैफिक पुलिसिंग है। सोशल पुलिसिंग है। यह सारी एक ही जगह मिली हुई हैं। पुलिस के पास हस्बैंड-वाईफ के झगड़े का भी केस आता है। नाली-खड़ंजे का केस आता है। किसी की भैंस चोरी हो गयी उसका भी केस आता है। साथ में जो लूटपाट और डकैती के भी केस आते हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था का भी लोड है। मेरा निवेदन है कि मैं मोदी नगर से हूं। मेरे यहां ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है। जो हमारे थाने की पुलिस है उसको ट्रैफिक में न लगाकर हमारी जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें अलग से ट्रैफिक पुलिस लगायी जाये जो कि ट्रैफिक व्यवस्था को देखे। मान्यवर, मेरा बस यही निवेदन था। धन्यवाद।

श्री केसर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी हमारे विपक्ष के लोग यहां नही हैं उन्होंने 100 नं0 के बारे में बड़ी चर्चा की और कहा कि अमेरिका और न जाने कहां-कहां से वाहवाही मिली। मान्यवर, हम लोग जब विधान सभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे तो हमने देखा है कि इस 100 नं0 की गाड़ी ने शराब ढोने का भी काम किया है। क्षेत्रों में 100 नं0 की गाड़ी ने शराब भिजवाने का भी काम किया है। अभी हमारे मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने 100 नं0 के सुधार में जो निर्णय लिया। मान्यवर, 100 नं0 गाड़ी में जब गांव से फोन किया जाता है तो जो मारने वाला होता है उसे तो गाड़ी में बिठा लिया जाता है लेकिन जो पिटने वाला होता है उसे भी गाड़ी में बिठा लिया जाता है। और दोनों को थाने में ले जाकर दोनों को बंद करने की बात करके उनसे कुछ सौदेबाजी करती है। अगर हम लोगों के पास मामला आ जाये तब तो ठीक है सिफारिश कर दें तो पिटने वाला बच जाता है और अगर सिफारिश न आये तो पुलिस उस पर कार्यवाही करने की बात करके कुछ न कुछ सौदेबाजी करने का प्रयास करती है। लेकिन 100 नं0 पर जो आपने निर्णय लिया कि उसमें पिटने वाले व्यक्ति को नहीं ले जाया जाएगा यह बहुत ही अच्छा निर्णय है और जनहित का निर्णय है। मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, इण्डस्ट्रीज के लिए अलग पुलिस का जो आपने निर्णय लिया है। इण्डस्ट्रीज के लिए अलग आई0पी0एस0 की नियुक्ति होगी और वह पुलिस भी अलग रहेगी यह भी अपने आप में एक अनूठा निर्णय है। इससे हमारे यहां इण्डस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जो इण्डस्ट्रीज के साथ फिरौती या अन्य तरह की घटनायें होती थीं उस पर रोक लगेगी। अभी एक उद्योगपति का अपहरण हुआ है जो आज ही छूटा है। टी0वी0 चैनलों और अखबारों में भी छपा हुआ है। हमारे यहां घटनायें बहुत हुयीं। लेकिन पूर्व की सरकारों में जो घटनायें होती थीं उन घटनाओं पर कितनी कार्रवाई हुआ करती थी यह भी जानना जरूरी है। मान्यवर, जैसे मेरे जनपद में जो घटना हुयी। आठ किलो सोना लूटा गया और वह पूरा आठ किलो सोना बरामद हुआ। जैसे मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया कि सारी घटनायें उजागर हुयीं। यह भी अपने आप में एक इतिहास है। हमारी सरकार की उपलब्धि है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है। निकट भविष्य में अच्छे परिणाम दिखायी पड़ेंगे और जिस तरह से खुलेआम पैसे की बात हुआ करती थी। थानों में बैठकर दलाली हुआ करती थी। आज पुलिस अगर कहीं पैसे की बात करती भी है तो डरती है। क्योंकि कप्तान और डी0एम0 की पोस्टिंग पहले जो सौदेबाजी करके हुआ करती थी, थाने बिका करते थे और फिर उसके बाद देहात में जो डण्डा बजता था और पैसे निकाले जाते थे। अब वह सिस्टम बंद हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पुलिस का मनोबल बढ़ा है उससे इस क्षेत्र में अच्छा काम होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री काली प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए हृदय की गहराई से आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं हृदय की गहराई से गृह विभाग के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। महोदय, मेरा एक निवेदन है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगल का गांव देवसिहा है, जिसके इर्द-गिर्द के सारे गांव मईल थाने में हैं, जिसकी दूरी देवसिया से

4 किलोमीटर है, किन्तु उस गांव को आज भी पुराने थाने लार में ही रखा गया है, जो वहां से 18 किलोमीटर दूर है। आज भी उस गांव के लोगों को पुलिस सहायता के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सदन के माध्यम से कि देवसिया गांव को मईल थाने में रखा जाए, यही मेरा निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, मुझे आज सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर मिला है, इससे पूर्व भी मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर और बजट की चर्चा के दौरान मैंने अपना नाम दिया था और बिना लंच किए दो दिन मैं लगातार बैठी रह गयी, लेकिन नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

आज लंच है या नहीं, पूछ लीजिए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से।

श्रीमती संगीता-

लंच है आज। मान्यवर, परन्तु आज बिना कहे अवसर मिला है, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं। मैं काशी के बगल वाले क्षेत्र लहुरी काशी जो गाजीपुर जनपद है, वहां के सदर विधान सभा क्षेत्र से मैं प्रथम बार निर्वाचित सदस्य हूं और आज सामान्य प्रशासन पर जो बजट पारित हुआ है, उस पर मैं कहना चाहूंगी कि अब तक जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, उसमें जो भी प्रदेश का नौनिहाल था या प्रदेश का युवा था या प्रदेश की मातृ-शक्ति थी, वह पूरी तरह से बिल्कुल दयनीय स्थिति में थी, उनका कानून से भरोसा उठ गया था लेकिन जब 2017 का विधान सभा चुनाव हुआ तो जनता ने सारे दलों को एक सिरे से नकारते हुए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और कमल का फूल खिलाया और आज स्थिति यह है कि जैसे पहले गरीब जनता, आम जनता जो निर्दोष होता था, पुलिस के पास जाने से भी भयभीत रहता था, डरता था। वह इसलिए डरता था कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो अपराधी थे, उनको संरक्षण मिलता था, जो नेता थे उनके दबाव में गरीब जनता को सुना नहीं जाता था लेकिन आज यह हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, थाने में यदि गरीब व्यक्ति जाता है, एक महिला जाती है तो उसकी बात सुनी जाती है और उसकी एफ0आई0आर0 लिखी जाती है, यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, दो पंक्तियां कह कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पहले जो व्यवस्था थी, काफी बदहाल थी, लेकिन आज की व्यवस्था योगी सरकार में खुशहाल व्यवस्था हो गयी है, व्यवस्था सुधर गयी है। दुष्यंत ने कहा था कि ''कौन कहता है कि आसमान में सुराक हो नहीं सकता, जरा तबियत से एक पत्थर तो उछालो।'' धन्यवाद।

***श्री पूरन प्रकाश-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, विपक्षी काफी हल्ला मचाते हैं कि क्राइम बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है लेकिन अध्यक्ष जी, क्राइम नहीं बढ़ा है, बल्कि इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय जो भी फरियादी आता है, हर एक की रिपोर्ट लिखी जा रही है, हर एक पर कार्यवाही हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, चौथी बार विधायक हूं, कभी भी मुकदमें दर्ज नहीं होते थे और मान्यवर, आज जो भी कोई आता है, कोई फरियादी आता है, थाने में जाता है, उसको कुर्सी भी मिलती है, उसको कागज भी मिलता है, उसको पेन भी मिलता है और उसको पीने के लिए पानी भी मिलता है और बाकायदे फरियादी की सारी बातें दर्ज हो रही हैं। यहां पर प्रमुख सचिव, गृह भी बैठे हुए हैं, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी स्थिति आ रही है, वह पिछली सरकार की देन है, जो आपके दो-दो, तीन-तीन साल में फर्जी मुकदमें दर्ज हुए थे, उन लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल रही है। इसी तरह मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के श्री गोपीचन्द पुत्र स्व0 सोबरन सिंह निवासी नंगला वेर, थाना-बलदेव, मथुरा का है। पिछली सरकार में राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण दूसरे पक्ष द्वारा 156/3 के तहत दर्खास्त पर मिथ्या एवं झूठा मु0अ0सं0 241/2014 धारा-420, 467, 468, 302, 120बी, आई0पी0सी0 थाना-खैर, जनपद-अलीगढ़ में दर्ज कराया गया। इस केस में कोई भी गवाह-सबूत न होने पर भी पिछली सरकार के दबाव में चार्जशीट तैयार की गयी थी जो कि निहायत झूठी है और इससे पूर्व भी इस केस में अन्तिम आख्या लगी थी, परन्तु पिछली सरकार के दबाव में थाना निरीक्षक खैर, अलीगढ़ द्वारा झूठी चार्जशीट तैयार की गयी। चार्जशीट में अग्रिम पुनः विवेचना के लिए काफी बिन्दुओं को नजरन्दाज किया गया। पूर्व में इसी प्रकरण को मथुरा के थाना-बलदेव में 156/3 के तहत दर्ज किया गया था जो कि मा0 अदालत मथुरा द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके उपरान्त इसी केस को अलीगढ़ के थाना-खैर में 156/3 के तहत दर्ज कराया गया। मान्यवर, मेरी मांग है कि इस केस की पुनः विवेचना पुलिस के द्वारा चार्जशीट न्यायालय से वापिस लेकर दर्शाये गये पांच बिन्दुओं पर पुनः जांच अन्य किसी थाने से अथवा अन्य किसी जनपद से कराने के आदेश प्रदान कराने का कष्ट करें, जिससे कि इस झूठे केस से पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। मान्यवर, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां थानों में गाड़ियां बहुत ही जर्जर हालत में हैं, अपराधिक घटनाओं की सूचना आती है, जर्जर गाड़ियों की वजह से पुलिस समय पर घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाती है, जिससे जनता में आक्रोश हो जाता है, अतः पुरानी जर्जर गाड़ियों को बदलने तथा थानों पर जमे दसियों वर्षों से पुलिस कर्मचारियों को अविलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित कराने का कष्ट करें, धन्यवाद्।

***श्री कमल सिंह मलिक-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद् देता हूं। मान्यवर, हमारे यहां पांच तारीख को मा0 मुख्यमंत्री जी, पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण मंत्री जी और प्रदेश के लगभग 7-8 मंत्री पर्यावरण दिवस पर पौधा रोपण करने के लिए वहां से प्रारम्भ किया था, मैं सर्वप्रथम उन सभी मा0 मंत्रियों को और मा0 मुख्यमंत्री जी को अपने हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद् देता हूं उन्होंने मेरे क्षेत्र में आकर के हम सब लोगों को स्वागत करने का अवसर दिया, मैं सदन से और सदन के सभी साथियों से कोटि-कोटि धन्यवाद् देता हूं उनको, उस कार्यक्रम में वहां पर गये। मान्यवर, हमारी सरकार जो पर्यावरण के लिए मात्र विकास की नीतियों को बनाकर के और उस पर वाद-प्रतिवाद करने के लिए नहीं है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पर्यावरण को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर चिन्ता व्यक्त की, जिस प्रकार से जल, जंगल, जमीन को लेकर के चिन्ता व्यक्त की, मान्यवर मैं सदन से कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में गंगा मइया का घाट है गढ़मुक्तेश्वर इस घाट को उन्होंने विकसित करने के लिए, हरिद्वार चूंकि उत्तराखण्ड में चला गया, उसको हरिद्वार जैसा विकसित करने के लिए घोषणा की है, मैं उनको धन्यवाद् देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इस बजट में जो हमारे मा0 संसदीय कार्य-मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं, जो पिछली सरकारों में पुलिस में जो अधिकारी थे, जो पविारवाद, जातिवाद या सम्प्रदायवाद के कारण से जो राजनीति को प्रोत्साहन नहीं देते थे, उन लोगों को कहीं और भेज दिया गया, लाईन में पड़े हैं जो लोक सेवा करना चाहते थे, जो सही में पुलिस प्रशासन को कानून-व्यवस्था को फालो करना चाहते थे ऐसे अधिकारियों को हम कार्यकर्ता और हमारे एम0एल0ए0 उनको चिन्हित कर के लायें और उनको चार्ज दिलवायें, जिससे कि अब बहुत कुछ ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री कमल सिंह मलिक-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, चूंकि आज यहां पर विपक्ष नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

श्री कमल सिंह मलिक-

मैं अपने विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, वह अपने दायित्व का निर्वहन करें, हम उनसे ऐसा आग्रह करते हैं। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने कहा है-''निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय''। मान्यवर, एक शेर कह कर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, चूँकि विपक्ष ने जिस प्रकार से हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी को और मा0 प्रधान मंत्री जी को और उनकी चल रही बहुत सारी नीतियों को गलत बताया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं-''तुम सूरज में कीड़े ढूंढ़ते रहना, हम नूर बन कर चुनाव जीतते जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं। आज दिनांक 25-07-2017 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 68 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें पहली सूचना श्रीमती कमलरानी वरुण की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में किसानों की सिंचाई सम्बन्धी विकराल समस्या के निराकरण हेतु नलकूप दिये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में पुल व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत कानपुर पुराने राजमार्ग को फोर लेन किये जाने के उपरान्त नाले का निर्माण न कराये जाने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत डीगरा बिजली घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर 4 लेन का निर्माण होने के उपरान्त साइड रोड तथा नाले का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री अवतार सिंह भडाना की जनपद मुजफ्फरनगर में गंगा नदी से आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह की सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5 (अधि0) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में गरीब असहाय लोगों को मिल रही पेंशन की सुविधा पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री लाखन सिंह राजपूत की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर अन्तर्गत सिंचाई विभाग की जमीन पर किरायेदारों को बेदखल न कर मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में पानी से उत्पन्न हुई समस्या के कारण पानी की टंकियों एवं पाइप लाइन का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद व बाराबंकी की सीमा पर कल्याणी नदी के दवारिकापुर व अनरपट्टी के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर से जनपद श्रावस्ती तक सड़क को गड्ढ़ा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सभी सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :--

1	श्री सुशील कुमार शाक्य,	15	श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह,
2	श्री दलवीर सिंह,	16	बाबा गोरखनाथ,
3	कुं0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह,	17	श्री विनय शाक्य,
4	श्री शारदा प्रसाद,	18	श्री अनिल कुमार मौर्य,
5	हाजी इरफान सोलंकी,	19	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार,
6	चौ0 उदयभान सिंह,	20	श्री विक्रम सिंह,
7	श्रीमती साधना सिंह,	21	श्री तसलीम अहमद,
8	श्री विक्रम सिंह सैनी,	22	श्री कल्पनाथ पासवान,
9	डा0 संगीता बलवंत,	23	श्री नाहिद हसन,
10	डा0 विमलेश पासवान,	24	श्री रत्नाकर मिश्रा,
11	श्री भूपेश चौबे,	25	श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू,
12	श्री मनीष असीजा,	26	श्री हरिराम,
13	श्रीमती माधुरी वर्मा,	27	श्री अमनमणि त्रिपाठी,
14	श्री महेन्द्रपाल सिंह,	28	श्री संजीव कुमार गौड़,

29	श्री राहुल प्रकाश,	43	श्री रमाशंकर पटेल,
30	श्रीमती जय देवी,	44	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,
31	श्री पूरन प्रकाश,	45	श्री राम नरेश रावत,
32	श्री संजय प्रताप जायसवाल,	46	श्री कपिल देव अग्रवाल,
33	डा0 कमल सिंह मलिक,	47	श्रीमती कृष्णा पासवान,
34	श्री राम रतन कुशवाहा,	48	श्री तेजपाल सिंह नागर,
35	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य,	49	श्री वीरेन्द्र सिंह राणा,
36	श्री जटाशंकर त्रिपाठी,	50	श्री विपिन कुमार डेविड,
37	श्री सुरेन्द्र सिंह,	51	श्री जवाहर लाल राजपूत,
38	श्री सुभाष पासी,	52	श्री रमेश चन्द्र दिवाकर,
39	डा0 अनीता लोधी राजपूत,	53	श्री तेजेन्द्र निर्वाल,
40	श्री जन्मेजय सिंह,	54	श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव,
41	श्रीमती सुनीता सिंह,	55	श्री सत्यवीर त्यागी तथा
42	श्री अगयश रामसरन वर्मा,	56	श्रीमती मनीषा अनुरागी।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत सुजानपुर रजवहे में मदद अलीपुर स्थित जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत सुजानपुर .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री धर्मपाल सिंह-

[रजवहे में मददअलीपुर के पास जर्जर पुल के स्थान पर सिंचाई विभाग से एक वर्ष पूर्व निर्माणाधीन पुल का कार्य रुक जाने व जनमानस के आवागमन विकल्प के रूप में कोई साइड मार्ग न देने के कारण वृहद क्षेत्र का किशनपुर व्यापारिक नगरी एवं थाना मुख्यालय तथा खागा तहसील

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्यालय हेतु आवागमन अवरुद्ध है जिससे क्षेत्र में विषम स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस समस्या के समाधान हेतु निर्माणाधीन पुल का निर्माण एवं वैकल्पिक मार्ग शीघ्र होना अनिवार्य है।

जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत सुजानपुर खागा स्थित है। निचली गंगा नहर के अन्तर्गत रजवाहों एवं अल्पिकाओं के क्षतिग्रस्त पुलों के जीर्णोद्धार/पुनर्स्थापना की परियोजना रु0 1655.67 लाख स्वीकृत है। इस परियोजना के अन्तर्गत सुजानपुर रजवाहा के कि0मी0 18.504 के निकट मददअली का पुरवा के पास पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण फतेहपुर खण्ड निचली गंगा नहर फतेहपुर द्वारा गठित अनुबन्ध के अन्तर्गत कराया जा रहा है जो प्रगति में है। निर्माणाधीन पुल के डाउन स्ट्रीम में आर0सी0सी0 (ह्यूम पाइप) डालकर रोड डाईवर्जन बनाया गया है। विगत समय क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण रोड डाईवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत करा दी गई है तथा वर्तमान मे डाईवर्जन से होकर आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। वर्तमान में सिंचाई हेतु सुजानपुर रजवाहा में पानी चल रहा है जिनके कारण पुल का अवशेष कार्य नहर बन्दी होने पर पूर्ण कराया जा सकेगा।]

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में 25 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[स्थापित है इस विश्वविद्यालय से अनेकों महाविद्यालय और स्नातकोत्तर महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। वर्तमान समय में इण्टर मीडिएट से पास होकर आये हुये विद्यार्थियों का प्रवेश बी0ए0, बी0एस0सी0 और बी0काम0 विषयों में महाविद्यालयों में सीटों की कमी के कारण प्रवेश नहीं हो पा रहा है और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। हमारी सरकार सबको उच्च शिक्षा देने के लिये प्रतिबद्ध है। किन्तु सीटों के अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। उनके विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक प्रवेश के लिये दर-दर भटक रहे हैं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे अवसर मिलना ही चाहिए। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कम से कम सभी विषयों में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जायं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में बी0ए0, बी0एस0सी0 और बी0 काम0 विषयों में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाये जाने के लिये वक्तव्य दिलायें जाने की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में निहित प्राविधानों के अनुरूप लखनऊ समेत समस्त राज्य विश्वविद्यालय की परिनियमावलियों में यह व्यवस्था की गयी है कि महाविद्यालयों में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी। परिनियमावली में उपर्युक्तानुसार विहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं।

शासन में सीट वृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध एवं संस्तुतियों के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जाते रहे हैं। विगत शैक्षणिक सत्र 2016-17 के सम्बन्ध में दिनांक 21 जुलाई, 2016 को निर्देश निर्गत किये गये थे। चूंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में लखनऊ विश्वविद्यालय सहित अन्य किसी राज्य विश्वविद्यालय में सीट वृद्धि किये जाने हेतु कोई अनुरोध पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु सीट वृद्धि के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जोगापट्टी, तहसील-लालगंज में अल्गू पुल शिवनाथ्य द्वारा भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जोगापट्टी तहसील लालगंज .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योनिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ने स्थित गाटा सं0-107 जो सरकारी अभिलेख में श्रेणी 6(2) में अंकित है। इस भूमि पर अल्गू पुत्र शिवनाथ एवं इन्द्रावली पत्नी स्व0 रामवृक्ष पचासों वर्षों से मंडई, करकट एवं दीवाल खड़ी करके आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे। इस प्रकार ये लोग आबादी होल्डर रूप में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काबिज हैं। तत्कालीन उपजिलाधिकारी, लालगंज एवं कोतवाल देवगांव इन लोगों की मड़ई, करकट एवं दीवाल तोड़कर अवैधानिक रूप से ध्वस्त कर दिये हैं। प्रभाव में आकर जबरदस्ती आत्माराम कब्जा कराकर अवैध ढंग से निर्माण करा रहे हैं। जबकि इस आबादी भूमि में अल्गू आदि का कब्जा है। आत्माराम से जबरन हड़पवा रहे हैं। जिससे काफी असंतोष एवं आक्रोश बढ़ रहा है। किसी भी क्षण स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य की मांग कराता हूं और साथ ही आत्माराम के अवैध निर्माण रोकने की मांग करता हूं।

ग्राम जोगा पट्टी, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ स्थित गाटा संख्या-107 के सम्बन्ध में अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। गाटा संख्या-107 गाटा 107 क व 107 ख से बना है। 107 क व 107 ख राजस्व अभिलेख में आबादी के रूप में दर्ज है। जो जो0च0आ0प0 41 में गाटा संख्या-107 क व गाटा संख्या 107 ख कुटी, समाधि, मन्दिर, धर्मशाला विवरण के कालम में अंकित है। इस प्रकार देवगांव बाजार के दक्षिणी छोर पर सहिमल कुटी के नाम से सैकड़ों वर्षो से प्रसिद्ध स्थल है। इसी गाटा संख्या-107 में जो आबादी के रूप में दर्ज है तथा सहमिल कुटी को देखरेख में है। आ0नं0 107 जो आबादी के रूप में विकसित हो चुकी है, तमाम छोटी-छोटी दुकानें मन्दिर के गेट के बाई तरफ किराये के रूप में दी गई है तथा दाहिनी तरफ खाली स्थल था, जहां पर गुमटी आदि रखकर किराये पर उठाया गया था, जिसमें अलगू राम पुत्र शिवनाथ व इन्द्रावती ग्राम जोगा पट्टी भी किरायेदार थे। वर्ष 2009 में रामवृक्ष की तरफ से मन्दिर का किराया दिया जा रहा है तथा अलगू राम द्वारा वर्ष 2010 से रु0-250/- की दर से किराया दिया जा रहा है। अन्य किरायेदार जयप्रकाश निवासी ग्राम जोगापट्टी एवं श्री रामअवध पुत्र श्री रामसमुझ निवासी ग्राम-बेरमाविसम्भर पुर मौके पर उपस्थित मिले। इनके द्वारा बताया गया कि वे लोग 20-25 वर्षों से मन्दिर की सम्पति का किरायेदार के रूप में उपभोग कर रहे हैं। गेट के दोनों तरफ सहिमलकुटी की निर्माणाधीन जमीन है। इससे स्पष्ट है कि श्री अलगूराम व इन्द्रावती दोनों ही उक्त आबादी की जमीन आ0नं0-107 में मन्दिर/सहिमलकुटी की सहमति से किराया देकर दुकानदार के रूप में दुकानदारी करते रहे हैं। किरायानामा तथा दिया गया किराये का विवरण रजिस्टर में उपलब्ध है। श्री स्वामी आत्मानन्द, हुनमत सेवा शिव शक्ति साधना आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सहिमल कुटी द्वारा मन्दिर के दाहिनी तरफ खाली जमीन आ0नं0-107 जो आबादी खाते की है, में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सत्संग एवं अतिथि भवन आदि का निर्माण कार्य कराने के उद्देश्य से अपने किरायेदारों की गुमटियों का हटवाया गया है। अलगू आदि को जबरन नहीं हटाया गया।]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शिक्षण व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारा जनपद बहुत पिछड़ा है। यहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस वजह से यहां पर गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े व सामान्य गरीब व्यक्तियों के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि जो भी निजी महाविद्यालय हैं उनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। कृपया विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के विकास खण्ड पुरवा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में ब्लाक गंज मुरादाबाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय, विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में ब्लाक बांगरमऊ में राजकीय कन्या महाविद्यालय, विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में ब्लाक F 84 में राजकीय महाविद्यालय, विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के विकास खण्ड सुमेरपुर के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु।

यह लोक महत्व के प्रश्न है यह विषय अत्यन्त अविलम्बनीय है इस पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराया है कि जनपद-उन्नाव में 03 राजकीय महाविद्यालय, 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 78 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद-उन्नाव विकास खण्ड गंज मुरादाबाद के रसूलपुररूरी में 01 राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद-उन्नाव में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का फिलहाल अवसर नहीं है।]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ई0 हर्षवर्धन बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योनिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के संगीन आरोप है। वर्तमान सरकार ने CBI द्वारा जांच कराने का वादा भी किया था। पूर्व सरकार में छात्रों के भविष्य से खेलवाड़ करने का वाले UPPSC में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही अति अनिवार्य है तथा यह पूरे प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत संवेदनशील विषय है।

2-मा0, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-315 से 323 में लोक सेवा आयोग के संदर्भ में व्यवस्था दी गयी है। इस प्रकार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें शासन के संज्ञान में हैं। सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में श्रीनगर ताल पर टूटे हुये रेगुलेटर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में श्रीनगर .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री धर्मपाल सिंह-

[ताल पर एक अद्द रेगुलेटर (पुल) का निर्माण सिंचाई खण्ड प्रथम महाराजगंज में बना हुआ था। बरसात के भारी पानी से उक्त पुल टूटा हुआ है। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार शासन व प्रशासन को पत्र लिखा जिसके लिए विभाग से इस पुल का विस्तृत आगणन सिंचाई विभाग को भेजा गया। परन्तु अभी तक विभाग की उदाशीनता के कारण आगणन स्वीकृत कराकर कार्य नहीं कराया गया है जिससे काफी कठिनाईयों को सामना कराना पड़ रहा है।

वक्तव्य :--

श्रीनगर ताल जनपद महराजगंज के तहसील फरेन्दा, विकास खण्ड बृजमनगंज के ग्राम-पुखरभिण्डा में स्थित है। इस झील में एक रेगुलेटर बहुत पहले से (स्वतंत्रता के पूर्व) जमींदारी काल में निर्माण कराया गया था जिसके ऊपर स्थानीय लोगों के पैदल आवागमन हेतु पुल बना था। श्रीनगर ताल में वर्षा का पानी एकत्रित कर आस-पास के 17 ग्रामों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराई जाती थी। यह रेगुलेटर कम पुल बहुत पुराना एवं जर्जर होने के कारण भारी वर्षा के दबाव में गत तीन वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया था।

इस झील पर बने रेगुलेटर का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया था परन्तु इसका संचालन कई वर्षों से सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान में स्थानीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा ध्वस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण की मांग की जा रही है जिसके क्रम में जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा अपने पत्र संख्या-1369/ओएसडी/2016, दिनांक 04-05-2016 के माध्यम से श्रीनगर ताल प्रणाली पर ध्वस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण की परियोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जिसके क्रम में पुल निर्माण हेतु परियोजना लागत रु0 262.98 लाख तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम महराजगंज ने अपने पत्र दिनांक 30-06-2016 द्वारा जिलाधिकारी, महराजगंज को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी, महराजगंज ने अपने पत्र दिनांक 24-05-2016 द्वारा श्रीनगर ताल बांध पर मिनी पुल बनवाने सम्बन्धी आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन पर विभागीय नियमों के आलोक में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक 13-07-2016 द्वारा निर्देशित किया गया, परन्तु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। अतः माह जुलाई, 2016 से अब तक कार्यवाही न किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद गाजीपुर में नन्दगंज शराब फैक्ट्री द्वारा दूषित पानी सीधे गंगा नदी में बहाये जाने के सम्बन्ध में डा0 संगीता बलवन्त द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

जनपद गाजीपुर में नंदगंज शराब फैक्ट्री द्वारा दूषित .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री दारा सिंह-

[पानी सीधे नन्दगंज से पुलिस अधीक्षक के बंगले तक बहाया जा रहा है जो सीधे गंगा नदी में जाकर गिरता है। प्रदूषित पानी को शुद्ध करके ही नाले अथवा नदियों में छोड़े जाने का सरकारी निर्देश है। इससे महामारी भी फैलती है और दुर्गन्ध के कारण क्षेत्र के लोगों का जीना दुभर है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मैसर्स लार्ड डिस्टलरी, नन्दगंज, गाजीपुर एक आसवनी इकाई है तथा वर्ष 1981 से कार्यरत है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में शीरे का प्रयोग कर पोर्टेबल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की एल्कोहल उत्पादन क्षमता 30 कि0ली0/दिन है। उद्योग में एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को कच्चे माल के रूप में लेकर बाटलिंग का कार्य भी किया जाता है।

उद्योग में जलापूर्ति भूमिगत जल से की जाती है। जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित बहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है। औद्योगिक प्रयोजन में डिस्टीलेशन प्रक्रिया से प्रदूषणकारी प्रकृति का उत्प्रवाह स्पेन्ट वाश जनित होता है। उद्योग से जनित स्पेन्ट वाश (प्रदूषित उत्प्रवाह) के शुद्धीकरण एवं शून्य निस्तारण हेतु व्यवस्था स्थापित है, जिसके अन्तर्गत निम्न इकाइयां है :--

(1) कलैक्शन कम सेटलिंग टैंक,
(2) एनरोबिक डाइजेस्टर,
(3) गैस फ्लेयरिंग टावर,
(4) क्लरीफायर,
(5) बायो मेथेनेटेड स्टोरेज टैंक,
(6) रियर्स आसमोसिस फीड टैंक,
(7) रिवर्स आसमोसिस प्लान्ट,
(8) रिवर्स आसमोसिस रिजेक्ट कलैक्शन टैंक,
(9) मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर,
(10) बायो कम्पोस्टिंग प्लान्ट।

उद्योग में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुक्रम में वेब कैमरा भी स्थापित किया गया है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 20-07-2017 को किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग में डिस्टीलेशन एवं बायो कम्पोस्टिंग का कार्य बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय आबकारी निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में दिनांक 30-06-2017 की सांय 17.00 बजे से उत्पादन (डिस्टीलेशन) कार्य बन्द है। उद्योग में केवल पेट बोतल का बाटलिंग का कार्य होता हुआ पाया गया। उद्योग से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं हो रहा था। निरीक्षण के समय उद्योग के समीप स्थित नाले में बरसात के पानी का प्रवाह हो रहा था। उद्योग में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था के अन्तर्गत मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लान्ट स्थापित हैं।

उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2018 तक शून्य उत्प्रवाह निस्तारण एवं वर्ष में अधिकतम 270 दिन तक उत्पादन कार्य (वर्षा ऋतु में उत्पादन की अनुमति नहीं) हेतु सशर्त सहमति निर्गत की गयी है। उद्योग द्वारा सहमति की शर्त के अनुसार दिनांक 30-06-2017 से उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, बांदा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री शरद कुमार अवस्थी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, बांदा द्वारा किये जा .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के पद पर कार्यरत श्री रतन लाल के विरुद्ध 03 मुकदमें पंजीकृत हैं तथा संस्थान में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त होने एवं ठेकेदारों एवं अभियन्ताओं के बीच झगड़े के कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। इस प्रकार मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 20-07-2017 में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा से करायी गयी। आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के पत्र दिनांक 04-07-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यानुसार श्री रतन लाल, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, बांदा के विरुद्ध प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-85/2017 धारा-387 भा0द0वि0 (उद्यापन) एवं मु0अ0सं0-245/2017 धारा-7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पंजीकृत है, जिसकी स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जांच आख्या में उल्लिखित निष्कर्षों के आधार पर श्री रतन लाल, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, बांदा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु जिलाधिकारी, बांदा को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी से जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।]

जनपद उन्नाव में जर्जर विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद उन्नाव में जर्जर विद्युत व्यवस्था .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[बहुत खराब है। यहां पर 11000 लाइन की अधिकतर तार बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है, जिससे जन-धन दोनों का नुकसान होता है। कृपया विधान सभा भगवंतनगर के बीघापुर पावर हाउस के अन्तर्गत 11000 लाइन के सभी नए तार अलमोनियम के, विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के भगवंतनगर पावर हाउस की 11000 लाइन के सभी नये तार अलमोनियम, विधान सभा क्षेत्र भगवंतनगर के अन्तर्गत मौरावां पावर हाउस के अकोहरी फीडर के 11000 लाइन के सभी नये तार अलमोनियम के, पुरवा विधान सभा के अन्तर्गत पुरवा पावर हाउस के अन्तर्गत वैगांव, मंगतखेड़ा, रामपुर, बेहटा, सुम्भारी सहित 11000 लाइन के सभी तार अलमोनियम के, बांगरमऊ पावर हाउस के मऊ फीडर की 11000 लाइन सभी नये तार अलमोनियम के, बांगरमऊ पावर हाउस सण्डीला फीडर की 11000 लाइन के सभी नये तार अलमोनियम के, बांगरमऊ 162 विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक पावर हाउस ग्राम गोसाकुतुब ब्लाक गंज मुरादाबाद में स्थापित कराने हेतु।

यह लोक महत्व के प्रश्न है यह विषय अत्यन्त अविलम्बनीय है इस पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

आख्या-

अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत माह मई, 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 16.43 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में औसतन 18.32 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.03 घण्टे, माह जून 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 16:37 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में औसतन 18:36 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.17 घण्टे, माह जुलाई, 2017 में (20-07-2017 तक) ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 15.51 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में औसतन 17.52 घण्टे एवं शहरी क्षत्रों में औसतन 22.22 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है।

जर्जर तार बदलना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे समय-समय पर आवश्कतानुसार तार की उपलब्धता पर बदला जाता है। बिजनेस प्लान वर्ष 2017-18 में जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत कुछ जर्जर तार धन की उपलब्धता के आधार पर बदलना प्रस्तावित है।

वर्तमान में विकास खण्ड गंजमुरादाबाद में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (1x5 एम0बी0ए0) का निर्माण कार्य आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण होना लक्षित है।]

जनपद बदायूं में ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद बदायूं में ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु नीति निर्धारित .....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[लक्ष्य था, उसी के आधार पर किसानों की रसीद कटी थी। अब टी0एफ0 पर दो कनेक्शन का लक्ष्य शासन निर्धारित किया है। किसानों के लक्ष्य के सापेक्ष पैसा जमा कर दिया गया है। लेकिन हजारों किसान स्टोर पर ट्यूबवेल का सामान लेने आते है और शाम को बिना सामान लिये घर वापस चले जाते है जो किसान आर्थिक लेन-देन करते है। स्टोर से सामान मिलता है यह जनपद के किसानों से जुड़ा हुआ विषय है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

जनपद-बदायूं में वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित निजी नलकूपों के 1000 लक्ष्य के विरुद्ध 2256 उपभोक्ताओं को विद्युत सामग्री निर्गत की जा चुकी है तथा शत-प्रतिशत लक्ष्यों को पूरा कर दिया गया है।

वर्ष 2017-18 में कुल 1728 मांग-पत्र विद्युत भण्डार खण्ड, बरेली को भेजे गये है। विद्युत भण्डार खण्ड, बरेली में वर्ष 2017-18 में निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के अत्यधिक संख्या में एकाएक वितरण खण्डों में मांग-पत्र के आ जाने के कारण वांछित सामग्री की व्यवस्था प्रगति पर है। पर्याप्त सामग्री दिनांक 15 अक्टूबर, 2017 तक स्टोर में उपलब्ध करा दी जायेगी एवं समस्त उपभोक्ताओं को सामग्री वितरित कर दी जायेगी। सूच्य है कि उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन नहीं किया जाता है।]

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत अमराई ग्राम पंचायत में आई0टी0आई0 के अधूरे निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अमराई ग्राम पंचायत में आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु धनराशि भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा यू0पी0पी0सी0एल0 को अवमुक्त की गयी थी। निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है आधा अधूरे भवन में बच्चों के दाखिले हुए हैं अध्ययनरत छात्रों के सामने आधारभूत सुविधाओ की कमी है आये दिन बच्चे समस्या से आक्रोशित होते है। जिसके कारण पठन-पाठन कार्य बाधित हो रहा है। बरसात में वर्तमान में उक्त भवन की वाउण्ड्री गिर गयी जिसके कारण छात्र-छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही है। भवन के निर्माण की गुणवत्ता निम्न कोटि की है। जिसके जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा कराई गयी तथा टी0ए0सी0 से जांच कराने की सरकार को संस्तुति भेजी है। कार्यदायी संस्था की इस लापरहवी के कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। अतः मा0 सदस्य द्वारा अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य कराये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली के अमराई गांव में एक नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की स्वीकृति जारी की गयी है। भवन निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को दिया गया है।

वर्तमान में संस्थान के भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में प्रगतिमान है तथा कार्यदायी संस्था ने पत्र के माध्यम से भवन के हस्तान्तरण हेतु इन्वेन्ट्री उपलब्ध करायी है। विभाग द्वारा वर्तमान में इन्वेन्ट्री का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त भवन को विभाग के पक्ष में हस्तगत कर लिया जायेगा।

नवनिर्मित भवन के भूतल मे प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था को नवनिर्मित भवन सहित सम्पूर्ण परिसर दिनांक 31-07-2017 तक हस्तगत कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा संचालन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 01-09-2017 से अभ्यर्थियों का पठन-पाठन/प्रशिक्षण अपने भवन में प्रदान कराया जायेगा।

प्रश्नगत भवन निर्माण कार्य के गुणवत्ता की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद से कोई संस्तुति/प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगपुर में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर .....

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगपुर में लगभग दस वर्ष से यहां आम जनता का एक्स-रे नहीं हो पा रहा है, जनता को एक्स-रे कराने के लिये 30 किलोमीटर दूर जिला चिकित्सालय जाना पड़ता है, उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र जनपद के सबसे घने बसे क्षेत्रों में आता है और जनसंख्या की दृष्टि से जलालपुर विधान सभा क्षेत्र फैजाबाद मण्डल की सबसे बड़ी विधान सभा क्षेत्र है।

अतः मै इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर शासन के वक्तव्य की मांग करता हूं ताकि आम जनता को एक्स-रे जैसी अति महत्वपूर्ण सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगपुर में अतिशीघ्र पुनः उपलब्ध हो सके।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अम्बेडकरनगर जनपद के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित न होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगपुर (जलालपुर) में एक्स-रे मशीन का संचालन नियमित एवं सुचारू रूप से हो रहा है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले मरीजों का एक्स-रे चिकित्सक की सलाह पर निःशुल्क किया जाता है। एक्स-रे मशीन के संचालन हेतु यहां एक एक्स-रे टेक्नीशिसन तथा एक डार्क रूम असिस्टेंट तैनात है।]

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक सदन के उठने के तत्काल बाद है, जो माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य है वे कृपया कक्ष संख्या-15 में उपस्थित होने का कष्ट करें। शेष हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 45 मिनट पर गुरुवार 27 जुलाई, 2017/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 26 जुलाई, 2017।

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 359 विधान सभा (664)-26-3-2018-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।